लोक-सभा

बुधवार,
२७ जुलाई, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २६ जुलाई, १६५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२६ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . . . २६३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२ से १२५ . . . ३५८–३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २६२, २६५ से २६६, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०६, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २६३, ३०६, ३१३ और ३०८ . . . ३८३–४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २६४, ३००, ३०१ और ३१० . . . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४६, ३५१, ३५२ और ३५४ . . . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३६, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . . . ४८५–४८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५६, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७६ से ३८४, ३८६ से ३६२, ३६५, ३६८ से ४०० और ४०२ . . . ४६६ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . ५४५ ५४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६६, ३७६, ३७८, ३८५, ३६३, ३६४, ३६६, ३६७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . . . ५४६ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १६८ . . . ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक-सभा

बुधवार २७ जुलाई, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को आयु सम्बन्धी रियायतें

*११८. **श्री बर्मन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जतियों के अभ्यर्थियों की आयु सम्बन्धी सीमा को, पांच वर्ष बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : विषय विचाराधीन है ।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय पर किस सीमा तक विचार हो चुका है ?

श्री दातार : इन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से सम्मति ले रहे हैं क्योंकि इसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से सबसे अधिक है ।

श्री बर्मन : क्या ऐसा कोई अनुमान दिया जा सकता है कि इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री दातार : इस में अधिक समय नहीं लगेगा । कुछ महीने लगेंगे ।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह आयु सम्बन्धी रियायत, उन अनुसूचित जातियों के मामले में, जो निष्क्रान्त हैं संचयी होगी अथवा नहीं ?

श्री दातार : हो सकता है कि मैं गलत हूं परन्तु मेरे विचार से यह संचयी है । इस प्रकार के व्यक्ति को दोनों शीर्षों के अधीन रियायत प्राप्त है ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या **उपमंत्री** महोदय कृपा करके बता सकते हैं कि किन स्टेटस ने अपने विचार इस बारे में भेजे हैं और अगर भेजे हैं तो क्या भेजे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी राज्य ने अपने विचार भेजे हैं तथा यदि हां तो वे क्या हैं ?

श्री दातार : हमें अभी उनके विचार प्राप्त नहीं हुये हैं । परन्तु माननीय सदस्य को मैं बता देना चाहता हूं कि यह रियायत केवल केन्द्रीय सेवाओं के लिये की गई है । अखिल भारतीय सेवाओं के लिये यह रियायत नहीं है तथा यह सम्भव है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिये भी यह रियायत कर दी जाये ।

अमरीकी सहायता

*११९. **श्री पुन्नूस :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वित्तीय वर्ष में अमरीकी प्रशासन द्वारा भारत को कितनी धनराशि की सहायता देने की प्रस्तावना की गई है ; और

(ख) विभिन्न परियोजनाओं में यह किस प्रकार वितरित होगी ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) अमरीकी सरकार से सरकारी रूप से कोई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री पुन्नूस : क्या हमने यह सहायता मांगी थी, तथा यदि हां, तो कितनी धनराशि मांगी गई थी ?

श्री बी० आर० भगत : हमने कभी किसी राशि की मांग नहीं की है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर मैं जान सकता हूं कि जिस धनराशि की हमें आशा है उसमें कृषि की वस्तुयें भी सम्मिलित हैं ?

श्री बी० आर० भगत : हमें इस वर्ष के बारे में सरकारी रूप से कोई सूचना नहीं है तथा हम कह भी कुछ नहीं सकते । पिछले वर्ष कृषि उपज अधिक थी ।

श्री हेडा : पिछले कई वर्षों में हमने अमरीकी सहायता के विषय में जो कई समझौते किये हैं, उनके अन्तर्गत सहायता के प्रतिवर्ष न दी जाने की व्यवस्था की गई थी । मैं जान सकता हूं कि क्या हमें कुछ आगामी वर्षों की सहायता मिल चुकी है, अथवा कि हमें प्रति वर्ष उस वर्ष के लिये निर्धारित धन-राशि मिल रही है ? यदि समझौता दो अथवा इससे अधिक वर्षों के लिये था, तो यह सहायता प्रारम्भ में मिली अथवा प्रत्येक वर्ष मिल रही है ?

श्री बी० आर० भगत : सहायता प्रत्येक वर्ष के अधार पर मिलती है । अमरीका का वित्तीय वर्ष, हमारे वर्ष से भिन्न है । वह जुलाई से जून तक होता है । उस राशि का उपयोग किया जाता है, मंजूरी और वस्तविक प्राप्ति सदा ही कुछ समय लगा करता है तथा इसी कारण कुछ राशि का उपयोग अगले वर्ष किया जाता है ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व अमरीकी सीनेट ने विनियोग समिति से सहमत होकर भारत को दी जाने वाली ६०० लाख डालर की आर्थिक सहायता को ५०० लाख डालर कर दिया है ? क्या सरकार को इसकी सूचना दी गई थी ?

श्री बी० आर० भगत : हमने समाचार पत्रों में ऐसा पढ़ा है । परन्तु हमें सरकारी रूप से सूचना तब मिलेगी जब समस्त कार्य को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ; तथा अभी इसमें विधान सम्बन्धी कार्यवाही होनी बाकी है ।

लोह अयस्क सर्वेक्षण

*१२०. **श्री नानादास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ दिन पहले देश में कच्चे लोहे का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का प्रभारी अधिकारी कौन था ;

(ग) सर्वेक्षण का ध्येय क्या था ; और

(घ) सवक्षण के क्या परिणाम निकले ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ), नहीं श्रीमान् ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार के सम्मुख इस प्रकार के सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, सयुक्त राष्ट्र संघ ने प्राप्य भूतत्वीय आंकड़ों के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार किया था

तथा इस अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने जिसमें एक विशेषज्ञ भारतीय भी था, एक पुस्तक प्रकाशित की है, जो सवक्षण नहीं है बल्कि प्राप्य तथ्यों का संग्रहीकरण है और एक समीक्षापूर्ण मूल्यांकन है इस प्रकाशन का नाम "ओकैरैन्स, अप्रेज़ल ऐन्ड यूज़ आयरन ओर" है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संग्रहीकरण के कार्य में कौन कौन किन किन भारतीयों ने हाथ बढ़ाया था ?

श्री के० डी० मालवीय : इस विशेषज्ञ समिति में, भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के डा० एम० एस० कृष्णन सम्मिलित थे ।

श्री वीरस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जानती है कि तामिलनाद में कच्चे लोह के निक्षेप मौजूद हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं समझ सका कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ।

विभाजन ऋण

*१२१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री**, २४ फरवरी, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तब से, कोई विभाजन ऋण, पाकिस्तान से वसूल हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जी नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि १५ अगस्त, १९४७ के दिन ऋण की राशि कितनी थी तथा इस समय यह कितनी है ? मैं विभिन्न लेखों के आंकड़ों को पृथक पृथक रूप से भी जानना चाहता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : पाकिस्तान से मिलने वाली कुल राशि अभी तय करनी है । पारस्परिक वार्ता में यह बात भी शामिल होगी ।

अध्यक्ष महोदय : वह धनराशि जानना चाहते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : इसे अभी तय किया जायेगा ।

श्री हेडा : हमारे दावे के अनुसार यह कितनी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमारा कोई दावा नहीं है, परन्तु हमारा अन्तर्कालीन निर्धारण, इस प्रकार का था, जिससे संभवतया ९ करोड़ रुपया वार्षिक होता था, जिसकी एक या दो आय-व्ययकों में व्यवस्था रखी गई थी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ऋण के निर्धारण तथा भुगतान के सम्बन्ध में पाकिस्तान के वित्त मंत्री तथा भारत के वित्त मंत्री की परस्पर कोई भेंट हुई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं । जैसा कि सभा को ज्ञात है दोनों देशों के इस प्रकार के कुछ मामलों को तय करने के लिये कार्य संचालन समिति इन पर विचार कर रही है ; तथा इस समिति की अन्तिम बैठक में, यह निश्चय किया गया था ऋण के मामले को दोनों देशों के वित्त मंत्रियों पर ही छोड़ दिया जाये । मैं पाकिस्तान के वित्त मंत्री को इस विषय पर चर्चा के लिये दिल्ली आने का निमंत्रण दे चुका हूं । उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है परन्तु पाकिस्तान के वित्त मंत्री महोदय को कुछ और काम होने से चर्चा के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकी

श्री गिडवानी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि पाकिस्तान सरकार भारत को ऋण की अदायगी के लिये अपने बजट में कुछ राशि का उपबन्ध करती थी और विगत दो

वर्षों से उसने इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं किया ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने अपने आय-व्ययक में की गई व्यवस्था की ओर निर्देश किया है । मेरा विचार है कि स्वयं उनके आय-व्ययक में भी कम से कम एक वर्ष ५ करोड़ रुपये (पाकिस्तानी) की व्यवस्था की गई थी । अपने वर्तमान आय-व्ययक में हमने कोई व्यवस्था नहीं रखी है तथा मेरा विचार है कि उन्होंने भी अपने आय-व्ययक में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है ।

श्री टी० एन० सिंह : विभाजन के पश्चात् पहले वर्षों में, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के प्रति पाकिस्तान के आभार को चुकाया था । क्या म जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार अब भी इस प्रकार के आभार को पाकिस्तान सरकार के लिये चुका रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं । अब भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार के स्थान पर इस प्रकार का कोई आभार अपने पर नहीं ले रही है ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना

*१२२. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना में अभी तक कितने पुरुष तथा स्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है ;

(ख) देश में कितने प्रशिक्षण शिविर स्थापित किये गये हैं तथा उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) क्या राष्ट्रीय छात्र सेना तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के प्रशिक्षणों में कोई अन्तर है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) २५,७०० पुरुषों को प्रशिक्षित किया गया है । किसी महिला को प्रशिक्षित नहीं किया गया ।

(ख) ५७ शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से दो अभी तक चल रहे हैं । मई १९५५ में खोले गए ३३ शिविरों का व्यय लगभग ८.१८ लाख रुपये था ; शेष जून-जुलाई में लगे शिविरों के आंकड़े प्राप्त किये जा रहे हैं ।

(ग) जी हां, दोनों संस्थाओं के उद्देश्य तथा ध्येय, और परिणामतः प्रशिक्षण में बहुत अन्तर है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशिक्षण के लिए कोई संख्या निश्चित की गई है तथा इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण की कोई अवधि भी निश्चित हैं ?

श्री त्यागी : जी हां । पांच वर्ष में पांच लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का विचार किया गया है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं ?

श्री त्यागी : एक शिविर का कोई स्थायी स्थान नहीं है । विभिन्न राज्यों में मंत्रणा समितियों के परामर्श से इन स्थानों को चुना जाता है तथा एक मास तक शिविर चलता है और बाद में वे लोग वापस आ जाते है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि २७ कैम्प अभी तक संगठित किए जा चुके हैं और हर एक में ५०० युवकों को आना चाहिए था, मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने कैम्प ऐसे थे जहां कि पूरा कोटा हुआ और कितने कैम्प ऐसे थे जहां कि कम कोटा हुआ और इसका क्या कारण है ?

श्री त्यागी : हर एक कैम्प की बाबत यह बताना मुश्किल होगा कि हर एक कैम्प में कितने आदमी आये, लेकिन मेरे पास फेहरिस्त है, उसके मुताबिक़ मोटे तरीक़े से यह कैफ़ियत हुई ।

स्मालकोट में ५०० आदमी आये । करनूल में ४७७ आये और किसी जगह ४५७ आ गये । ज्यादातर ४०० और ५०० के बीच में तादाद रही ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि यह कैम्प उस जमाने में ही संगठित किये जायें जबकि किसानों को फसल से फुर्सत हो और विद्यार्थियों की छुट्टियां हों ?

श्री त्यागी : इन कैम्पस में अधिकांश विद्यार्थी नहीं आते हैं, पर जहां जहां कैंप खोले जाते हैं वहां इस बात की हिदायत जारी की गई है कि जब काश्तकार फालतू हों और खेती का काम न हो उन्हीं दिनों में कैंप रक्खे जायें तो बेहतर है ।

कोलम्बो योजना

*१२३. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया की सरकार ने ऐसे एशियाई विद्यार्थियों को कुछ छात्रवृत्तियों के देने का निश्चय किया है जो कोलम्बो योजना के अन्तर्गत 'डाक' द्वारा अध्ययन करना चाहेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या किन्हीं भारतीय विद्यार्थियों ने ऐसी छात्रवृत्तियों के लिए प्रार्थनापत्र भेजा है ;

(ग) योजना का सविस्तार विवरण ; और

(घ) क्या इस योजना के अधीन शिक्षा आरम्भ हो गई है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) हां, श्रीमान् ।

कुछ बातों की पूछताछ की गई है ।

(ग) योजना की विस्तृत बातों के बारे में अभी अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है ।

(घ) नहीं ।

श्री एस० एन० दास : छात्रवृत्तिया किस किस विषय के लिए दी गई हैं या दी जायेंगी ?

श्री बी० आर० भगत : आस्ट्रेलिया की सरकार ने मूलतः प्राविधिक और शैक्षणिक प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें इंजीनियरिंग, मोटर मिस्त्री का काम, मकान बनाने, कृषि और लेखा कार्य सम्मिलित हैं प्रस्ताव दिया था, परन्तु हम इसे उस अध्ययन के लिए सीमित रखना चाहते हैं जिसमें प्रयोगशाला शिक्षण का अधिक महत्व न हो । अतः अशु! लिपि, टाइप, बहीखाता, लेखाकर्म, लेखा परीक्षण, वाणिज्यिक विधि, उच्च-लेखाकर्म, आदि का सुझाव दिया है ।

श्री एस० एन० दास : उस सरकार ने किस प्रकार की पूछताछ की है ?

श्री बी० आर० भगत : पूछताछ, सरकार ने नहीं अपितु उन विद्यार्थियों ने की है जो प्रार्थनापत्र भेजना चाहते हैं ।

चीन को भेजा गया सांस्कृतिक मंडल

*१२४. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन को भेजे गये भारतीय सांस्कृतिक मण्डल में कितने व्यक्ति सम्मिलित हैं ;

(ख) उसमें जो कलाकार सम्मिलित किये गये हैं, उनकी विशेष योग्यतायें क्या हैं ; और

(ग) उनका चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) सांस्कृतिक मण्डल के जो चीन म जा चका है, ५६ सदस्य हैं।

(ख) और (ग). कलाकार सदस्य भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की सिफारिश पर चुने थे। चुनाव में उन कार्यक्रमों का ध्यान रखा गया था जिनकी चीन की जनता के लिये उपयुक्त होने की सम्भावना थी।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन कलाकारों को पारिश्रमिक भी दिया जाता है, और यदि दिया जाता है तो प्रत्येक को कितना दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : इन कलाकारों को प्रतिदिन ऐसा कोई भत्ता नहीं दिया जाता परन्तु कभी कभी सामग्री तथा वरदी आदि सम्बन्धी भत्ता तथा कुछ जेब खर्च दिया जाता है।

श्री नवल प्रभाकर : कितना दिया जाता है ?

डा० एम० एम० दास : यह किसी कलाकार विशेष पर निर्भर है। यदि माननीय सदस्य वास्तव में दिये गये धन का विवरण जानना चाहते हैं, तो मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ व्यय किया है तो कितना ?

डा० एम० एम० दास : यह लगभग ३,००,००० रुपये होगा।

श्री कामत : क्या इन सांस्कृतिक शिष्ट-मंडलों को अपनी यात्रा का प्रतिवेदन मंत्रालयों को देना पड़ता है, और यदि हां तो क्या ये प्रतिवेदन लोक-सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास : सामान्यतः रूप वे सरकार को अपना अपना प्रतिवेदन क ते हैं।

श्री कामत : क्या यह लोक-सभा पटल पर रखा जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे विदित है—इस बारे में मैं दृढ़ता से नहीं कह सकता—ऐसा कोई प्रतिवेदन लोक-सभा पटल पर अभी तक नहीं रखा गया।

हिन्दी छात्रवृत्तियां

*१२५. **श्री गिडवानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दी की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तिया देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां तो इन छात्रवृत्तियों की संख्या क्या होगी ;

(ग) किसे इस छात्रवृत्ति के पाने की पात्रता होगी ;

(घ) इस योजना पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जायेगा ; और

(ङ) छात्रवृत्ति पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कितना धन दिया जायेगा ?

शिक्षा-मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १२।

(ग) से (ङ). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

श्री गिडवानी : वे अहिन्दी भाषी राज्य कौनसे हैं जहां हिन्दी में उच्च शिक्षा की सुविधायें विद्यमान नहीं हैं ?

डा० एम० एम० दास : १२ ऐसे अहिन्दी भाष्य राज्य हैं जहां हिन्दी में उच्च शिक्षा की सुविधायें विद्यमान नहीं हैं। इनके नाम आन्ध्र, आसाम, मद्रास, उड़ीसा मैसूर

पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर-कोचीन, कुर्ग, कच्छ, मनीपुर और त्रिपुरा हैं।

श्री गिडवानी : इन राज्यों की कितनी छात्रवृत्तियां होंगी ?

डा० एम० एम० दास : हमें आन्ध्र, आसाम, मद्रास, पेप्सू, ट्रावनकोर-कोचीन, कुर्ग, कच्छ और मनीपुर से २७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से केवल १० चुने गये हैं।

सेठ गोविन्द दास : जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनके सम्बन्ध में क्या किन्हीं सार्वजनिक हिन्दी संस्थाओं से भी सलाह ली जाती है ?

डा० एम० एम० दास : ये प्रार्थनापत्र राज्य सरकारों के माध्यम से मांगे जाते हैं। मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई एक प्रवरण समिति है। वह समिति प्रार्थना पत्रों की जांच करती है और प्रवरण करती है।

श्री गिडवानी : क्या हमारे उद्देश्य के लिए, अर्थात्, निश्चित काल में हिन्दी को सारे देश में फैलाने के उद्देश्य से छात्रवृत्तियों की संख्या अपर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल १० व्यक्तियों को ही चुना गया है ?

डा० एम० एम० दास : कुल मिला कर १२ छात्रवृत्तियों के लिए उपबन्ध है, तथा प्रत्येक अहिन्दी भाषी राज्य से, जहां हिन्दी में उच्च शिक्षा की सुविधायें विद्यमान नहीं हैं, एक छात्रवृत्ति का उपबन्ध है। यह एक अस्थायी योजना है और अभी केवल १२ छात्र-वृत्तियों के लिए उपबन्ध किया गया है। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २४ छात्र-वृत्तियां के, १२ नई और १२ पुरानी जो पुन: दी गई हों सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि उन राज्यों को भी जहां पर कि उच्च शिक्षा की सुविधा है और जहां पर कि उन रियासतों के विद्यार्थी जाते हैं जहां पर इसकी सुविधा नहीं है, स्कालर्शिप दिये जायेंगे ?

डा० एम० एम० दास : मैं बता चुका हूं कि ये छात्रवृत्तियां केवल उन राज्यों के लिए हैं जो अहिन्दी भाषी हैं और जहां हिन्दी में उच्च शिक्षा की सुविधायें विद्यमान नहीं हैं। जिन राज्यों में सुविधायें विद्यमान हैं वे योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

जनता कालिज

***१२७. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या माननीय **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्पश्चात् कितने और जनता कालिज खोले गये हैं और किस किस राज्य में ;

(ख) १९५५–५६ में कितने और जनता कालिज खोले जाने की आशा है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन कालिजों से प्राप्त परिणामों का उस धन सम्बन्धी सहायता की तुलना में जो उन्होंने दी है, महत्व का निर्धारण किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक उत्तर प्रदेश में।

(ख) ११।

(ग) अभी किसी भी सफल निर्धारण के करने का समय नहीं पहुंचा है।

श्री एस० सी० सामन्त : दिल्ली जनता कालिज १९५१ में खोला गया था। उस कालिज में गांवों में काम करने वाले कितने कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है ? क्या उन्होंने सामुदायिक योजना क्षेत्रों को भी किसी प्रकार सहायता दी है ?

डा० एम० एम० दास : अभी तक सरकार ने लगभग २२ जनता कालिजों को

स्वीकृति दी हैं । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष जनता कालिज के सम्बन्ध म सूचना चाहते हैं, तो मैं प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खड वाले क्षेत्रों से भी कायकर्त्ताओं को इन कालिजों में लिया जाता है और शिक्षा दी जाती है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली): जनता कालिजों का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना है । जनता कालिजों का उद्देश्य केवल ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देना ही नहीं है; इन ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देने के भिन्न शिक्षालय हैं । इन गांवों से और सामूहिक योजना क्षेत्रों से प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को लाते हैं और उन्हें प्रशिक्षण देते हैं तथा उन्हें गांवों को वापस भेज देते हैं ताकि वे ग्रामकार्य कर सकें ।

श्री एस० सी० सामन्त : इन शिक्षालयों को राज्य सरकारों ने कितनी सहायता दी है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जनता कालिजों की योजनायें राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती हैं । केन्द्रीय सरकार उन्हें तुलनात्मक आधार पर अनुदान देती है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्योंकि तीन वर्ष पश्चात् इन कालिजों का आवर्तक अनुदान बन्द कर दिया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनमें से कोई ऐसा कालिज है, जो तीन वर्ष पूर्व खोला गया हो, अनुदान के रोके जाने के कारण बन्द हो गया हैं ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

कोयले की खानें

*१२८. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने गोदावरी घाटी में कोयला की खानों की जांच पड़ताल के लिये कोई प्रस्थापना भेजी है ; और

(ख) इस समय तक उस प्रस्थापना का क्या बना है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री सी० आर० चौधरी : इन ड्रिल्स की अनुमानित लागत क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : 'ड्रिल्स' की व्यय, शिष्टियों पर लागत इनके विशिष्ट प्रकार पर निर्भर करती है । कोयले की खानों आदि में व्यधन कार्यों के लिए सामान्य 'ड्रिल' की लागत लगभग २५,००० रुपये से ४०,००० के बीच है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार इन खानों की जांच कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : इन उपकरणों आदि पर केन्द्रीय सरकार व्यय तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी व्यय वहन करती है; राज्य सरकार नहीं ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने कोई वित्तीय सहायता मांगी है ? इस जांच के व्यय के लिये कितना अनुदान दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः वह पिछले प्रश्न का उत्तर नहीं समझे हैं । पिछला उत्तर था कि केन्द्रीय सरकार ही पूर्ण व्यय करती है ।

अतएव अनुदान का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस जांच के निमित्त राज्यों को देने के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : पूर्वेक्षण का ब्यौरेवार कार्यक्रम बनाना, भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य है तथा वर्ष के आरम्भ में ही सर्वदा राज्यवार कायक्रम बनाया जाता है । यह कार्यक्रम, आन्ध्र सरकार से प्राप्त हुआ था तथा इसमें व्यय होने वाले सम्पूर्ण धन के व्यय का उत्तरदायित्व हम पर है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि आन्ध्र विश्वविद्यालय के भूतत्वीय विभाग इस क्षेत्र में पूर्वेक्षण का कार्य कर रहा है तथा क्या सरकार को, आन्ध्र सरकार के द्वारा कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और क्या केन्द्रीय सरकार से, किसी प्रकार की सहायता की प्रार्थना की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : विभिन्न विश्वविद्यालयों के भूतत्वीय विभाग अपने अपने राज्यों में अपने छात्रों के लाभ के लिय कार्यक्रम तयार करते हैं और पूछताछ कराते हैं । मैं नहीं जानता कि क्या विशिष्ट रूप से इस क्षेत्र का आंध्र विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

अमरीकी सहायता

*१२९. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अमरीका से चालू वित्तीय वर्ष के लिये विकास सहायता कार्यक्रम के अधीन अब तक कोई ऋण मिला है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है ; और

(ग) इस ऋण के निबन्धन और शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग). मेरा विचार है कि माननीय सदस्य उस ऋण के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं जो कि संयुक्त राज्य अमरीका से अमरीकी वित्तीय वर्ष १९५४–५५ (जुलाई, १९५४ से जून, १९५५) में मिला है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान ऋण करार की ओर दिलाना चाहता हूं जिस की एक प्रति १४ अप्रैल, १९५५ को तारांकित प्रश्न संख्या २२२८ के भाग (ग) और उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में सभा-पटल पर रखी गयी थी । ऋण की राशि साढ़े चार करोड़ डालर थी और उसके निबंधन और शर्तें करार में दी हुई हैं ।

श्री पुन्नूस : करार में दिया हुआ है कि ३ करोड़ डालर कृषि उत्पादों के लिए अलग रखे गये हैं । क्या इसमें मक्खन, डिब्बों में बन्द दूध आदि सम्मिलित हैं, और यदि हैं तो कितने मूल्य के ?

श्री बी० आर० भगत : मैं यह तो नहीं बता सकता कि मक्खन और डिब्बों में बन्द दूध के क्या आंकड़े हैं परन्तु मेरा विचार है कि चालू वर्ष इसमें गेहूं और रूई शामिल हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि इसमें से अधिकतर मक्खन से दुर्गंध आती है और आयात किये गये डिब्बों में बन्द दूध से हमारी ग्रामीण अर्थ यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ।

श्री बी० आर० भगत : मुझे इन दोनों में से किसी भी बात का पता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे सूचना मिली है कि इस सवाल में मेरा नाम भी सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन मेरा नाम लिस्ट में छपा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्वैशचन ऐसा होगा जिसको कि डिसएलाऊ किया जा सकता हो ।

सबेया विमान-क्षेत्र

*१३१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री १५ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारन (बिहार) के सबेया विमान-क्षेत्र के निबटारे के सम्बन्ध में अब कोई निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) इस अड्डे के सामान के विक्रय आदि से अब तक कुल कितनी राशि मिली है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजोठिया) : (क) अब यह निश्चय किया गया है कि यह हवाई अडडा भारतीय वायु सेना के द्वारा प्रयोग के लिये रख लिया जाय ।

(ख) इस विमान-क्षेत्र पर बनी हुई कुछ इमारतें जो राज्य सरकार के पास थीं और मई १९५३ में खाली की गई थीं, सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दी गयीं । उनकी बिक्री से कुल ४०,००० रुपये मिले ।

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि इस हवाई अड्डे की अवस्था बड़ी तेजी से बिगड़ रही है और क्या उसने इसे ठीक ठाक रखने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

सरदार मजोठिया : हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि इसे भारतीय वायु सेना के लिये बनाए रखा जाय और इसकी यथोचित मरम्मत की जायेगी ।

श्री पुन्नूस : क्या इस राशि को विभिन्न मदों पर खर्च करने में कल्याण संस्थाओं को भी साथ लिया गया है ?

सरदार मजोठिया : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का संकेत किन कल्याण संस्थाओं की ओर है ।

श्री पुन्नूस : सेनाओं के लिये कुछ कल्याण संस्थाएं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या राशि बांटने में उनका भी परामर्श लिया जाता है ?

सरदार मजोठिया : शायद यह किसी अन्य प्रश्न के सम्बन्ध में है ।

तेल

*१३२. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस साल देश में किसी नये स्थान पर अपनी देख रेख या प्रबन्ध में विधिपूर्वक तेल की खोज का कार्य प्रारम्भ किया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : जी हां

श्री विश्व नाथ राय : यह खोज आजकल किन किन स्थानों पर की जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : मंत्रालय ने जैसलमेर क्षेत्र का भू-भौतिकीय सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है । यह कार्यक्रम पिछली गर्मी में प्रारम्भ किया गया था और अगली सर्दियों में भी जारी रहेगा । जैसलमेर में धनत्व सम्बन्धी तथा भकम्प सम्बन्धी पूछताछ के अतिरिक्त तैलयुक्त चट्टानों का अनुसंधान के भूतत्वीय बनाने का ज्वालामुखी क्षेत्र और कांगड़ा क्षेत्र में विस्तारपूर्वक एवं भूतत्वीय मानचित्र तैयार किया जा रहा है ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या सरकार का विचार है कि सफल खोज होने के बाद सारी भूमि पर छेद करने और उस सम्बन्ध में सारा काम सरकार के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : निश्चय ही भूभौतिकीय खोज के सफल होने पर प्रयोग के लिये छेद किये जायेंगे ।

श्री मेघनाद साहा : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय भारतीय विशेषज्ञों का एक ऐसा दल बना पाया है जिसके पास सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण हों, जैसे चुम्बकत्वलेखी और भूकम्प-लेखी जिन से वह तेल की खोज का काम कर सके या मंत्रालय इस खोज कार्य के लिये विदेशियों पर ही निर्भर है ? क्या यह सच नहीं है कि विदेशी खोज दल भारतीय विशेषज्ञों को उपकरणों के पास नहीं फटकने देते और न उन्हें बताते हैं कि वे किन परिणामों पर पहुंचे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हम केवल भारतीयों का एक ऐसा दल बना रहे हैं जो खोज सम्बन्धी सारा काम स्वयं कर सकें । जहां तक माननीय मित्र के आरोप का सम्बन्ध है, यह पूर्णतया सच नहीं ।

श्री मेघनाद साहा : तो फिर यह कहां तक सच है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं यह तो नहीं कह सकता; हां हमें ये शिकायतें अवश्य मिली हैं कि कुछ मामलों में कुछ प्रकार की जानकारी हमें नहीं दी जाती ।

श्री टी० एन० सिंह : भू-भौतिकीय और मग्नोमीट्रिक खोज कार्य में से कौन कौन सा कार्य विदेशियों के नियंत्रण, निदेशन या पथ-प्रदर्शन में हो रहा है और कौन कौन सा पूर्णतया भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अधीन ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने कहा है कि जैसलमेर क्षेत्र-ज्वालामुखी और कांगड़ा घाटी में भारतीय भूतत्वीय परिमाप स्वयं सारा सर्वेक्षण कार्य कर रहा है । जहां तक आसाम में खोज कार्य का सम्बन्ध है, भारत सरकार और विदेशी तेल कम्पनियों के बीच एक समझौता हुआ है, और विदेशी विशेषज्ञ हमारी सहायता कर रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : इस बात को देखते हुए कि विदेशी विशेषज्ञ अपने परिणाम भारतीयों को नहीं बताते, क्या यह ठीक नहीं है कि विदेशी विशेषज्ञों को निकाल दिया जाय और भारतीयों पर ही निर्भर किया जाय ? मुझे आशा है कि वे यह काम चला सकेंगे ।

श्री के० डी० मालवीय : मैंने माननीय सदस्य का आक्षेप स्वीकार नहीं किया है ।

शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं

*१३३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रश्न की जांच करने के लिये कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिये विश्वविद्यालय की उपाधि का होना कहां तक और किस स्तर पर आवश्यक है, नियुक्त की गई समिति ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तरिम प्रतिवेदन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार निर्धारित पदों के लिए निर्धारित योग्यता रखने वालों के लिए कोई आगे नियम बनायेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : मुझे मालूम नहीं कि सदस्य महोदय का मतलब क्या है । परन्तु अगर वह कमेटी की जो टर्म्स आफ रेफ्रेंस हैं उनको जानना चाहते हैं तो वह मैं उन को बताने को तैयार हूं ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित की गयी है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जी हां । आशा है कि समिति ३१ अगस्त, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ।

श्री कामत : क्या हाल ही में प्रधान मंत्री का यह कथन है कि विश्वविद्यालय की उपाधि सार्वजनिक सेवा में भर्ती के लिये आवश्यक नहीं होनी चाहिए, समाचार पत्रों में ठीक छपा था ?

डा० के० एल० श्रीमाली : यह समिति इस सारे प्रश्न की जांच कर रही है ।

साहित्य-गवेषणा छात्रवृत्तियां

श्री सुबोध हासदा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य-गवेषणा-छात्रवृत्तियां देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति की स्थापन की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें किस प्रकार की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री **सुबोध हासदा** : कितने छात्रों ने इसके लिये आवेदन पत्र भेजे थे और कितने चुने गये ?

डा० एम० एम० दास : १९५३ में पहले जत्थे में ५०० आवेदक थे और इन ५०० में से इस छात्रवृत्ति के लिये ३१ छात्र चुने गये । १९५४ में दूसरे जत्थे के कुल १९२ आवेदकों में से ५१ छात्र चुने गये ।

श्री सुबोध हासदा : क्या सरकार ने निर्धारण का कोई आधार बनाया था ?

डा० एम० एम० दास : मूल प्रश्न पुनरीक्षण समिति के सम्बन्ध में है । इस समिति की स्थापना नहीं की जा सकी । इसके कारण ये हैं । पहला जत्था चुन लिया गया था किन्तु उसने अपना कार्य देर से आरम्भ किया था । दूसरे जत्थे में चुने गये उम्मीदवार अप्रैल १९५५ के आरम्भ से पूर्व अपना कार्य आरम्भ न कर सके । अतः योजना को चालू वर्ष में भी चलाते रहने का निश्चय किया गया और योजना की पुनरीक्षण एक वर्ष तक के लिये स्थगित कर दी गई ।

श्री सुबोध हासदा : क्या सरकार छात्रों को विदेश भेजने का विचार रखती है ?

डा० एम० एम० दास : छात्रों को विदेश विभिन्न योजनाओं के अधीन भेजा जाता है ।

श्री के० पी० सिन्हा : प्रश्न संख्या १३६ ।

अध्यक्ष महोदय : शिक्षा मत्री के सभा-सचिव उत्तर दें ।

श्री हेडा : श्री के० जी० देशमुख अनुपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि वह वहां कैसे बैठ गये क्योंकि सामान्यतः वह इस ओर बैठा करते थे । जब वह वहां खड़े हुये तो मैं यहां से उन्हें स्पष्ट नहीं देख सका । अब हम इसे अन्त में लेंगे ।

निवृत्ति-वेतन

*१३६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणोंवश भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के निवृत्तिवेतनों और अन्य दायित्वों का भुगतान करने का उत्तर-दायित्व इंगलिस्तान सरकार को हस्तांतरित करने के लिये भारत सरकार को इंगलिस्तान सरकार से एक करार करना पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : इन निवृत्तिवेतनों का दायित्व इंगलिस्तान

सरकार को हस्तांतरित करना प्रशासकीय तथा वित्तीय दोनों दृष्टिकोणों से सुविधाजनक समझा गया था क्योंकि ये भुगतान अधिकांशतः इंगलिस्तान के उन अभारतियों को किये जाने वाले हैं जिनकी भर्ती ऐसी स्थिति में की गई थी जबकि यह आशा नहीं थी कि बाद में कुछ ऐसी बातें पैदा हो जायेंगी जिनकी वजह से भारत स्वतन्त्र हो जायेगा और इन भुगतानों की वित्त व्यवस्था करने के लिये धन पहले से ही १९४८ के पौण्ड पावना समझौता के अंश के रूप में इंगलिस्तान सरकार को हस्तान्तरित किया जा चुका था निवृत्ति वेतनों की एक बड़ी राशि का भुगतान राष्ट्र-मण्डल सम्बन्ध कार्यालय द्वारा किया जा रहा था जिसमें भारत भी कुछ अंश दे रहा था। इस प्रबन्ध से भारत निवृत्तिवेतनों के भुगतान पर होने वाले व्यय से बच जायेगा जो प्रति वर्ष लगभग १० लाख रुपया होता था।

श्री के० पी० सिन्हा : इन निवृत्ति वेतनों का पूंजी मूल्य क्या है और यह राशि किस प्रकार निर्धारित की गई थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : पूंजी मूल्य इस समय नहीं, १९४८ के समझौते के समय निर्धारित किया गया था। यह १९४८ के पौण्ड पावना समझौते का अंश था। यह राशि २२४ करोड़ रुपया थी जो इंगलिस्तान सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी जिसके बदले उसे १९४८-४९ से २००७०८ ईस्वी तक निवृत्तिवेतनों का भुगतान करना था।

श्री एस० एन० दास : क्या इस करार में, जिसको उद्धृत किया गया है, कोई ऐसा परिमाण रखा गया है जिससे यदि कोई निवृत्तिवेतन प्राप्तकर्ता भारत के हित के विरुद्ध कार्य करें तो निवृत्तिवेतन को रोका या उस राशि में कमी की जा सके ?

श्री सी० डी० देशमुख : नहीं, इस प्रकार का परिमाण रखना आवश्यक नहीं समझा गया।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ी पुरानी बात है।

रानी लक्ष्मीबाई का महल

*१३७. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झांसी में स्थित रानी लक्ष्मीबाई के महल को अपने अधिकार में लेने का कोई विचार रखती है; और

(ख) क्या सरकार उसकी कला कृतियों और चित्रकला का भी जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार संरक्षण के प्रयोजन के लिये ऐतिहासिक महत्व के अन्य ऐसे स्थानों को भी अपने अधिकार में लेने का विचार रखती है ?

डा० एम० एम० दास : यह एक अकेला-उदाहरण नहीं है; सरकार अन्य ऐतिहासिक स्मारकों, महलों, पुरातत्वीय महत्व के स्थान और स्मारकों को भी अपने अधिकार में लेने का विचार रखती है।

श्री धुलेकर : झांसी का महल कब ले लिया जायेगा ? इस प्रपोज़ल को तीन साल हो चुके हैं।

डा० एम० एम० दास : इसके तथ्य निम्नलिखित हैं। झांसी की रानीजी का यह महल अब उत्तर प्रदेश सरकार के कब्जे में है और उसमें झांसी नगर पुलिस चौकी बनाई गई है। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा और उसने बड़ी सहायता से अगले

वर्ष—१९५६ के आरम्भ से—महल को खाली करना स्वीकार कर लिया है । ज्यों ही उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस इस महल को खाली कर देगी, त्यों ही हम महल को अपने कब्जे में ले सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या १८५७ के स्वाधीनता संघर्षकारियों के अन्य स्थान भी खाली करवाये जायेंगे जो इस समय सरकारों अथवा अन्य व्यक्तियों के कब्जे में हैं ?

डा० एम० एम० दास : इन ऐतिहासिक स्मारकों और महलों आदि का लिया जाना प्रत्येक मामले की विशेषताओं और उसके महत्व पर निर्भर करता है । हमारे पुरातत्व संचालक इन स्थानों को देखने जाते हैं और यदि वह समझते हैं कि कोई स्मारक विशेष अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का है तो उसे ले लिया जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या जगदासपुर के बाबू कंवर सिंह के महल को पुरातत्व विभाग के पदाधिकारियों ने देखा था और क्या इन पदाधिकारियों ने भारत सरकार से कोई सिफारिश की है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशंका है कि यह पूछना प्रश्न के बाहर की बात हो जाती है ।

श्री धुलेकर : झांसी के महल के लिये क्या योजना बनाई गई है और उसके लिये कुल कितना सालाना बजट मुकर्रर किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : इन चीजों पर विचार पुरातत्वीय विभाग द्वारा महल को अधिकार में लिये जाने के पश्चात् होगा ।

शिक्षितों की बेकारी

*१३८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षितों की बेकारी कम करने की योजना के अधीन आन्ध्र सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) ४,६५,३०० रुपये ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आन्ध्र सरकार ने उस योजना में १९५३-५४ में भाग नहीं लिया था । १९५४-५५ में उसे ३,६०,००० रुपये की राशि १२०० अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिये स्वीकृत की गई थी जिसमें से उसने केवल १०५३ अध्यापक नियुक्त किये । चालू वित्तीय वर्ष में १९५४-५५ में नियुक्त किये गये १०५३ अध्यापकों की सेवायें जारी रखने के लिये भारत सरकार द्वारा ४,२१,२०० रुपये का अंशदान स्वीकार किया गया और उसका पहली तिमाही का अंश १,०५,३०० रुपया स्वीकृत किया गया ।

श्री राघवैया : आंध्र में शिक्षित बेकारों की कुल संख्या क्या है और शिक्षितों की बेकारी को कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार कितना अनुदान देने का विचार रखती है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : आन्ध्र राज्य के शिक्षित बेकारों की कुल संख्या सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह योजना बड़ी सीमित है । यह उन बेकार शिक्षितों को काम दिलाने के लिये बनाई गई है जो कहीं काम में नहीं लगे हैं और जो अध्यापक बनने को तैयार हैं । यह योजना सभी बेकारों को काम दिलाने की व्यवस्था करने के लिये नहीं वरन् केवल उन्हीं लोगों के लिये है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक का कार्य करने को तैयार हैं ।

नहरकटिया तेल क्षेत्र

*१४१. **श्री बोगावत** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से आगामी दो वर्षों में कितना तेल और पेट्रोलियम मिलने की सम्भावना है ; और

(ख) क्या आसाम आयल कम्पनी द्वारा पेट्रोलियम का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और यदि किये जा रहे हैं तो कहां और उनका क्या परिणाम निकला है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). आसाम आयल कम्पनी भूभौतिकीय सर्वेक्षण द्वारा विधिपूर्वक तेल की खोज कर रही है । ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिणी किनारे पर नहरकटिया क्षेत्र में तेल का पता लगाने के बाद कम्पनी ने सारी घाटी में तेल की खोज लगाने के प्रयत्नों को और अधिक उग्र कर दिया है । क्योंकि अभी तक नहरकटिया तेल क्षेत्र के विस्तार के बारे में पूरी बातें नहीं पता लगी हैं, इस अवस्था पर यह नहीं कहा जा सकता कि आगामी दो वर्षों में इस क्षेत्र से कितना तेल मिल सकेगा ।

"गांधी महापुराण"

*१४२. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री "गांधी महापुराण" के प्रकाशनार्थ वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में १४ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में क्या विनिश्चय हुआ ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इस मामले पर अभी विचार हो रहा है ।

मैं यह और बता दूं कि इस कार्य का स्तर निर्धारित करने के लिये और यह पता लगाने के लिये कि इस सम्बन्ध में उड़ीसा की राज्य सरकार कितना अंशदान करने को तैयार है, उड़ीसा सरकार से पूछताछ की गई थी । अभी राज्य सरकार से उत्तर नहीं मिला है । भारत सरकार की नीति यह है कि वित्तीय सहायता उतनी दी जाये जितनी कि राज्य सरकार दे ।

श्री संगण्णा : इस ग्रंथ के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत सरकार ने इसका देश की अन्य भाषाओं में अनुवाद कराने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

डा० एम० एम० दास : हमने उड़ीसा सरकार को लिखा है कि वह हमें इस ग्रंथ के वास्तविक गुण तथा महत्व से अवगत कराये और आधी राशि दे । जब तक कि उससे उत्तर नहीं मिल जाता तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय सभा सचिव ने अभी कहा कि सरकार का इरादा इस ग्रंथ के रचयिता को वित्तीय सहायता देने का है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चीज़ हमारे जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य में कहां तक उचित है ।

डा० एम० एम० दास : मेरी समझ में नहीं आता कि इन दो चीज़ों में परस्पर क्या सम्बन्ध है ।

आयकर

*१४४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक ऐसे कितने व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गये हैं जिन पर आयकर बक़ाया है ; और

(ख) सरकार को ऐसे व्यक्तियों से कुल कितनी राशि वसूल करनी है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). पूरी

बातें मालूल नहीं किन्तु जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गये हैं और जिनसे २० रुपये से अधिक की रक़म मिलनी है उनकी संख्या १,००२ है अ ै उनसे मिलने वाली कुल रक़म ११·५ करोड़ रुपये है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के बीच ऐसा कोई समझौता है जिसके अन्तर्गत एक सरकार दूसरी सरकार को टैक्स न दे कर के भागने वालों से टैक्स वसूली में सहायता दे ? अगर हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार इस दिशा में सहयोग करती है और किस प्रकार ?

श्री एम० सी० शाह : विभाजन परिषद् की सिफारिश पर एक देश को दूसरे देश के रहने वाले व्यक्तियों से देय आयकर की पारस्परिक वसूली के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच एक क़रार हुआ था । इस क़रार के अनुसार केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की मार्फत वसूली प्रमाणपत्र के मिलने पर भारत पाकिस्तान का कलेक्टर प्रमाणित रकम की वसूली के लिये उसी प्रकार की कार्यवाही करेगा जैसी कि बक़ाया रक़म के सम्बन्ध में की जाती है । इस करार के अनसार हमने अब तक पाकिस्तान के केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास १००२ व्यक्तियों से ११·५ करोड़ रुपये की वसूली के लिये प्रमाणपत्र भेजे हैं ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : गत आर्थिक वष में ऐसे लोगों से कितनी रक़म के आयकर की वसूली हो सकी है ?

श्री एम० सी० शाह : हमें अभी तक किसी भी रक़म की वसूली की सूचना नहीं मिली है ।

श्री कामत : क्या यह सच है कि श्रीमान् हाल ही में भारतीय सेना का एक ि ा निवृत्त मुसलमान मेजर जनरल, मेजर जनरल अनीस अहमद एक लाख रुपया लेकर पाकिस्तान चला गया ?

श्री एम० सी० शाह : यह आयकर के इस मामले से कैसे उत्पन्न होता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इससे उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि यह आयकर के अपवंचन का मामला नहीं है । मेरे विचार से यदि मुझे ठीक ठीक स्मरण है तो, इस विषय के सम्बन्ध में इस सभा में प्रश्न पूछे गये थे और यह बताया गया था कि वह अपने अर्जित किये हुए लाख रुपये को लेकर चला गया था । मैं नहीं जानता कि मेरी जानकारी ठीक है या नहीं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान्, में एक निवेदन करना चाहता हूं । यह प्रश्न इस प्रकार उत्पन्न होगा । किसी को भी बिना आयकर विभाग से आयकर भुगतान प्रमाणपत्र प्राप्त किये भारत के तट को छोड़ कर जाने की अनुमति नहीं है । क्या ऐसा प्रमाण पत्र.......

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि यह सब बातें बाद को होती हैं उस समय नहीं जब कि वह यहां से गया था ।

भारतीय विमान बल की दुर्घटनायें

*१४५. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २५ जून, १९५५ को आगरा के निकट हवा में उड़ते समय भारतीय विमान बल के वायुयानों में परस्पर टक्कर हो जाने के क्या कारण थे ; और

(ख) क्या इस घटना की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). टक्कर लगने के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच न्यायालय ने अभी अपनी जांच पूर्ण नहीं की है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त डकोटा वायुयानों में कौन

कौन व्यक्ति बैठे हुए थे और हताहतों की संख्या क्या थी ?

सरदार मजीठिया : उनके नाम यह हैं : फ्लाइट लफ्टिनेन्ट के० जी० वर्गीज़, फ्लाइट लैफ्टिनेन्ट एल० वैश्य, पायलेट आफ़िसर वी० जी० काले, डब्ल्यू० ओ०आर० पिल्ले, स्क्वैडरन लीडर टी० आई० एस० गोपालन, सार्जेन्ट एच० सिंह, साजन्ट जे० सिंह, सार्जेन्ट आर० सिंह, सार्जेन्ट टी० एस० गणपति, सूबेदार बी० अयोर, सूबेदार गोविन्द खोकटे । दूसरे डकोटा में बैठे हुओं के ये नाम हैं : फ्लैग आफ़िसर एच० सिंह, साजन्ट एम० के० मैनन, सार्जेन्ट आई० बी० मुखर्जी, सार्जेन्ट ओ० पी० शर्मा, सार्जेन्ट डी० गिल, सार्जेन्ट एच० एस० जोशी, जमादार जी० सिंह और जमादार दत्तारे कदम । इन सब की मृत्यु हो गई थी ।

भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय पुलिस सेवा

*१४६. **श्री वीरस्वामी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में हुई आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासन सेवा), आई० पी० एस० (भारतीय पुलिस सेवा) तथा आई० एफ० एस० (भारतीय विदेश सेवा) की परीक्षाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हैं जो नियुक्ति के लिये चुने गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५४–५५ में आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं में भर्ती के लिये केवल एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुई है । इस परीक्षा में, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा आई० एफ० एस० के लिये बैठने वाले अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

आई० ए० एस०	३०
आई० पी० एस०	३०
आई० एफ़० एस०	२३

(ख) निर्दिष्ट सेवाओं के लिये अनुसूचित जाति का कोई भी अभ्यर्थी अर्ह नहीं पाया गया परन्तु अनुसूचित आदिम जाति का एक अभ्यर्थी अवश्य अर्ह पाया गया और उसे आई० ए० एस० में नियुक्त कर दिया गया है । अनुसूचित जाति के तीन अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं के लिये अर्ह पाये गये हैं और उनकी नियुक्तियां की जा रहीं हैं ।

श्री वीरस्वामी : इन की नियुक्तियां किन पदों पर की गई हैं या की जा रही हैं ।

श्री दातार : ब्यौरा यहां मेरे पास नहीं है ।

श्री नानादास : अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इन उच्च पदों के लिय प्रशिक्षित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री दातार : सरकार न प्रशिक्षण के प्रश्न पर विचार नहीं किया है, परन्तु कुछ विश्वविद्यालयों ने इन सभी परीक्षाओं के लिये अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का काम अपने हाथ में लिया है ।

श्री जयपाल सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपमंत्री ने अनुसूचित आदिम जातियों के एक व्यक्ति की नियुक्ति को इतना महत्व दिया है, क्या मैं जान सकता हूं कि अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बठे थे ?

श्री दातार : मेरे पास सबके आंकड़े नहीं हैं, परन्तु इतना निश्चित है कि उनकी संख्या बहुत थोड़ी है ।

कर्मचारियों को वर्दियां

*१४७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ तथा १९५२ में केन्द्रीय सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जाड़े की वर्दियों पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ ; और

(ख) कितने कर्मचारियों को इस कालावधि में जाड़े की वर्दियां दी गईं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क)

वर्ष	व्यय की गई धन राशि
	रु० आ० पा०
१९५१ . .	६९,७४६ ७ ३
१९५२ . .	१,२२,६०२ १३ ०

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या
(ख) १९५१ . .	२३९५
१९५२. . .	३२३४

श्री डी० सी० शर्मा : क्या केन्द्रीय सचिवालय के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जाड़े की वर्दियां दी जाती हैं और यदि उनमें से कुछ को नहीं दी जाती हैं तो उनको इस विशेषाधिकार से किस आधार पर वंचित किया गया है ?

श्री दातार : सरकार ने कुछ श्रेणियां निर्धारित कर दी हैं तथा सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दियां दी जाती हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : वे श्रेणियां कौनसी ह ? मैं इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री दातार : वे श्रेणियां हैं साधारण चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, दफ़तरी, अभिलेख-पाल, तथा अन्य कई प्रकार के कर्मचारी।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या ऐसी कोई शर्त है कि जाड़े की वर्दियां पाने के लिये अर्ह समझे जाने के पूर्व उन को सेवा करते कुछ वर्ष बीत चुके हों ?

श्री दातार : इस प्रश्न विशेष के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री डी० सी० शर्मा : वर्दियों पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय होता है ?

श्री दातार : जहां तक स्वयं चतुर्थ श्रेणी में अन्तर्विष्ट निम्नतर श्रेणी का सम्बन्ध ह यह लगभग ४० रुपये है, तथा जहां तक उच्चतर श्रेणी का सम्बन्ध है यह लगभग ८० रुपया है।

विधि आयोग

*१४८. **श्री एस० एन० दास** : क्या विधि मंत्री २१ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग के ठीक ठीक कृत्यों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) और (ख). भारत सरकार ने एक विधि आयोग नियुक्त करने का विनिश्चय किया है। उसके निर्देश पदों तथा सदस्यों के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र ही सभा में एक उद्घोषणा करने की आशा करती है।

श्री एस० एन० दास : क्या इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया गया है कि जिन व्यक्तियों को इस आयोग में नियुक्त किया जायेगा उनकी संख्या कितनी होगी ?

श्री विश्वास : प्रस्थापनायें मौजूद हैं। उन पर कैबिनेट द्वारा विचार किया जायेगा और घोषणा उसके पश्चात् की जायेगी।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं वह निश्चित समय जान सकता हूं जबकि सरकार

इस आयोग के सदस्यों के नाम तथा निर्देश पदों की घोषणा कर सकेगी।

श्री विश्वास : सम्भव है कि इस सप्ताह में या आगामी सप्ताह में।

श्री तिम्मय्या : क्या यह सच है कि इस आयोग के दो भाग होंगे, यदि हां, तो दो भाग बनाने का उद्देश्य क्या है ?

श्री विश्वास : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे कुछ दिन धैर्य रखें।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

*१४९. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में गवेषणा कार्य में कितने व्यक्ति लग हुए हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : ८२।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितने गवेषणा कार्यों में खोज की गयी और उनमें कितनों में सफलता प्राप्त हुई?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसका इस समय जवाब देने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि गवेषणा कार्य में लगे विशेषज्ञों को क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : उन को जो एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला और गवेषणा-शाला में साधारण तौर पर जैसी सुविधायें देने की आवश्यकता है, वह सब दी जाती हैं।

श्री राघवैया : क्या इस भौतिक प्रयोग-शाला में कुछ अभारतीय व्यक्ति भी गवेषणा कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि कर्मचारियों की स्थायी सूची में कोई अभारतीय नहीं है।

श्री कामत : बहुविज्ञप्ति सूर्यतापी चूल्हे के अतिरिक्त राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के अन्य सफल कार्य क्या हैं ?

सैनिक फार्म

*१५०. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ की रबी की फ़सल में सैनिक फारमों ने कुल कितने क्षेत्रफल में खती की ;

(ख) इस फ़सल में इन फारमों पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इन फ़ारमों की इस फ़सल की पैदा-वार का कुल मूल्य कितना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री मजीठिया) : (क) ५००२.६४ एकड़।

	रु० आ० पा०
(ख)	६,३१,२८५ २ ६
(ग)	१६,६६,२१२ ७ १०

श्री गिडवानी : इन फ़ारमों में किन चीज़ों की खेती की गई थी ?

सरदार मजीठिया : बरसीम, जई, सूजी, जापानी राई, मटरा, गेहूं, जौ, ज्वार, शोषाति जीवा (ल्यूसर्न) और कृषि की जाने वाली तथा सिंचाई की जाने वाली घासें।

श्री गिडवानी : क्या सरकार के पास सेना सेविवर्ग के खाली समय को इस काम में लगाने की कोई योजना है जैसा कि कुछ अन्य देशों में किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : पहले तो, आयव्ययक सत्र में होने वाले वाद विवादों में इस प्रश्न का अनेक बार उत्तर दिया जा चुका है, दूसरे यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र

*१५१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में एक राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रविधिक सहायता प्राप्त करने के लिये यूनेस्को से बातचीत की है ; और

(ग) यह केन्द्र कितने समय में स्थापित हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) चालू वर्ष में ही इस केन्द्र के स्थापित हो जाने की आशा की जाती है ।

डा० राम सुभग सिंह : इस राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं तथा यह केन्द्र इस देश की बेसिक शिक्षा की उन्नति में किस प्रकार सहायता पहुंचायेगा ?

डा० एम० एम० दास : इस केन्द्र का उद्देश्य सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ताओं तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये एक सुसज्जित राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में काम करना तथा देश में सामाजिक शिक्षा के सुधार के लिये एक अग्रिम केन्द्र की भांति कार्य करना है । यह केन्द्र सामाजिक शिक्षा के नेताओं और अध्यापकों को प्रशिक्षित करेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उपमंत्री ने प्रश्न संख्या १२७ के उत्तर में अभी बताया है कि आजकल जनता कालिज सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं । क्या यह नेता उन नेताओं से भिन्न होंगे जिन को कि राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र में प्रशिक्षित किया जायेगा ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : "मूलभूत शिक्षा" नाम का प्रयोग यूनेस्को द्वारा किया गया है । अपने देश में हम उसी प्रकार के पद "सामाजिक शिक्षा" का प्रयोग करते हैं । मुख्य प्रयोजन लोगों को केवल निरक्षरता की समस्या का बोध कराना ही नहीं है वरन् स्तर को ऊंचा करना भी है । इसलिये सामाजिक शिक्षा के नेताओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न किया जायेगा कि उन को जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की प्रविधि सीखने में सहायता की जाये । दिल्ली में जो केन्द्र खोला जाने वाला है वह ऐसा मुख्य केन्द्र होगा जिसमें सामाजिक शिक्षा की प्रविधियों के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य किया जायेगा तथा सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ता उच्च स्तर पर प्रशिक्षित किये जायेंगे । आशा की जाती है कि जनता कालिज सारे देश में फैल जायेंगे जहां सामुदायिक नेता आयेंगे और अपने आप को सामुदायिक सेवा के लिये प्रशिक्षित करेंगे । यह केन्द्र लोगों को अधिक उच्च स्तर पर प्रशिक्षित करेगा ।

श्री गोपाल राव : क्या यह राष्ट्रीय मूलभत शिक्षा केन्द्र मुख्यत: एक गवेषणा केन्द्र होगा या केवल एक प्रशिक्षण केन्द्र होगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या संघ सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोई राशि शिक्षा के लिये अलग कर दी गई है, प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव कैसे किया जाता है और प्रशिक्षणार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक प्रश्न में चार प्रश्न मिला दिये हैं ।

श्री गोपाल राव : क्या यह केन्द्र मुख्यत: गवेषणात्मक शिक्षा के लिये है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस शिक्षा के लिये कोई राशि विशेष अलग कर दी है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : जैसा कि सभासचिव द्वारा बताया जा चुका है मुख्य उद्देश्य सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ताओं तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये एक सुसज्जित राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करना है जो कि देश की सामाजिक शिक्षा के सुधार के लिये अग्रिम केन्द्र का काम दे। यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार की संस्था सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में गवेषणा कार्य भी करेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसके लिये कोई राशि अलग की गई है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : इस परियोजना में लगभग २,२४,१६८ रुपया खर्च होगा। इसमें १,५६,६६८ रुपये के आवर्तक तथा उपकरणों इत्यादि के लिये ६७,५००, रुपये के अनावर्तक व्यय की राशि भी सम्मिलित है।

केन्द्रीय कर

*१५२. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में केन्द्रीय सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये जाने वाले अन्य करों के रूप में कुल कितनी रक़म वसूल की ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : अस्थाई उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, १९५४–५५ में केन्द्रीय सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में क्रमशः १०,५७,००० रुपये तथा ३,००,८७५ रुपये वसूल किये। अन्य करों के लेखे में कोई वसूली नहीं हुई।

जम्मू तथा काश्मीर में ऐतिहासिक स्मारक

*१५३. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जम्म तथा काश्मीर में स्थित कतिपय ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों को भारत के पुरातत्व विभाग को सौंप देने की कोई प्रस्थापना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० म० एम० दास) : हां, श्रीमान्।

श्री विश्व नाथ राय : क्या मैं वहां के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के सम्बन्ध में जान सकता हूं ?

डा० एम० एम० दास : ऐतिहासिक महत्व के वे स्थान अभी नहीं चुने गये हैं ? माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि हमारे पुरातत्व विभाग द्वारा इन स्थानों के ले लिये जाने से पूर्व बहुत सी वैधानिक तथा विधि सम्बन्धी कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह प्रस्थापना जम्मू तथा काश्मीर सरकार की ओर से की गई थी और यदि हां, तो, वह प्रस्थापना क्या थी ?

डा० एम० एम० दास : काश्मीर संविधान सभा ने एक संकल्प पारित किया था और अपनी सरकार को यह अनुदेश दिया था कि वह हमारे गृह मंत्रालय को सूचित करे कि उस संघ सूची की मद संख्या ६७ अर्थात् पुरातत्व सम्बन्धी स्मारक आदि से सम्बन्धित मद के बारे में संघ सरकार से मिल जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राघवैया : वहां जो जनमत लिया जाने को है और जिसके परिणामस्वरूप जम्मू तथा काश्मीर राज्य का विभाजन हो जाने की सम्भावना है, उसे दृष्टि में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन ऐतिहासिक स्मारकों को अपवर्जित कर रही है जो जम्मू तथा काश्मीर के सम्भवतः दूसरी ओर चले जाने वाले क्षेत्र में आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न अभी समय से पूर्व की बात है ।

पिछड़े वर्ग आयोग

***१५४. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री के० पी० सिन्हा : सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन पर विचार करने में कितना समय लिये जाने की सम्भावना है ?

श्री दातार : इसमें कुछ महीने लगेंगे ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायगा ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : जी हां ।

श्री सत्ये नारायण सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार इस प्रतिवेदन की प्रतियां राज्य सरकारों को भेजने का है जिससे कि वे इस सम्बन्ध में अपनी प्रस्थापनायें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर सकें ?

पंडित जी० बी० पंत : राज्य सरकारों को यह प्रतिवेदन उपलब्ध होते ही भेज दिया जायेगा । इस समय यह मुद्रणालय में है ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट को इम्पलिमेंट करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पंडित जी० बी० पंत : अभी वह रिपोर्ट देखी जा रही है ।

सेना पदाधिकारी

***१५५. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेना के कतिपय पदाधिकारियों को कप्तानों तथा मेजरों के अर्ध-स्थाई पद देने का निर्णय किया है ।

(ख) यदि हां, तो इस योजना में किस वर्ग के अधिकारियों को सम्मिलित किया जायेगा ; तथा

(ग) इससे कितने पदाधिकारियों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना में नियमित सेना के चिकित्सकीय तथा पशु चिकित्सा निकायों के अतिरिक्त आपात (एमरजेंसी) कमीशन-धारी, लघु-सेवा नियमित कमीशनधारी और अस्थायी कमीशनधारी पदाधिकारी आते हैं ।

(ग) ३०५२ (९७१ तुरन्त ही तथा शेष जब वह निर्धारित सेवा अवधि को पूरा कर लें तथा निर्धारित परीक्षाओं को पास कर लें ।)

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

सरदार मजीठिया : यह योजना आरम्भ की जा चुकी है और पूर्ण रूप से क्रियान्वित किये जाने में इसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : इस योजना के वित्तीय आभार क्या होंगे ?

सरदार मजीठिया : जहां तक निवृत्ति-वेतनों का सम्बन्ध है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु अन्यथा पदाधिकारी उसी पद का वेतन प्राप्त करेंगे जो उन्हें दिया गया है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

हिन्द चीन में घटनायें

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १. श्री वी० डी० त्रिपाठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैगोन में हाल ही में घटित घटनाओं का पूरा प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दंगे की योजना पहले से ही बनाई हुई थी और वह पूर्व आयोजित थी, तथा उन्मत्त जनसमूह ने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारियों जिनमें भारतीय भी थे. की समस्त सम्पत्तियों को निश्चित पद्धति के अनुसार नष्ट भ्रष्ट किया ;

(ग) क्या वियतनामी पुलिस ने निष्क्रिय दर्शकों जैसा व्यवहार किया और दंगा करने वालों को प्रोत्साहित किया ;

(घ) क्या सरकार ने यह देखने के लिये कोई कार्यवाही की है कि आयोग के कर्मचारियों तथा भारतीयों को पहुंचायी गयी हानि की यथोचित क्षतिपूर्ति की जाए और दक्षिण वियतनामी सरकार तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों द्वारा आयोग के भविष्य में संरक्षण की एक संतोषजनक प्रतिभूति दी जाये; और

(ङ) क्या सरकार इन घटनाओं तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में एक सविस्तार वक्तव्य जारी करेगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, क्या म इस प्रश्न का क्रमवार उत्तर देने के बजाये इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूं ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री जवाहरलाल नेहरू : सरकार के पास सैगौन में २० जुलाई को हुई घटनाओं की पूर्ण सूचनायें पहुंच गई हैं। २० जुलाई को प्रथम सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद ही मैंने जिनिवा सम्मेलन को दोनों सह-सभापतियों अर्थात् सर एन्थनी ईडन तथा मिस्टर मालोतोव को जो उस समय जिनिवा में ही थे सन्देश भेजे। इसके बाद हमने दोनों को इसी विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का सर्वसम्मति से पारित संकल्प भी भेजा। मुझे उन दोनों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं। उन्होंने घटनाओं की तीव्र निन्दा की है और हमें विश्वास दिलाया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को उसके कर्तव्य पालन के कार्य में पर्याप्त संरक्षण दिलाने का सुनिश्चय करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। दोनों सह-सभापतियों ने परस्पर वार्ता भी की तथा अमेरिका और फ्रांस के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया। ऐसा समझा जाता है कि इन चारों शक्तियों ने दक्षिण वियतनामी सरकार को जोर दिया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा समुचित रीति से कार्य किये जाने के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही करे और साथ ही जिनिवा समझौते के अनुसार निर्वाचनों का आयोजन करने के लिये भी कार्यवाही करे।

जिस प्रकार तथ्य हमें बताये गये हैं वह यह हैं, कि सैगौन में कुछ दिनों से प्रदर्शन हो रहे थे। आयोग के सभापति, श्री एम० जे० देसाई परामर्श करने के लिये भारत आये हुए थे। वह वहां से सैगौन २० जुलाई को प्रातः को वापस पहुंचे। इसके थोड़ी ही देर बाद सैकड़ों नवयुवक तथा तरुण लाठियां, चाकू तथा हथौड़े लिये हुए होटल मैजस्टिक तथा होटल गेलियेन के सामने जहां वियतनाम के लिये नियुक्त अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षकीय आयोग के कर्मचारी ठहरे थे, पहुंचे। ये लोग गुटों में बंट कर इन होटलों की तमाम मंजिलों

के प्रत्येक कमरे में गये, इन्होंने कमरों के दरवाज़े तोड़ डाले, टेलीफोन के तार काट डाले, कमरों के निवासियों को धमकियां दीं तथा उनकी निजी वस्तुओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया । सभापति समेत आयोग के ४४ कर्मचारियों का सारा निजी सामान नष्ट हो गया । लाओस स्थित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के एक कनिष्ठ भारतीय सदस्य पर, जो सैगौन आया हुआ था, आक्रमण किया गया तथा उसे घायल कर दिया गया । आयोग का और कोई सदस्य घायल नहीं हुआ । आयोग की मोटर कारें जो होटल मैजस्टिक के सामने खड़ी थीं जला दी गईं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि वियतनामी सुरक्षा पुलिस ने जो इस तमाम समय होटल के बाहर मौजूद थी, लूटमार तथा आग लगाने के काण्ड को रोकने के लिये कोई हस्तक्षेप नहीं किया । जब हानि हो चुकी तथा प्रदर्शनकारी होटल छोड़ कर चले गय तब सुरक्षा पुलिस ने स्थिति को संभाला ।

इससे एसा प्रतीत होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध इन प्रदर्शनों तथा आक्रमणों की योजनायें पहले से ही तैयार कर ली गई थीं । क्योंकि पहले भी कुछ प्रदर्शन हो चुके थे, इसलिये आयोग ने १३ जुलाई को प्राधिकारियों का ध्यान विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता की ओर दिलाया था । स्पष्टतया इस प्राथना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था ।

वियतनाम सम्बन्धी जिनिवा समझौते के अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत दोनों पक्षों की सेनाओं के कमांडर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग तथा इसके निरीक्षक दलों को अपने कर्तव्य पालन के कार्य में तथा समझौते के अनुसार उन्हें सौंपे गये कार्यों के करने में पूर्ण सहयोग समस्त सम्भव सहायता तथा संरक्षण देने के लिये उत्तरदायी हैं क्योंकि जिनिवा समझौते पर वियतनाम की जन सेना के कमांडर-इन-चीफ तथा हिन्द चीन में स्थित फ्रेंच यूनियन सेना के कमांडर-इन-चीफ ने हस्ताक्षर किये हैं इसलिये दक्षिण वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की सुरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व फ्रेंच यूनियन फोर्सिज़ के कमांडर-इन-चीफ पर था । परन्तु क्योंकि दक्षिण वियतनाम में अब विधि तथा व्यवस्था के प्रशासन का नियंत्रण वियतनाम राज्य के अधीन प्रतीत होता है, इसलिये हमारे विचार से दक्षिण वियतनाम की सरकार सुरक्षा का प्रबन्ध करने की उतनी ही जिम्मेदार थी जितना कि फ्रेंच यूनियन फोर्सिज़ का कमांडर-इन-चीफ था ।

भारत सरकार ने उस आयोग का सभापत्वि केवल सम्बद्ध सरकारों द्वारा सहयोग किये जाने तथा सुरक्षा दिये जाने की निश्चित प्रतिज्ञा के आधार पर स्वीकार किया था । यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग उस समय तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उनकी पूरी सुरक्षा तथा बचाव का प्रबन्ध नहीं होता । अन्तर्राष्ट्रीय आयोग इस आशा से अपना काम जारी रखेगा कि दोनों सह-सभापतियों के प्रयत्न सफलीभूत होंगे तथा उनके आदेशों पर ध्यान दिया जायेगा ।

मैं भारत सरकार की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के तमाम सदस्यों की सराहना करता हूं कि उन्होंने एकाएक उपस्थित हो जाने वाली इस कठिनाई में अतीव साहस तथा धैर्य दिखाया ।

मैं एक और मामले के बारे में भी कह दूं, जिसका कि मुझे खेद है अभी निर्देश नहीं किया गया है, अर्थात् मुआवज़े या क्षतिपूर्ति के बारे में । यह मामला स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ही चला सकता है । भारत सरकार सीधे ही मामले में नहीं पड़ेगी । दक्षिण वियतनाम सरकार ने प्रतिकर देने को कहा है और अब

यह अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की इच्छा पर निर्भर है कि इस विषय के बारे में क्या किया जाये ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सत्य नहीं है कि दक्षिणी वियतनाम में भारत के विरुद्ध बहुत अधिक प्रचार किया जा रहा है और पोलैंड के साथ साथ भारत को भी एक साम्यवादी देश बताया जा रहा है, और जनता की भावनाओं को भारत के विरुद्ध भड़काने के लिये प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस प्रकार के प्रचार का प्रतिरोध करने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव करता हूं । हां मैं इतना अवश्य कर सकता हूं कि इसके सम्बन्ध में वहां की जनता के सम्मुख तथ्य रखे जाने चाहियें । मैं तो यह कहूंगा कि वहां की सरकार का ही प्रमुख रूप से यह कर्तव्य है कि वह इस प्रकार की भ्रांतियों को दूर करे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : तो क्या इससे यह अर्थ निकालना ठीक न होगा कि दक्षिणी वियतनाम में अपने पिट्ठुओं के द्वारा काम कराने वाले कुछ एक हित विशेष जिनिवा क़रार को, और विशेष कर उन परियोजित निर्वाचनों के कार्यक्रम को, जिनसे पूर्व उत्तर तथा दक्षिण में पारस्परिक परामर्श किये जाने की आवश्यकता है, नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? यदि हां, तो डियम सरकार तथा इसके संरक्षकों को यह समझाने के कि जिनिवा क़रार को अवश्य माना जाना चाहिए, हमारे प्रयत्नों में क्या प्रगति हुई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य किन्हीं वाह्य हितों की ओर निर्देश कर रहे हैं । स्पष्टतया दक्षिणी वियतनाम में ऐसे हित हैं जो कि इन निर्वाचनों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं और न यह चाहते हैं कि वहां पर किसी प्रकार से भी शीघ्र निर्वाचन हों । यदि माननीय सदस्य इन्हीं बाह्य हितों की ओर निर्देश कर रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्बन्धित सभी शक्तियों ने ऐसी घोषणा की है कि वे निर्वाचनों के पक्ष में हैं । अतः विपरीत कार्य करने वाले किन्हीं व्यक्तियों विशेष के सम्बन्ध में मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य है कि इस घटना के घटित होने से कुछ समय पूर्व डियम की सरकार ने एक ऐसा शासकीय संकल्प पारित किया था जिसमें कहा गया था कि वे इस अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध थे और यह कि उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया था कि यह आयोग काम न कर सके और निर्वाचन न हों ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं आपको यह बता दूं कि इन सज्जन का नाम "शियम" है न कि "डियम" । एक संकल्प पारित तो किया गया था, परन्तु किस सीमा तक यह शासकीय था, यह नहीं कहा जा सकता है । परन्तु उसकी सरकार के कई सदस्य उस संकल्प से सम्बन्धित थे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : तो यह एक शासकीय संकल्प नहीं था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उसकी सरकार के कई सदस्य, उसके कई मंत्री उससे सम्बन्धित थे । उस दृष्टि से आप इसे शासकीय कह सकते हैं, परन्तु जहां तक मुझे स्मरण है यह कोई शासकीय संकल्प नहीं था ।

श्री कामत : क्या दक्षिणी वियतनाम की वर्तमान डियम सरकार ने १९५४ के जिनिवा क़रार को स्वीकार करने का अन्तिम निर्णय दे दिया है अथवा वे उस क़रार को मान्यता देंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, श्रीमान्, उन्होंने जो स्थिति अपनाई है वह यह है कि वे इस क़रार से बाध्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे । परन्तु उन्होंने

कहा है कि यद्यपि वे उस द्वारा बाध्य नहीं हैं, तथापि वे उस करार के अनपेक्ष निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाली प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

श्री कामत : क्या वे क़रार के शेष भाग को मान्यता देंगे अथवा नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उस करार का मुख्य भाग आगामी वर्ष में होने वाले निर्वाचनों के लिये तैयारी करना है। यही मुख्य भाग है।

श्री कामत : अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की रक्षा करने के सम्बन्ध में उन्होंने क्या निर्णय किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसे वे स्वीकार करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

झंडा दिवस

*१३०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झंडा दिवस के सम्बन्ध में १९५४ में कितनी राशि एकत्र हुई ; और

(ख) उस धन का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) अन्तिम सूचना के अनुसार चन्दे की रक़म रु० ८,३२,२९२/६/९ है।

(ख) चन्दे की रक़म अभी तक ख़र्च नहीं की गई है।

केन्द्रीय शिक्षा कार्यालय

*१३५. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा कार्यालय द्वारा मई, १९५५ में दिल्ली में आयोजित किये गये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कितने पदाधिकारियों ने भाग लिया था ; और

(ख) उस पाठ्यक्रम के दौरान में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया था ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) २२ राज्य शिक्षा विभागों द्वारा नाम निर्देशित ४६ पदाधिकारियों ने।

(ख) शिक्षात्मक तथा व्यावसायिक मार्ग प्रदर्शन से सम्बन्धित प्रशिक्षण के विशेष पाठ्य क्रम का आशय प्रति नियुक्त किये गये व्यक्तियों को बच्चों के विद्यालय मार्ग प्रदर्शन के व्यापक कार्यों से परिचित कराना और उन्हें अपने राज्यों में वापिस जाने पर स्कूल मार्ग प्रदर्शन कार्यक्रम के नियोजन के सम्बन्ध में काय प्रारम्भ कर सकने के योग्य बनाना था। इस देश में सभी राज्यों के शिक्षा सम्बन्धी कार्य कर्त्ताओं के मार्ग प्रदर्शन के लिए इस प्रकार का कोई आयोजन पहले कभी भी नहीं हुआ है।

खेल तथा क्रीड़ा

*१३९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन खेलों तथा स्वास्थ्य निर्माण के लिए गवेषणा संस्थायें स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई प्रस्थापनायें हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : खेलों तथा क्रीड़ा के लिये कोई गवेषणा संस्था स्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। परन्तु शारीरिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कॉलिज की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्थापना है जिसमें गवेषणा सम्बन्धी सुविधाएं भी होंगी।

निवृत्ति-वेतन

*१४०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने निवृत्ति वेतन में अस्थायी वृद्धि का लाभ कुछ एक भाग 'ग' में के राज्यों के ऐसे निवृत्ति

वेतन प्राप्त कार्यकर्त्ताओं को भी प्रदान करने का निश्चय किया है जो कि अपने राज्यों के एकीकरण से पूर्व ही सेवा निवृत्त हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से प्रभावित होने वाले भाग 'ग' के राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) उस अस्थायी वृद्धि की दर;

(घ) निवृत्ति-वेतन में यह अस्थायी वृद्धि कब तक जारी रहेगी ; और

(ङ) भाग 'ग' राज्यों में के राज्यों में से प्रत्येक पर सरकार, प्रतिवर्ष कितना खर्च करती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल, मनीपुर तथा त्रिपुरा नामक भाग 'ग' राज्य ।

(ग) अस्थायी वृद्धि की वर्तमान दरें यह हैं :—

२० रुपये प्रतिमास से कम के निवृत्ति-वेतन	४ रुपये प्रतिमास के हिसाब से अस्थायी वृद्धि
२० रुपये प्रतिमास से अधिक परन्तु ६० रुपये प्रतिमास से कम के निवृत्ति-वेतन	५ रुपये प्रति मास के हिसाब से अस्थायी वृद्धि
६० रुपये प्रतिमास से अधिक परन्तु १०० रुपये प्रतिमास से कम के निवृत्ति-वेतन	६ रुपये प्रतिमास के हिसाब से अस्थायी वृद्धि
१०० रुपये प्रतिमास से अधिक परन्तु १०६ रुपये प्रतिमास से कम के निवृत्ति वेतन प्राप्त करने वालों को इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल १०६ रुपये प्रतिमास के हिसाब से मिलेंगे ।	

(घ) अग्रेतर आदेश प्राप्त होने तक ।

(ङ) प्रत्येक राज्य से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वातन्त्र्य आन्दोलन का इतिहास

***१४३. श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि स्वातन्त्र्य आन्दोलन के इतिहास का संकलन-कार्य रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; तथा

(ग) इस कार्य को किस प्रकार पूरा करने की प्रस्थापना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) । प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

छात्र सेना निकाय

***१५६. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र राज्य में संगठित किये गये तथा प्रशिक्षित किये गये छात्र-सेना निकायों की कुल संख्या कितनी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

निकाय	पदाधिकारी	छात्र
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय	८०	२८९०
सहायक छात्र सेना निकाय	२०४	१०,२००

खेल के अखाड़े तथा व्यायामशालायें

*१५७. **श्री वी० पी० नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन अखाड़ों तथा व्यायामशालाओं की स्थापना के लिए एक अनुान दिया है ; और

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इनकी स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता देने की कोई प्रस्थापना है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

मनीपुर सांविधानिक अधिनियम १९४७

*१५८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मनीपुर संविधानिक अधिनियम, १९४७ मनीपुर में लागू है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : उत्तर नकारात्मक है।

उड़ीसा को ऋण

*१५९. **श्री संगण्णा :** क्या वित्त मंत्री ९ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को ४ करोड़ रुपये का ऋण देने के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) और (ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार से जो ब्यौरे मांगे थे, वे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्य पुनर्गठन आयोग

*१६०. **श्री एस० एन० दास :**
श्री गिडवानी :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री के० सी० सोधिया :
श्री आर० एन० एस० देव :
श्री जेठालाल जोशी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ; तथा

(ख) आयोग अभी तक किन किन राज्यों का दौरा कर चुका है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान भारत सरकार के ७ जून, १९५५ के उस संकल्प की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि ११ जून, १९५५ के भारत सरकार के गज़ट में प्रकाशित हुआ था और जिसमें यह कहा गया था कि आयोग द्वारा अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि ३० सितम्बर, १९५५ होगी।

(ख) अन्दमान निकोबार द्वीपों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों का दौरा कर लिया है।

साहित्यिक कर्मशाला (लिटरेरी वर्कशाप)

*१६१. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से १९५३–५४ में जो साहित्यिक कर्मशालायें स्थापित की गई थीं उनमें कुल कितने प्रशिक्षार्थी आये ;

(ख) उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) जितनी पाण्डुलिपियां उनके द्वारा तैयार की गई उनमें से अभी तक कितनी प्रकाशित हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ७० ।

(ख) इसका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ग) पांच ।

जम्मू और काश्मीर में कोयला

*१६२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कोयले के विशाल निक्षेप हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की प्रस्थापना करती है ; और

(ग) क्या इस समय इस क्षेत्र में कोई कोयला खान चलाई जा रही है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय काश्मीर के भूरे कोयले (लिग्नाइट) के निक्षेपों की विस्तृत जांच भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा की जा रही है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण

*१६३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य की समस्त शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने से सम्बंधित एक योजना केन्द्र को भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सोने का चोरी छिपे लाना ले जाना

४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक १९५५ में भारत से नैपाल को चोरी छिपे ले जाते हुए कितना सोना पकड़ा गया ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : हमें १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में जानकारी है । उस वर्ष एक नैपाली के पास से, जो भारत से नैपाल को चोरी छिपे सोना ले जा रहा था, केवल २२ तोले सोना पकड़ा गया ।

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय

४७. **डा० सत्यवादी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय के बालिका विभाग में अब तक बनाये गये कनिष्ठ दलों की संख्या ; और

(ख) क्या स्कूलों में अध्ययन कर रही बालिकाओं के अतिरिक्त अन्य बालिकाओं को इस विभाग में सम्मिलित होने के लिये कोई सुविधायें दी गई हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)

(क)	सौराष्ट्र	२
	कच्छ	१
	मध्य प्रदेश	१५
	आन्ध्र	४
	मद्रास	१०

हैदराबाद	२
पश्चिमी बंगाल	५
उड़ीसा	४
बिहार	१२
उत्तर प्रदेश	४
विन्ध्य प्रदेश	१
दिल्ली	६
अजमेर	२
राजस्थान	१
पंजाब	६
पप्सू	४
हिमाचल प्रदेश	१
जम्मू और काश्मीर	२
आसाम	३
मनीपुर	१
त्रिपुरा	१
मैसूर	२
त्रावनकोर-कोचीन	३

(ख) नहीं।

अनुसूचित जातियां

४८. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्य के लिये दिये गये केन्द्रीय अनुदान में से पैप्सू में अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : कुछ भी नहीं।

जिप्सम (आचूर्ण)

४९. **श्री बर्मन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर के केन्द्रीय लवण गवेषणा केन्द्र ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जिससे कि ब्राइन (लवणाम्बु) से सोडियम क्लोराइड (क्षारातु नीरेय) निकालने के पूर्व जिप्सम (आचूर्ण) प्राप्त किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रक्रिया में कितना व्यय लगता है ; और

(ग) क्या यह जिप्सम (आचूर्ण) एमोनियम सल्फेट (तिक्ताति शुल्बीय) अथवा किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजन के काम में भी आता है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां। सिन्द्री उर्वरक कारखाना वाणिज्यिक आधार पर जिप्सम (आचूर्ण) से एमोनियम सल्फेट (तिक्ताति शुल्बीय) बना रहा है। सीमेंट, रोगन और प्लास्टर सामग्री के निर्माण में भी जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा

५०. **श्री बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ के दौरान भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा पदालियों में कितनी नियुक्तियां की गईं ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने सदस्य लिये गये ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) पहिली जनवरी १९५४ से आज तक इस प्रकार नियुक्तियां हुई हैं--

भारतीय प्रशासन सेवा	१७१
भारतीय पुलिस सेवा	८२

(ख) अनुसूचित जातियां अनुसूचित आदिम जातियां

भारतीय प्रशासन सेवा	१
भारतीय पुलिस सेवा	—

चूने का पत्थर

५१. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में आंध्र राज्य के कृष्णा जिले में चूने के पत्थर की खानें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी मात्रा में ;

(ग) क्या यह सीमेन्ट के निर्माण के लिये उपयुक्त है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उनके उपयोग की कोई योजना है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७**]

चूने का पत्थर

५२. **श्री नानादास** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम् द्वीप में पाये गये चूने के पत्थर की खानें अच्छी प्रकार की हैं ; और

(ख) यदि हां तो कितने क्षेत्र पर खान फैली हुई है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८**]

छात्रवृत्तियां

५३. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली विश्व विद्यालय की विधि फैकल्टी में कितने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्तियां दी गईं और प्रत्येक वर्ष ऐसी कितनी छात्रवृत्तियां बन्द की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि वे छात्रवृत्तियां जो लेक्चरों की कमी के कारण बन्द कर दी-गई थीं उस कमी के पूरे हो जाने पर भी फिर से चालू नहीं की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): (क) १८ छात्रवृत्तियां दी गई थीं और उन में से दो १९५४-५५ के वर्ष की दूसरी छमाही के लिए बन्द कर दी गई थीं।

(ख) और (ग). क्योंकि इन हालतों में उम्मीदवारों को १९५४-५५ के वर्ष की दूसरी छमाही में कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी उन की छात्रवृत्ति को १९५५-५६ के वर्ष में दोबारा जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु यदि वे पिछली वार्षिक परीक्षा को पास करके अगली कक्षा में दाखिल कर लिये जाते हैं और छात्रवृत्ति के लिए समय पर प्रार्थना-पत्र भेजते हैं तो उन को १९५५-५६ में नई छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जा सकता है।

दृष्टि सहाय

५४. **श्री एस० एन० दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण अ-प्रक्षिप्त दृष्टि सहायों के निर्माण के लिये मंत्रालय में एक नया विभाग खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में अब तक किस प्रणाली पर विकास हुआ है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि (१) समाज शिक्षा (२) माध्यमिक शिक्षा में उपयोगी अ-प्रक्षिप्त दृष्टि सहायों का निर्माण किया जाय ।

हिन्दी शब्द

५५. **श्री एस० एन० दास :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में प्रयोग में आने वाले कमाण्ड के शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के सम्बन्ध में सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर विचार और इस विषय में कोई निर्णय किया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). जी हां, बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं । एक अस्थायी सूची बनाई गई है जिस पर और राय लेने के लिये वह यूनिटस, आदि में भेजी गई है । कुछ शब्दों का सचमुच प्रयोग किया जा रहा है ।

हीरे की खानें

५६. **श्री एस० एन० दास :**
श्री टी० बी० विट्ठल राव :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विंध्य प्रदेश में हीरा निकालने के उद्योग के कार्य की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(ग) उसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). जी नहीं ।

शिल्प शिक्षकों का प्रशिक्षण

५७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुनियादी शिक्षा के विस्तार की योजना के अधीन, उसके आरम्भ होने के काल से, शिल्प शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये सरकार ने अभी तक जो काम किया है, उसकी प्रगति क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इसका विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]**

श्री एस० ए० वेंकटरामन्

५८. **श्री गिडवानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री एस० ए० वेंकटरामन् के विरुद्ध कार्यवाही कब प्रारम्भ हुई थी ;

(ख) कार्यवाही कब पूर्णतः समाप्त हुई ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में अब तक कुल कितना रुपया व्यय किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सरकारी कर्मचारी जांच अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही ३ मार्च, १९५३ को प्रारम्भ हुई थी तथा १७ सितम्बर, १९५३ को पदाधिकारी की पदच्युति के साथ समाप्त हुई ।

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने पर कुल ६३९५ रुपये ९ आने व्यय हुए ।

सरकारी कर्मचारी जांच अधिनियम की कार्यवाही के पश्चात् अपराध का अभियोग चलाया गया ।

श्री वेंकटरामन् को जिला न्यायाधीश ने दोषसिद्ध ठहराया । पंजाब उच्च न्यायालय ने भी अपराध का समर्थन किया और उसका दंड बढ़ा दिया । इस समय उनकी अपील उच्चतम न्यायालय में निलम्बित है । क्योंकि अभी मुकदमे की दंड प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, इसलिये इस सम्बन्ध में कुल व्यय का हिसाब नहीं लगाया जा सकता ।

निजी स्कूलों का प्रबन्ध

५९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को भारत में निजी स्कूलों का प्रबन्ध सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या डी० ६२००।५४—डी ६ दिनांक १-१०-५४ की एक प्रति, जो कि इस विषय पर राज्य सरकारों को भेजी गई है, संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०**]

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय

६०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने राष्ट्रीय छात्र सेना निकायों का संगठन किया गया है ;

(ख) कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों ने इनमें भाग लिया है तथा उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में, शिविरों के क्रम से, किस प्रकार की सामाजिक-आर्थिक गतिविधि हुई ;

(घ) (शिविर वार) सरकार का कितना व्यय हुआ ; और

(ङ) क्या सरकार इस योजना को भविष्य में भी चालू रखना चाहती है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) १९ ।

(ख) ९,११५, ५,६४,९७४ रु० ।

(ग) और (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ङ) जी हां ।

युवकों के आवास

६१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कुतुब मीनार (दिल्ली) के निकट हाल ही में स्थापित किए गए युवक आवास को कोई आर्थिक सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : वर्ष १९५३-५४ म ४,६२० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया ।

लिगनाइट (लगुज़ांगार)

६२. **श्री सुबोध हासदा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी कच्छ के लखपत तालुक के कुछ भागों में लिगनाइट की एक बड़ी खान मिली है ;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र का पूर्ण सर्वेक्षण कर लिया है ; और

(ग) क्या इस तालुक में अन्य खनिज तथा चीनी मिट्टी, जिप्सम (आचूर्ण), बौक्साइट (स्फोदिज) तथा कोयला भी उपलब्ध हैं ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२**]

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

६३. **श्री नानादास :**
श्री गोपाल राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ उपमंत्री हाल ही में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की अवस्था की जांच करने के लिये दक्षिणी भारत के दौरे पर गये थे ; और

(ख) क्या उनके इस दौरे के फलस्वरूप उनके सुधार की कोई योजना प्रस्तुत हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास सरकार से योजना बनाने को कहा गया है ।

पूंजी विनियोजन

६४. **श्री हेडा :**
श्री पी० रामस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों क्षेत्रों में किस दर पर पूंजी का विनियोजन हुआ है ;

(ख) किस प्रकार इसका निश्चय किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) १९४८-४९ से लेकर १९५३-५४ तक भारत में पूंजी निर्माण के प्राक्कलन केन्द्रीय सांख्यकी संगठन द्वारा तैयार किए गए एक विवरण पत्र में निकाले गये हैं [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ख) प्राक्कलन बनाने की प्रणाली की व्याख्या पत्र में की गई है ।

(ग) वार्षिक लक्ष्य पृथक् नहीं निकाले गये, किन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय के लगभग सात प्रतिशत के विनियोजन का लक्ष्य रखा गया है ।

राष्ट्रीय छात्र-सेना

६५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५५ में कितने विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय छात्र-सेना का प्रशिक्षण प्राप्त किया ; और

(ख) ऐसे युवकों की संख्या कितनी है जिन्होंने राष्ट्रीय छात्र-सेना का प्रशिक्षण १९५४ में प्राप्त किया और वे सेना में ले लिये गये थे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ९८,७७५ छात्र ।

(ख) ७३,५४६ छात्रों ने राष्ट्रीय छात्र सेना में १९५४ में प्रशिक्षण प्राप्त किया । राष्ट्रीय छात्र-सेना के १५१ भूतपूर्व छात्रों को सेना में लिया गया ।

युवकों के लिये होस्टल

६६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने ऐसे कितने युवकों के लिये होस्टल (यूथ होस्टल) और राष्ट्रीय पार्क बनवाये हैं, जहां पर यात्राप्रिय युवक कुछ दिनों के लिये ठहर सकें ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : कोई नहीं ।

हिन्दी पुस्तकों पर पुरस्कार

६७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अब तक किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को हिन्दी पुस्तकों के लिखने पर पुरस्कार दिया गया है जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन राज्यों के हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५४ की योजना में हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों और अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लेखकों के बीच कोई भेद नहीं रखा गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी भाषा छात्रवृति

६८. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ के दौरान विभिन्न विदेशी भाषाओं का विदेश में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये दी गयी छात्रवृत्तियों की राशि और चुने गये छात्रों के नाम क्या हैं?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : १९५५-५६ के लिए अभी छात्रवृत्ति पाने वालों का संवरण नहीं किया गया है । विभिन्न विदेशी भाषाओं के लिए छात्रवृत्ति की राशि नीचे दी जाती है :—

विदेशी भाषा का नाम	प्रति मास छात्रवृत्ति की राशि रुपये
१. अरबी	३००
२. चीनी	२००
३. फ़्रांसीसी	३७५
४. जर्मन	३४०
५. इटालियन	४५०
६. जापानी	५००
७. फ़ारसी	६५०
८. स्पेनिश	२५०
९. तुर्की	३४०
१०. रूसी	११९०

"अम्रु तारा सन्तान"

६९. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री ९ अप्रैल, १९५३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६८२ जो इस विषय का है कि उड़िया भाषा की "अम्रुतारा सन्तान" पुस्तक का अनुवाद भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं में हो, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में क्या निश्चय किया गया और क्या कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : यह मामला अभी साहित्य अकादमी के विचाराधीन है ।

दया याचिकायें

७०. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के दौरान अब तक मृत्यु दण्ड के विरुद्ध दया याचिकाओं या सजा

पाये व्यक्तियों अथवा उनकी ओर से अन्य व्यक्तियों द्वारा कितनी क्षमा-याचिकायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) कितनी याचिकायें स्वीकृत हुई ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): (क) १ जनवरी से ३० जून, १९५५ तक की अवधि में मृत्यु दण्ड प्राप्त व्यक्तियों या उनकी ओर से ११४ दया याचिकायें या क्षमा याचिकायें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) २७ बन्दियों के मामलों में मृत्यु दण्ड को कम कर के आजीवन कारावास दिया गया था ।

संयुक्त सेवा पार्श्व परीक्षा

७१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९५४ के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी प्रत्येक संयुक्त सेवा पार्श्व की लिखित परीक्षा में कितने परीक्षार्थी बैठे ;

(ख) इन परीक्षाओं में से प्रत्येक में कितने परीक्षार्थी सफल हुये ;

(ग) सफल परीक्षार्थियों में से कितने परीक्षार्थियों को १९५३ और १९५४ में सैनिक सेवा चुनाव बोर्ड के सामने भेंट (इण्टरव्यू) के लिए बुलाया गया ; और

(घ) सैनिक अकादमी में भर्ती करने के लिए १९५३ और १९५४ में सैनिक सेवा चुनाव बोर्ड ने कितने परीक्षार्थियों को चुना ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (घ). पूरी जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४]

राष्ट्रीय योजना ऋण

७२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय योजना ऋण के लिए इकट्ठी की गयी राशि में से पंजाब राज्य को कितनी राशि दी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि राज्य सरकारों को राष्ट्रीय योजना ऋण में से उतनी राशि मिल जायेगी जितनी वे खुले बाजार से इकट्ठा कर सकते यदि उन्हें स्वतन्त्र रूप से बाजार में प्रयत्न करने का अवसर मिलता । चूंकि १९५४-५५ में पंजाब राज्य के पास खुले बाजार ऋण का कोई भी कार्यक्रम नहीं था अतः उस राज्य को राष्ट्रीय योजना ऋण में से कोई राशि नहीं दी गयी ।

भारतीय विमान बल दुर्घटनायें

७३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३० अप्रैल, १९५५ तक की अवधि के दौरान सैनिक वायुयानों की कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने सेना कर्मचारियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). इस अवधि में छः दुर्घटनाओं की सूचना मिली थी जिनमें विमान बल के चार कर्मचारियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) केवल दो मामलों में दुर्घटना का कारण पता लगाया जा सका, जिससे यह मालूम हुआ कि चालक को उड़ान करते समय निर्णय में गलती हुई थी । अन्य मामलों में दुर्घटना का ठीक कारण मालूम नहीं किया जा सका ।

GIPD—H—603 L.S.D.—9-3-56—240.

लोक-सभा

वाद - विवाद

बुधवार,
२७ जुलाई, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश–चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

	स्तम्भ
वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——	
असमाप्त	४६८–५१०
अंक ६––सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र——	
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राक्कलनों का सारांश	५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना .	५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) अध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . .	५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति	५१२
समिति के लिये निर्वाचन——	
लोक लेखा समिति	५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२——	
वापस लिया गया	५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५—— पुरःस्थापित	
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . .	५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक——राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . .	५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक——	५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव——स्वीकृत	
खंड २ से १४ तथा १	५३९–५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव——स्वीकृत	५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक——	
विचार करने का प्रस्ताव——पारित	५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . .	५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव——	
स्वीकृत .	६००–६०२
अंक ७——मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . .	६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग	६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य	६०६–६०९

स्तम्भ

उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . . ६०९–६१२

दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६१२–६१७

खण्ड २ से ६ और १ ६३७

संशोधित रूप में पारित . ६३७–६३८, ६६१

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य ६८७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६८७

पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य ६८८–६८९

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . ६८९

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

विधेयक—पुरःस्थापित . ६८९–६९०

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ६९०–७९०

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य ७९१–७९३

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—

पुरःस्थापित ७९३

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण ७९३

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)

विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया ७९३–८१८

श्री पाटस्कर ७९३–८१७

दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ८१९–८५१

खण्ड २ से २२ और १ ८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१–८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४–८९६
अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७–९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६ और १	९००–९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१–९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	
असमाप्त	९०५–९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६–९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१–९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)—पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२–९४३, ९५८–९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३–९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७–९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक-.	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	९८०
अंक ११--सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र--	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति-- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२--मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३--बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	११३८–१२१०

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुरःस्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

लोक सभा

बुधवार, २७ जुलाई, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये-भाग १)

११-४५ म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २४ से २९

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास): परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन मैं निम्न आदेशों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २४, भारत के असाधारण सूचना पत्र, दिनांक २५ अप्रैल १९५५, भाग २, शाखा ३ में, प्रकाशित ।

(२) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २५, भारत के असाधारण सूचनापत्र, दिनांक २६ अप्रैल, १९५५ भाग २, शाखा ३ में प्रकाशित ।

(३) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २६, भारत के असाधारण सूचना पत्र, दिनांक २७ अप्रैल, १९५५ भाग २, शाखा ३ में प्रकाशित ।

(४) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २७, भारत के असाधारण सूचनापत्र, दिनांक २३ मई, १९५५, भाग २, शाखा ३ में प्रकाशित ।

(५) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या. २८, भारत के असाधारण सूचनापत्र, दिनांक २५ मई, १९५५, भाग २, शाखा ३ में प्रकाशित ।

(६) परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या २९ , भारत के असाधारण सूचनापत्र, दिनांक, २६ मई, १९५५ भाग २, शाखा ३ में प्रकाशित ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये क्रमशः संख्या एस–२१७।५५, एस–२१८।५५, एस–२१९।५५, एस–२२०।५५, एस २२१।५५ और एस–२२२।५५]

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८, की धारा १० के अधीन मैं खनिज और पैट्रोलियम रियायत नियम, १९४९ में कुछ संशोधन करने वाली निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या एम २–१५९ (७)।५४ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५४ ।

(२) अधिसूचना संख्या एम २–१५९ (१६)।५४ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५४ ।

[श्री के० डी० मालवीय]

(३) अधिसूचना संख्या एम २–१५२(११२)।५४ दिनांक ३१ जनवरी १९५५ ।

(४) अधिसूचना संख्या एम २–१५९ (५)।५४ दिनांक १ फरवरी, १९५५ ।

(५) अधिसूचना संख्या एम २–१५२(३३)।५४ दिनांक ४ फरवरी, १९५५ ।

(६) अधिसूचना संख्या एम २–१५९(२)।५५ दिनांक २८ फरवरी, १९५५ ।

(७) अधिसूचना संख्या एम २–१६७(१)।५५ दिनांक १ मार्च, १९५५ ।

(८) अधिसूचना संख्या एम २–१५९(२१)।५३ दिनांक २६ अप्रैल, १९५५ ।

(९) अधिसूचना संख्या एम २–१६७(१)।५४ दिनांक २९ अप्रैल, १९५५ ।

(१०) अधिसूचना संख्या एम २–१५९(३)।५५ दिनांक २७ मई, १९५५ ।

(११) अधिसूचना संख्या एम २–१५२(२३२)।५३ दिनांक २२ जून, १९५५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२२३।५५]

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संम्बन्धी समिति

इकतीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री ए० सी० गुहा द्वारा कल प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेगा :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ में और आग संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : कल मैं ने कहा था कि यह विधेयक जांच समिति की दो महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । एक यह है कि वैतनिक अध्यक्ष का एक पद निकाला जाये । वह निगम का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होगा और एक महाप्रबन्धक उस की सहायता करेगा । इस के फलस्वरूप प्रबन्ध निदेशक और उप प्रबन्ध निदेशक के दो पद हटा दिये जायेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दूसरी सिफारिश यह है कि कार्यपालिका समिति के स्थान पर कोई और समिति बनाई जाये । कार्यपालिका समिति का एक विशिष्ट अर्थ है और जांच समिति ने 'ऋण समिति' का सुझाव दिया था । जहां तक 'कार्यपालिका समिति' इन शब्दों के हटाने और इस के कृत्यों तथा कर्तव्यों में संशोधन करने का सम्बन्ध है, सरकार ने जांच समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है ।

लेकिन सरकार न जांच समिति द्वारा सिफारिश की हुई शर्तों को स्वीकार नहीं किया । क्योंकि ऋण समिति का अभिधान अत्यन्त सीमित रहेगा । बोर्ड इस के लिये स्वतन्त्र होगा कि वह कोई भी समिति अथवा उप-समिति बना कर उस के द्वारा कार्य करे । सरकार ने कार्यकारी समिति के स्थान पर केन्द्रीय समिति का निर्णय कर लिया है

और बोर्ड इस समिति को आवश्यक शक्तियां प्रदान कर देगा ।

जांच समितियों की इन दो सिफारिशों के अतिरिक्त कुछ और विषय भी इस विधेयक के अन्तर्गत रखे गये हैं। निगम के कार्य-संचालन और नवम्बर, १९५२ की चर्चाओं से भी सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय किया है । वर्तमान अधिनियम के अनुसार, ऐसी कोई भी व्यापार संस्था जो कुछ समय से उत्पादनलीन नहीं है, औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है । सरकार अनुभव करती है कि कुछ उद्योगों का शीघ्र विकास करन की दृष्टि से अभी तक उत्पादन आरम्भ न करने वाले नवीन उद्योगों के लिये आवश्क है कि वे इस निगम से ऋण पान के अधिकारी हों । सभा ने कुछ वर्ष पूर्व राज्य वित्त निगमों के लिये एक विधेयक पारित किया था। उस अधिनियम के अन्तर्गत लगभग सभी राज्यों ने राज्य वित्त निगमों की स्थापना कर दी है । ये निगम भी इस कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं । वे हमें बार बार लिख रहे हैं कि औद्योगिक व्यापार संस्थाओं की परिभाषा में ऐसा संशोधन कर दिया जाये कि वे नये उद्योग भी इस में सम्मिलित किये जा सकें जिन की हाल ही में स्थापना हुई है । और जिन्हों ने उत्पादन आरम्भ नहीं किया है । यह विधेयक औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगम अधिनियम--दोनों के लिये औद्योगिक उद्योगों की परिभाषा में संशोधन की व्यवस्था करेगा। इसी लिये इस का नाम औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक है । इस विशेष मामले में यह विधेयक दोनों अधिनियमों में संशोधन करेगा ।

प्रस्तुत अधिनियम के अनुसार निगम को कुछ सम्पत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है । लेकिन अधिनियम में एक ऐसा उपबन्ध है जिस में बताया गया है कि निगम किस प्रकार इन सम्पत्तियों का निपटारा कर सकता है । अतः एक दृष्टि से निगम द्वारा अधिगृहीत सम्पत्ति ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह एक प्रकार का भार है । धारा ४ में निगम द्वारा अधिगृहीत सम्पत्तियों को निपटाने के लिये एक विशेष प्रक्रिया का उपबन्ध दिया गया है । प्रस्तुत अधिनियम के अनुसार हम अधिगृहीत सम्पत्ति को बेच सकते हैं लेकिन हम इसे किसी व्यक्ति को पट्टे पर नहीं दे सकते, कम से कम विधि संम्बंधी स्थिति स्पष्ट नहीं है यह भी निगमों के लिये एक उलझन सिद्ध हुई है । कुछ मामलों में निगम के लिये सम्पत्ति को एक दम बेच देने की अपेक्षा उसे पट्टे पर उठा देना अधिक सुविधाजनक होगा। खण्ड १६ में हम ने उपबन्ध किया है कि निगम की सम्पत्तियों को पट्टे पर भी उठाया जा सकता है ।

अधिनियम में एक दूसरा उपबन्ध भी है कि निगम द्वारा प्राप्त अंशों और स्कंधों को ७ वर्षों में बेच देना पड़ेगा । शाफ समिति अर्थात् रिजर्व बक द्वारा गैर-सरकारी उद्योगों की पूंजी की जांच करने के लिये नियुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि इस खण्ड में संशोधन किया जाना चाहिये ताकि निगम अंशों और स्कंधों को ७ वर्ष से अधिक अवधि तक भी रख सकें। खण्ड १६ में हमने उपबन्ध किया है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निगम अंशों तथा स्कंधों और अन्य औद्योगिक संस्थाओं को ७ वर्षों से अधिक समय के लिये रख सकता है ।

दूसरा उपबन्ध औद्योगिक व्यापार संस्था द्वारा निगम को प्रबन्ध का परिवर्तन करना है । यह परिवर्तन किस प्रकार हो सकता है । इस की विधि सम्बन्धी स्थिति वर्तमान अधिनियम में स्पष्ट नहीं है। एक औद्योगिक व्यापार संस्था ने कुछ ऋण लिया हो और बाद में उसे नहीं चुका सकी हो । इस प्रकार की संस्था के सम्बन्ध में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि

[श्री ए० सी० गुह]

उस का प्रबन्ध किस प्रकार निगम को परिवर्तित किया जा सकता है । केवल न्यायालय से इस प्रकार का आदेश प्राप्त कर लेने से कोई लाभ नहीं होगा । इस से कार्य सिद्धि नहीं होगी ।

अतः धारा १३ में एक ऐसे उपबन्ध को सम्मिलित करने का विचार है कि इस धारा के अधीन न्यायालय द्वारा किसी औद्योगिक संस्था के प्रबन्ध को निगम के हाथ में हस्तान्तरित करने के लिये दिये गये आदेश का पालन यथासम्भव उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि वह आदेश व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन अचल सम्पत्ति पर अधिकार करने की आज्ञप्ति हो और वह निगम आज्ञप्ति प्राप्तकर्ता हो ।

एक और खण्ड है । निगम को कुछ विनियम बनाने का अधिकार होगा पर यह विनियम रिजर्व बैंक (रक्षित बैंक) के पूर्व-परामर्श और केन्द्रीय सरकार की अनुमति से बनाये जायेंगे पर कर्मचारी विनियम--जिन्हें सरकार बहुत महत्वपूर्ण विनियम मानती हैं--धारा ४३ के अधीन नहीं बनाये जायेंगे जिस में रिजर्व बैंक का पुर्व-परामर्श और केन्द्रीय सरकार की अनुमति की व्यवस्था की गई है । अतः इस विधेयक में हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि कर्मचारी विनियम भी धारा ४३ के अधीन बनाये जायेंगे, रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श और केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ।

जैसा कि मैंने कल बताया था, सरकार ने वस्तुतः जांच समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है । मैं बता चुका हूं कि केवल चार सिफारिशों को भली प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया गया है। जहां तक सिफारिश संख्या ९ का संबंध है, उस का केवल एक भाग कार्यान्वित किया गया है । सिफारिश संख्या २२ के सम्बन्ध में भी केवल एक भाग ही कार्यान्वित किया गया है। सिफारिश संख्या २८ और ३२ को न कार्यान्वित किया गया दिखाया गया है, पर मैं समझता हूं कि हम लोगों ने कम-से-कम सिफारिश संख्या २८ को तो कार्यान्वित कर दिया है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि सरकार द्वारा एक निदेश जारी किया जाना चाहिये कि आगामी तीन वर्षों में किसी भी संस्था को ५० लाख से अधिक दिया जाने वाले ऋण की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय के अनुमोदन पर ही दी जाय । इस संबंध में सरकार के संकल्प द्वारा निगम और सरकार दोनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गयी है । यह उत्तरदायित्व निगम का होना चाहिये कि किस संस्था को कितना ऋण दिया जाय । सरकार को चाहिये कि वह निगम के वास्तविक उत्तरदायित्व का हरण न करें और न उन के उत्तरदायित्व के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे, पर अभी हमें निगम को एक निदेश भेजना है कि किसी संस्था के ५० लाख से अधिक ऋण के आवेदन पत्र को केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया जाय । हो सकता है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रस्तावों की छानबीन करने के बाद, यदि आवश्यक समझे तो उस में हस्तक्षेप करे, किन्तु साधारणतया यह उत्तरदायित्व निगम का ही होगा कि किसी संस्था को ५० लाख रुपये से अधिक ऋण दिया जाय या नहीं । हमारे निदेश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को ऐसे आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सूचित कर दिया जाना चाहिये, ताकि केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने का विकल्प मिले ।

जहां तक सिफारिश संख्या ३२ का संबंध है, औद्योगिक संस्थाओं की परिभाषा के सम्बन्ध में "माल की तैयारी" में चाय की पत्तियों से चाय बनाना, लेटेक्स से रबर बनाना, दुग्ध उत्पादकों तथा फलों और तरकारियों को डिब्बों में बन्द करना भी सम्मिलित कर

लिया जाये, यह तो एक प्रक्रियात्मक मामला है और मैं समझता हूं कि अब तक निगम को कोई कठिनाई नहीं हुई होगी और मेरा विचार है कि वर्तमान अधिनियम के अधीन भी निगम को काफी गुंजाइश है कि वह यदि सब नहीं तो इस में से कम-से-कम कुछ को तो सम्मिलित कर लें ।

अतः मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जांच समिति की सभी सिफारिशें किसी न किसी हद तक सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं और मुझे आशा है कि सभी को इस बात की प्रसन्नता होगी कि नवम्बर १९५२ में सभा में प्रस्तुत की गयी मांगों को सरकार ने जांच समिति नियत करके और तदुपरान्त उस की सिफारिशों को कार्यान्वित करके, स्वीकार कर लिया है ।

मैं आशा करता हूं कि अब सभा विधेयक को उस रूप में, जिस में वह उपस्थापित किया गया है, पारित करने के लिये राजी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रत्येक सदस्य को २० मिनट का समय मिलेगा । विशेष अवस्था में १० मिनट और मिलेंगे ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा): औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ का संशोधन समय-समय पर होता रहा है । आज हम निगम के कार्यक्षेत्र, अधिकारों, संगठन और कार्यप्रणाली का विस्तार करने के लिये नवीनतम संशोधन कर रहे हैं ।

मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू और काश्मीर राज्य को भी इस अधिनियम के अधीन निगम के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है । इस प्रकार यह सम्पूर्ण भारतीय संघ में कार्य करेगा ।

इस संशोधन के अनुसार निगम को केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने, अंशों और ऋण पत्रों के खरीदने और उन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ७ वर्ष से अधिक तक रखने का अधिकार दिया जा रहा है । और जैसा कि प्रस्तावक ने बताया है, उद्योग की परिभाषा को भी समुचित रूप में संशोधित कर दिया गया है ।

निगम के संगठन म भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं । नाम निर्देशित निदेशक की संख्या ३ से ४ कर दी गई थी पर अब प्रबन्ध निदेशक और प्रबन्ध उपनिदेशक के पदों को हटा दिया जायेगा । और उस के स्थान पर एक पूर्ण-कालीन प्रधान होगा । यह महत्वपूर्ण मामले हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिये । मैं अब अन्तिम बात अर्थात् निगम की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

निगम ने निःसन्देह काफी उन्नति कर ली है । २० लाख रुपये से अधिक ऋण दिया जा चुका है और १०८ उपक्रमों को वित्तीय सहायता मिल रही है । पर मैं देखता हूं सरकार का रुख जैसा कि निगम के छठे वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित सरकार के संकल्प में संकेत किया गया है, संतोषजनक नहीं है । संकल्प में जो कुछ कहा गया है उस का अभिप्राय यह है कि सरकार इस बात में निगम के विरुद्ध है कि बाद में ऋण को साधारण अंश पूंजी में परिवर्तित किया जाय । ब्रिटेन जैसे देशों में भी ऐसे वित्तीय निगमों को केवल ऐसा अधिकार ही नहीं बल्कि वे वास्तव में ऐसा करते भी हैं । इटली में भी इसी प्रकार का एक निगम है जो ऋण-पत्र जारी करता है और जो औद्योगिक संस्था उस निगम की वित्तीय सहायता से बढ़ती है उस की सम्पन्नता में वित्तीय निगम को भी एक अंश मिलता है ।

मुझे खेद है कि जब एक साधारण सा परिवर्तन किया गया है कि सात वर्ष से अधिक के लिये अंश या ऋण-पत्र दिये जा सकते हैं,

[श्री अशोक मेहता]

तो भी मूल बात वसी ही रहती है क्योंकि उस में बताया गया है कि औद्योगिक वित्त निगम को यथा संभव ऐसे अंशों को खरीदने या साधारण अंश-पूंजी में भाग लेने से बचाना चाहिये ।

निगम के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि भारत में औद्योगिक विस्तार के शिल्पिक और वित्तीय पहलुओं के संबंध में बहुत कुछ कमियां हैं । उस में बताया गया है कि योजना के प्रारम्भ करने के पूर्व योग्य परामर्शकों से प्रविधिक परामर्श किया जाना चाहिये । सम्पूर्ण पूंजी, उसका विभाजन, उत्पादन की योजना उत्पादन मशीन की उपयुक्तता और प्रविधिक कर्मचारियों, आदि अनेक पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है । सुचेता कृपलानी समिति के सुझाओं की ओर दुर्भाग्यवश कोई ध्यान नहीं दिया गया है । उस समिति का सुझाव था कि औद्योगिक वित्त निगम तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को सम्मिलित प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि इस समय इस निगम के पास आवश्यक प्रविधिक कर्मचारी भी नहीं हैं और ऐसे कर्मचारियों को प्राप्त करने में निगम को बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ेगा जो निगम के लिये बहुत अधिक होगा । अतः मैं समझता हूं कि इस प्रकार की संस्थाओं का सम्मिलित प्रयत्न आवश्यक है ।

मैक्सिको में भी एक इस प्रकार की संस्था है, जो सभी प्रकार की शिल्पिक (प्रविधिक) और वित्तीय सहायता वहां के नये उपक्रमों को देती है । पर हमारे देश में इस के विपरीत सारा बोझ औद्योगिक उपक्रमों पर ही डाल दिया जता है । इन में से बहुतों के पास पर्याप्त क्षमता नहीं होती । और कई बार उन्हें आगे आने वाली कठिनाइयों का पता भी नहीं होता । अतः यदि उपक्रमों को दी जाने वाली राशियों को सुरक्षित रखना है और भारत में औद्योगिक विकास करना है तो इन सभी उपक्रमों को—चाहे समुचित मूल्य पर ही—शिल्पिक (प्राविधिक) तथा अन्य प्रकार की सहायता देना आवयक है ।

औद्योगिक वित्त निगम को केवल सामान्य तथा दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था नहीं समझना चाहिये । उसे नये उपक्रमों का पालन-पोषण करना और देखभाल करना भी है और यह काम तभी हो सकता है जब उस के पास शिल्पिक (प्राविधिक) तथा गवेषणा संगठन हों । सुचेता कृपालानी समिति न इस विषय में बड़ी समझदारीपूर्ण सिफारिशें की थीं पर दुःख है कि उन पर ध्यान नहीं दिया गया ।

बड़े आश्चर्य की बात है कि निगम द्वारा प्रकाशित किये गये प्रतिवेदनों में केवल रूपरेखा रहती है । सरकार ने ३ अप्रैल १९५४ को एक निदेश दिया था कि निगम के वार्षिक प्रतिवेदन यथा संभव विस्तृत होने चाहियें और विशेषतया उन क्षत्रों के उद्योगों का सामान्य अवलोकन होना चाहिये जिन में निगम ने ऋण दे रखे हैं ।

५ अगस्त १९५४ का प्रतिवेदन भी बहूत सूक्ष्म सा है । सातवां प्रतिवेदन अभी हम लोगों के सामने नहीं आया । जब तक इन प्रतिवेदनों से हमें स्पष्टतया इस बात का पता न चले कि जिन उपक्रमों में हम ने बड़ी बड़ी राशियों का विनियोजन किया है उन की कार्य-प्रणाली का ब्योरा क्या है तब तक हमें इस बात का कुछ भी पता नहीं लगता कि हमारी विनियोजित पूंजी का क्या भविष्य होगा ।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस निगम के प्रतिवेदन वास्तव में विस्तृत और पूरी सूचना देने वाले हों ।

एक सरकारी निदेश के अनुसार न्यूनतम सीमा ५० प्रतिशत होनी चाहिये और विशेष परिस्थितियों में ही यह सीमा ५० प्रतिशत

से कम होनी चाहिये। पर जब हम दिये गये सम्पूर्ण ऋणों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि १०८ समवायों को २०,७३,७५,००० रुपये दिये गये हैं। इन समवायों की परिदत्त पूंजी ३७,६४,४४,००० रुपये है। आप जान जायेंगे कि सम्पूर्ण सीमा ५० प्रतिशत से कम है। पर अलग अलग आंकड़ों को देखने से पता लगेगा कि उन की स्थिति और भी खराब है।

मैं देखता हूं कि कुम्भकारी और शीशा उद्योग के ८ एककों को ऋण दिये गये हैं और प्रार्थित पूंजी पर दिये गये ऋणों का अनुपात १०५ और १०० है। यांत्रिक इन्जिनियरिंग के ५ एकक हैं। इन का अनुपात ८२ है। इसी प्रकार धातुकार्मिक उद्योग में १०२ है। इन १६ एककों में सीमा ५० से बढ़ कर ८२,८३,१०२ और १०५ हो गई है। मैं नहीं चाहता कि निगम ऐसे महत्वपूर्ण निदेश की अवहेलना करे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह केवल परिदत्त या प्रार्थित पूंजी पर ही निर्भर है, और समवाय की आस्तियों पर नहीं ?

श्री ए० सी० गुह : अधिकतर, यह आस्तियों पर—५० प्रतिशत आस्तियों पर निर्भर होता है—परिदत्त या प्रार्थित पूजी पर नहीं।

श्री अशोक मेहता : बहुधा यह कहा जाता है कि निगम द्वारा दिया गया ऋण समवाय की आस्तियों को बढ़ाता है। पर यह एक उलझा हुआ तर्क है। परन्तु निदेश में ५० प्रतिशत की सीमा रखने की बात कही गयी है। एक दो मामलों में इस की अवहेलना की जा सकती है, पर हम देखते हैं कि चार उद्योगों में और १६ संस्थाओं के सम्बन्ध में सीमा में अन्तर रखा गया है। सुचेता कृपालानी समिति ने यही आरोप लगाया था कि यह सीमा घट कर १७ प्रतिशत हो गई थी। यद्यपि बोर्ड ने यह कहा है कि सीमा १७ प्रतिशत से कम नहीं हुई है तथापि मुझे उपलब्ध जानकारी से ज्ञात हुआ है कि किन्हीं मामलों में यह सीमा और पांच और दो प्रतिशत कम हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने आस्तियों के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े इकट्ठे किये हैं।

श्री अशोक मेहता : ये आंकड़े प्रतिवेदन में नहीं दिये गये हैं। पृथक रूप से इन का संकलन करना सम्भव नहीं है।

दूसरी बात ऋणों की औसत राशि के सम्बन्ध में है। छठे वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, यद्यपि वर्ष १९५३–५४ में अधिकतम ऋण मांगा गया, तथापि प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या न्यूनतम थी। जिस के तात्पर्य यह हैं कि कम एककों को लाभ हो रहा है छठे वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार केवल एक नई फैक्टरी खोलने के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है। पांचवें प्रतिवेदन के अनुसार ५४ नये उपक्रमों को ७,८०,७०,००० रुपये का ऋण दिया गया तथा ४५ पुराने उपक्रमों को ७,६६,००,००० रुपये की सहायता दी गई। छठे प्रतिवेदन के अनुसार ५२ नये उपक्रमों को ९,७०,००,००० रूपये का और ५६ पुराने उपक्रमों को ११,०३,७५,००० रुपये का ऋण दिया गया। मुझे प्रसन्नता है कि इस अधिनियम में इस उद्देश्य से संशोधन किया जा रहा है जिस से कि नये उपक्रमों को सहायता दी जा सके। किन्तु नये और पुराने उपक्रमों में उपयुक्त संतुलन बनाये रखने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। लेकिन छठे प्रतिवेदन में यह संतुलन नहीं रखा गया है।

अधिकतम ऋण की सीमा भी ५० लाख से बढ़ा कर एक करोड़ कर दी गई है। फलस्वरूप ४० प्रतिशत अर्थात् ऋण का २० प्रतिशत बड़े ऋणों में दिया गया है। किन्तु मैं यह अन-

[श्री अशोक मेहता]

भव करता हूं कि हमें बड़ी इकाइयों की अपेक्षा छोटी इकाइयों पर अधिक ध्यान देना चाहिये, क्योंकि भारत में हम जिस प्रकार की अर्थ व्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, उस को ध्यान में रखते हुए बड़ी इकाइयों पर अधिक ध्यान देना उचित नहीं ।

युद्धोतर जापान में, एक उल्लेखनीय प्रयोग किया गया, जिसे हम विकेन्द्रीकरण कह सकते हैं। १९४५ से १९४९ तक जापान में अंशों की संख्या में पांच गुना वृद्धि हुई जबकि अंशधारियों की संख्या १५ लाख से बढ़ कर ४० लाख हो गई। यह सरकार की उस नीति के फलस्वरूप हुआ जिस के द्वारा समवायों के कर्मचारियों को भी अंशधारी बानाने का विशेष प्रयत्न किया गया, लेकिन भारत की दशा इस के विपरीत है। इस में सन्देह नहीं कि यहां का व्यावसायिक जगत अपेक्षाकृत छोटा है, इसीलिये हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि यह लघुता चिरस्थायी न रहे ।

मैं न उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् में यह चेतावनी दी थी कि हमें इस बात से सावधान रहना चाहिये कि औद्योगिक विकास विस्तृत न हो कर गहन तो नहीं हो रहा है । मैं मत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि जारी किये जाने वाले निदेशों में, विकेन्द्रीकरण पर भी विचार किया जाय तथा नये उपक्रमों में वहां के कर्मचारियों को अंश खरीदने का अवसर प्रदान किया जाये ।

वर्ष १९४८–४९ से ले कर वर्ष १९५३–५४ तथा हम सदैव औसत तीन से साढ़े तीन करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ऋण देते रहे हैं। ये आंकड़े इन आठ वर्षों में भी लगभग वहीं रही हैं । हमें आशा करनी चाहिये कि निगम इस ऋण में वृद्धि करेगा क्योंकि अब धन की इतनी कमी नहीं रही है, जितनी कि पहिले थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आवेदन पत्र देने के समय से ऋण मंजूर होने तक सामान्यतः कितना समय लगता है ?

श्री अशोक मेहता : यह समय एक से सात महीनों तक हो सकता है । पूरी जानकारी उपलब्ध होने पर अधिक समय नहीं लगता किन्तु जब पूरी जानकारी उपलब्ध न हो और कुछ त्रुटियां हों तो पर्याप्त समय लग सकता है ।

एक अन्य कठिनाई यह है कि ऋण मंजूर हो जाने पर भी इस राशि का व्यय करने में पर्याप्त समय लगता है। प्रथम चार या पांच वर्षों में दिये गये तथा मंजूर हुए ऋण का अनुपात ५०:१०० था । आपका प्रश्न बहुत उपयुक्त है । साथ ही ऋणों के व्यय किये जाने का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा निगम को बहुत ब्याज देना पड़ेगा । इसलिये किसी-न-किसी प्रकार का वचनबद्ध ब्याज होना चाहिये, इस की दर क्या हो यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका होना आवश्यक है । मुझे हर्ष है कि हाल के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यह विचार स्वीकार कर लिया गया है ।

इस अधिनियम के अधीन निगम तीन बातें कर सकता है । वह ऋण मंजूर कर सकता है वह निधि पत्र, अंश तथा ऋणपत्रों को जारी करने का अन्तर्लेखन कर सकता है । वह ऋण ले सकता है और ऋण पत्र खरीद सकता है इस समय केवल तीसरे प्रकार का कार्य ही किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी यह बतायें कि अन्य दो प्रकार के कार्य क्यों नहीं किये जा रहे हैं ।

पहिले वार्षिक प्रतिवेदन म कहा गया है कि सम्बन्धित सार्थ के ऋण की प्रत्याभूति निदेशक अथवा साझेदारों को व्यक्तिगत रूप में देनी होगी किन्तु सातवें वार्षिक प्रतिवेदन

के आने तक यह सिद्धान्त अमान्य कर दिया गया ।

दूसरा विवादग्रस्त प्रश्न यह है कि निगम के वे निदेशक, जो कि अन्य सार्थों के भी निदेशक या साझेदार या अंगधारी हैं, उन्हें अपने सार्थों के लिये ऋण लेने का अधिकार छोड़ देना चाहिये । सुचेता कृपालानी समिति का भी यही मत था और महा लेखा-परीक्षक ने भी इसी मत का समर्थन किया । किन्तु बोर्ड इस प्रकार का विभेद करना पसन्द नहीं करता, और सरकार भी इसी पक्ष में है कि विभेद न किया जाय । लेकिन जब केवल एक व्यक्ति को छोड़ कर और सभी निदेशक समय-समय पर बदले जायेंगे, तब केवल उसी अवधि के दौरान उन व्यापार संस्थाओं को जिनमें वे व्यक्ति प्रत्यक्ष सम्बन्धित हों, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलनी चाहिये । यदि दो या तीन वर्ष तक कोई व्यक्ति बोर्ड में रहता है और उस दौरान उसे कोई सहायता नहीं मिलती तो उस से कौन सी गम्भीर हानि हो जायेगी । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह पुनः एक बार इस प्रश्न पर विचार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मूल अधिनियम में एक ऐसा उपबन्ध है कि यदि कोई निदेशक किसी ऐसी व्यापार संस्था के लिये ऋण का आवेदन करे जिस से वह सम्बन्धित हो तो सरकार की मंजूरी लेनी होगी ।

श्री अशोक मेहता : फिर भी सरकार उस में अन्तग्रस्त हो जाती है । मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु इतना अवश्य चाहता हूं कि हम एक स्वस्थ परम्परा को आरम्भ करें जिस से प्रथम बीस या तीस वर्षों के अन्दर संदेह होने की कोई गुंजायश ही न रहे ।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रबन्ध निदेशक के स्थान पर प्रधान की नियुक्ति होगी । प्रधान अनुभवी व उपयुक्त दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होना चाहिये । बोर्ड के दूसरे वर्ष के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हाल के राजनैतिक परिवर्तनों के कारण, राजाओं तथा जमींदारों से रुपया न मिलने से निगम के भावी कार्यक्रम में बहुत सी रुकावटें पैदा हो गई हैं । अब, जब कि सभा ने निश्चय किया है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को समाजवादी ढांचे पर ढाला जाय तो इस प्रकार के दृष्टिकोण वाले प्रधान की नियुक्ति से क्या लाभ होगा ? जब कि प्रधान मंत्री ने उद्योग की व्यवस्था में श्रमिकों के भाग लेने की प्रशंसा की है तथा श्रम मंत्री ने भी अपनी एक टिप्पणी में जो कि उन्हों ने योजना आयोग को भेजी थी कहा है कि उद्योग की व्यवस्था में श्रमिकों को भी भाग लेना चाहिये और कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक पच्चीस प्रतिशत निदेशकों का चुनाव कर्मचारियों द्वारा होना चाहिये, तब उक्त नीति को अपना लेने से कई प्रकार की जटिलतायें तथा उलझनें पैदा हो सकती हैं, अतः प्रधान ऐसा होना चाहिये जो कि व्यापक सामाजिक तथा राजनैतिक नीति के प्रति जागरूक हो ।

अन्त में, मैं यह जानना चाहूगा कि केन्द्रीय तथा राज्य निगमों में समन्वय स्थापित करने के लिये किया जा रहा है । केन्द्रीय तथा राज्य उद्योगों में एकरूपता बनाये रखना आवश्यक है । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह वार्षिक प्रतिवेदन में केन्द्र तथा राज्य निगमों के समन्वय के सम्बन्ध में भी कुछ संकेत किया करें । मुख्य प्रश्न विधेयक के संशोधन का नहीं है । मैं निगम के कार्य की चर्चा करना चाहता हूं । क्योंकि उसकमें ई त्रुटियां हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देते समय उक्त बातों का स्पष्टीकरण करें ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर-उत्तर) : मुझे विश्वास है कि सभा औद्यो

[श्री वी० बी० गांधी]

वित्त निगम अधिनियम, १९४८ के इस संशोधन का हार्दिक समर्थन करेगी, इस समय मैं अपने वक्तव्य को उन सुधारों तक ही सीमित रखूंगा जो कि इस विधेयक के पारित होने के फलस्वरूप प्राप्त होंगे ।

सब से पहिली बात जो समिति के ध्यान में आई, यह थी कि मूल अधिनियम के अनुसार निगम का प्रबन्ध तथा उस का कार्य बहुत त्रुटिपूर्ण था। क्योंकि उस के अनुसार प्रबन्ध का अधिकार निदेशकों के बोर्ड को था और उस में साथ ही यह भी उपबन्ध था कि "अधिकार बोर्ड में निहित है, जो कि कार्यपालिका समिति तथा प्रबन्ध निदेशक की सहायता से कार्य करेगा" ।

इस का यह परिणाम हुआ कि निदेशकों के बोर्ड ने अपने बहुत से अधिकार कार्यपालिका समिति के पक्ष में छोड़ दिये । यह एक भारी त्रुटि थी । इस विधेयक में से उक्त शब्द "कार्यपालिका समिति तथा प्रबन्ध निदेशक की सहायता से" शब्दों को हटा दिया गया है अब बोर्ड यह अनुभव करेगा कि निगम के कार्यों का दायित्व मुख्यतः उन पर ही है ।

विधेयक में प्रधान का दायित्व स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है । आपातकाल में तथा बोर्ड की बैठक व केन्द्रीय समिति की बैठक की अनुपस्थिति में वही निगम के हित में सारा कार्य करेगा ।

कई अन्य उल्लेखनीय सुधार भी हुए हैं औद्योगिक व्यापार संस्थाओं की परिभाषा में संशोधन करने से अब वे व्यापार समवाय भी ऋण के लिये आवेदन कर सकेंगे जो पुरानी परिभाषा के अनुसार नहीं कर सकते थे । इस की आवश्यकता बहुत समय पूर्व से अनुभव की जान लगी थी और अब यहां परिभाषा राज्य वित्त निगम अधिनियमों पर भी लागू कर दी जायेगी ।

और यह भी कि पुरानी कार्यपालिका समिति की बड़ी आलोचना की गई है । वह एक अजीब समिति थी जिस में निदेशक बोर्ड का प्रधान केवल एक सदस्य था और उस का प्रबन्ध निदेशक प्रधान होता था। इस नई केन्द्रीय समिति में यही अन्तर है कि बोर्ड के प्रधान को ही उस का सभापति बनाया गया है । इस से अनेक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

प्रस्तुत विधेयक की धारा २१ की उपधारा (४) के अनुसार निगम को यह अधिकार दिया गया है कि वह केन्द्रीय सरकार से ऋण ले सकता है । इस से उसे बहुत लाभ होगा । साथ ही यह भी उपबन्ध है कि कुल ऋण निगम की अंश पूंजी तथा रक्षित निधि से पांच गुने से अधिक नहीं होना चाहिये । यथा समय निगम को ऋण की आवश्यकता होती है और ऐसी दशा में वह रिजर्व बैंक (रक्षित बैंक) तथा अन्य साधनों से ऋण ले सकेगा ।

इसी प्रकार सात वर्ष की अवधि निकाल देने के बारे में श्री ए० सी० गुह ने बताया है कि ऐसा उपबन्ध अनुचित है और उसे नहीं रखा जाना चाहिये ।

औद्योगिक वित्त निगम का उद्देश्य पूंजी विनियोजन करना है, जैसा कि बीमा कम्पनियों, व्यापारी बैंकों, सहकारी बैंकों, आदि के द्वारा किया जाता है । हम औद्योगिक वित्त निगम का निर्माण इस लिये कर रहे हैं कि ये सब समवाय भी आगे बढ़ें और औद्योगिक विकास में सहयोग दें । इस समय यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे यहां वैसा काम नहीं हो रहा है जैसा कि इटली या जर्मनी में हो रहा है ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : नवम्बर और दिसम्बर १९५२ में सभा में औद्योगिक वित्त

निगम के बारे में काफी चर्चा हुई थी। उस के पश्चात् इस समिति ने जांच की और प्रतिवेदन में बताया कि यदि यह निगम इसी प्रकार कार्य करता रहा तो इस के अधिक दिन तक चलने की आशा नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि अब केन्द्रीय समिति तथा कार्यपालिका समिति की व्यवस्था भली भांति की गई है।

मुझे विधेयक में केवल एक शंका है, उस में यह स्पष्ट नहीं है कि निर्वाचित निदेशकों की संख्या कितनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मूल अधिनियम में दिया गया है।

श्री ए० सी० गुह : मैं यहां यह भी बता दूं कि सरकारी अंश रिजर्व बैंक के अंशों सहित केवल ४० प्रतिशत हैं और शेष ६० प्रतिशत अंश गैर-सरकारी हैं।

डा० जयसूर्य : यहां निर्वाचित निदेशकों का प्रश्न है।

श्री ए० सी० गुह : मूल अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा चार निदेशक नामनिर्देशित किये जयेंगे। उन में से दो तो केन्द्रीय बोर्ड तथा रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होंगे और दो निगम के अनुसूचित बैंक—अंशधारियों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे। दो निदेशक केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के अंशों के अतिरिक्त अंशधारियों, अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे। दो निदेशक विहित रीति से सहकारी बैंकों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। इस प्रकार निर्वाचित निदेशकों की संख्या ६ होगी।

डा० जयसूर्य : पिछले निगम में इतनी गड़बड़ क्यों हुई, इस का कारण प्रतिवेदन के पृष्ठ २२ पर स्पष्ट रूप से लिखा है। सरकार ने समय समय पर इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया। जब हम एक वृहत् धन राशि को किसी कार्य विशेष के लिये दे देते हैं तो उस की देख भाल करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि निगम की केवल दो समितियां थीं। मैं प्रायः देख रहा हूं कि सरकार किसी काम के लिये रुपया तो दे रही है किन्तु उस रुपये का किस प्रकार उपयोग होता है, इसे देखने का कोई प्रबन्ध नहीं होता। पंचवर्षीय योजना में भी यही दशा हो रही है।

औद्योगिक वित्त निगम ने अपने पिछले कार्यों में जो भी त्रुटियां की हैं वे प्रत्यक्ष रूप से सब के सामने विद्यमान हैं। हम चाहते हैं कि उस के प्रबन्धक भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही से काम न करें।

श्री ए० सी० गुह : पिछले अधिनियम के अनुसार प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालिका समिति को कुछ संविहित शक्ति थी जिस को इस विधेयक के अन्तर्गत दूर किया जा रहा है।

डा० जयसूर्य : मुझे इस की बड़ी खुशी है। मैं चाहता हूं कि समिति की बैठक प्रति मास होती रहे। जिस से कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। दूसरी बात यह है कि निगम द्वारा जो ऋण दिये जाते हैं उन के देने में कई महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये इसी प्रकार प्रतिवेदन में लिखा है कि लेखा परीक्षा में भी अनेक अशुद्धियां हैं। यदि पूर्व-लेखा परीक्षा हो सके तो और भी अच्छा हो।

दूसरी बात यह है, कि प्रायः बड़ी बड़ी कम्पनियों को ही ऋण दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि छोटी कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : सोदपुर ग्लास-वर्क्स के मामले में क्या हुआ है ?

डा० जयसूर्य : उस में तो उस के मालिकों और औद्योगिक वित्त निगम दोनों को ही नुकसान हुआ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : उस में लगभग ७८ लाख रुपये की हानि हुई ।

श्री ए० सी० गुह : मैं यहां हानि के बारे में इस प्रकार का कुप्रभाव नहीं देखना चाहता। इस मामले की छानबीन हो रही है और उस का नतीजा शीघ्र ही ज्ञात हो जायेगा । माननीय सदस्य ने जो आंकड़े बताये हैं वे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताये हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मार्च में तो पता चला था कि ९९ लाख रुपये की हानि हुई है ।

श्री ए० सी० गुह : उस कम्पनी को लगभग १ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था । किन्तु वह सब बेकार नहीं गया है । हमें काफी रकम वापस मिल जायगी ।

डा० जयसूर्य : अभिप्राय यह है कि दोनों और बहुत हानि हुई ।

अन्त में मुझे यही कहना है कि जब कभी ऋण दिया जाय तो उस में विलम्ब नहीं किया जाय और निगम के प्रबन्ध निदेशक अत्यन्त सतर्कता से कार्यसंचालन करें ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : इस विधेयक को साधारण समर्थन प्राप्त होने पर भी हम यह समझते हैं कि यह कार्य अनिच्छा से किया जा रहा है। जब नवम्बर १९५२ में इस पर चर्चा हुई थी तब विधेयक के प्रस्तावक ने ही इस का घोर विरोध किया था । हमें आशा थी कि इस में जिन उपबन्धों पर आपत्तियां थीं, उन में संशोधन कर दिया जायगा, किन्तु बड़े खेद का विषय है कि हमारी वह आशा पूरी नहीं हुई ।

मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने सिफारिश संख्या २ और ३८ को क्यों नहीं स्वीकार किया । जो व्यक्ति आयकर से बचते रहने का प्रयत्न करते हैं उन्हें इस निगम द्वारा कोई ऋण नहीं दिया जाना चाहिये । ऐसा उपबन्ध इस विधेयक में किया जाना चाहिये था ।

इसी प्रकार सिफारिश संख्या २ में कहा गया है कि जो निदेशक किसी ऋण की प्राप्ति से सम्बन्धित है उसे कार्यपालिका की तत्सम्बन्धी बैठक में उपस्थित नहीं रहना चाहिये और अपना मत नहीं देना चाहिये । इसे भी स्वीकार नहीं किया गया है ।

सिफारिश संख्या २८ में यह कहा गया है कि जब कभी ५० लाख रुपये से अधिक ऋण दिया जाये तो पहले भारत सरकार की अनुमति ली जानी चाहिये । बड़ी फर्में बहुत अधिक ऋण ले लेती हैं और छोटी फर्मों को अवसर नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सिफारिश को स्वीकार करे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : माननीय मंत्री ने कहा है कि उसे स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री एन० बी० चौधरी : किन्तु इस विधेयक में इस का कोई उल्लेख नहीं है । केवल कह देने से काम नहीं चलता । यदि हम ऐसा उपबन्ध नहीं करेंगे तो विदेशी पूंजीपति यहां आ कर यहां के पूंजीपतियों के साझे में बड़ी बड़ी फर्में खोल देंगे। राज्यों में जो वित्त निगम बने हैं, उन के निदेशक बड़े बड़े उद्योगपति हैं। जैसे कि पश्चिमी बंगाल में बिड़ला जैसा धनी व्यक्ति इस निगम का सभापति है । इन से छोटे उद्योगों को सहायता देने की आशा नहीं की जा सकती है । हावड़ा के छोटे मोटे इंजीनियरिंग, उद्योगों के संकट स्थिति म होने पर भी उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है । बम्बई आदि में भी लोगों को

यही दिक्कत हो रही है। माननीय प्रस्तावक ने ही २५ नवम्बर, १९५२ के अपने भाषण में यह माना था कि "यदि औद्योगिक वित्त निगम का काम देश के अविकसित क्षेत्रों के और छोटे-मोटे उद्योगों को सहायता देना है, तो यह निगम अपने कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, और मैं ने विगत चर्चा में यह संशोधन रखा था कि राज्यों के वित्त निगमों के निदेशकों को अनुचित लाभ नहीं पहुंचना चाहिये।"

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ऋण के ५० लाख से अधिक होने पर केन्द्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है तो क्या राज्य वित्त निगमों के बारे में ऋण की कोई ऐसी अधिकतम सीमा रखी गई है . . . . "

श्री एन० बी० चौधरी : मुझे ऐसे उपबन्ध का पता नहीं है।

जांच समिति की सिफारिश थी कि सभापति पूरे समय का और वैतनिक हो, परन्तु वास्तव में सभापति केवल वृत्तिभोगी ही है। सभापति को बहुत अधिक शक्तियां दी जा रही है। अतः वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होना चाहिये। खंड ८ में कहा गया है कि यदि किसी कार्यवाही के स्थगित रखने से निगम को हानि पहुंचती हो और उस बात को केन्द्रीय समिति या बोर्ड की बैठक होने तक न टाला जा सके, तो, वह समयानुसार अपनी सब शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। १९५३-५४ की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रबन्ध निदेशक ने अपनी शक्ति का उल्लंघन किया था। वस्तुतः बहुत सी बातें अधिनियम के कार्यान्वित होने के तरीके और संबंधित व्यक्तियों के आचरण पर निर्भर रहेंगी। फिर भी यह व्यक्ति बहुत ईमानदार होना चाहिये।

बोर्ड जो भी वेतनादि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निश्चित करे, वे उचित होने चाहियें। मैं चाहूंगा कि ये वेतन सरकार ही निश्चितकरे और यह काम बोर्ड का न हो। वह बोर्ड का सभापित होगा अतः बोर्ड बहुत अधिक वेतन निश्चित कर सकता है। जब हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं, तो सभी से त्याग की और श्रमदान तक की आशा की जा सकती है और कुछ व्यक्तियों को उन की योग्यता चाहे जितनी भी क्यों न हो, हजारों रुपये का वेतन नहीं दिया जाना चाहिये। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रशासनिक व्यय किये गये काम के अनुपात से बहुत अधिक है। इन लोगों को भी कुछ त्याग करना चाहिये। लेखा-परीक्षा-रिपोर्ट में हवाई जहाज के शितोष्ण नियंत्रित दरजे में पदाधिकारियों के सफर के व्यय का भी उल्लेख है, दिसम्बर १९५३ से पहले किसी पदाधिकारी को इस दरजे में सफर करने का अधिकार नहीं था।

'सोदपुर ग्लास वर्क्स' के बारे में जांच रिपोर्ट के अनुसार ५७ लाख रुपये का ऋण दिया गया था। हम नहीं जानते कि क्या इस के अतिरिक्त और कोई ऋण भी दिया गया है अथवा कोई खर्चे हुए हैं। यह बात दो तीन वर्ष पुरानी है, पर सरकार ने इस बारे में कुछ कार्य-वाही नहीं की।

इस संशोधन विधेयक में निगम के कृत्यों और शक्तियों का विस्तार तो किया जा रहा है, पर इन शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। संपत्ति के अर्जन और धारण के साथ ही उसे बेचने का अधिकार भी निगम को दिया जा रहा है, जिस उपक्रम को ऋण दिया जा रहा है, उस के निदेशक बोर्ड में एक से अधिक निदेशकों का नाम निर्देशन करने की शक्ति भी दी जा रही है। पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ये मनोनीत निदेशक प्रेक्षक मात्र ही रहे हैं। उन को पूरी शक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

[श्री एन० बी० चौधरी]

ऋण की राशि की वसूली के लिये उन्हें पट्टा देने की शक्ति भी दी जा रही है। अब ऋण देने का पूरा उत्तरदायित्व निदेशक बोर्ड पर डाला जा रहा है। यह एक अच्छी कार्यवाही है।

इस विधेयक में कुछ सुधार हैं, पर कई दूसरे उपयोगी उपबन्ध उस में नहीं रखे गए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार को विशेष चिन्ता नहीं कि औद्योगिक वित्त निगम ऐसे रूप में कार्य करे, जो देश में उद्योगों के तेजी से विकसित होने में सहायक हों।

इस निगम का लक्ष्य गैर-सरकारी उद्योग खंड के उद्योगों को सहायता देना है पर वे किन उद्योगों और फर्मों को ऋण देंगे, स के लिये क्या वे योजना आयोग द्वारा निश्चित प्राथमिकताओं का पालन कर रहे हैं। सरकार को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि ऋण के देने में योजना आयोग द्वारा पहले से निश्चित की गई प्राथमिकताओं का अनुसरण किया जायेगा। यदि हम देश में उद्योगों को आयोजित और सुगठित रूप में विकसित करना चाहते हैं, तो ऋण देने वाली सभी संस्थाओं के बीच सहयोग होना चाहिये, जिस से उद्योग अनियिमित स्वयं खड़े न होते जाये।

इस सभा में यह बात कई बार उठाई गई है कि संसद् की एक लोक निगम समिति बनाई जाये। इन निगमों की बढ़ती हुई संख्या के विचार से यह मांग सर्वथा उचित है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : जांच समिति की, जिस से मेरा भी संबंन्ध था, रिपोर्ट मई, १९५३ में प्रस्तुत हुई थी, तब से आज तक डा० लंका सुन्दरम् के एक संकल्प को छोड़ कर और किसी भी समय पर हमें उस रिपोर्ट पर या औद्योगिक वित्त निगम की कार्य सम्पादन पर विचार करने का अवसर नहीं मिला है। मुझे बहुत खुशी है कि आखिर संसद् को इस पर चर्चा करने का अवसर मिला है। रिपोर्ट से सम्बन्धित होन के कारण मैं चाहती हूं कि और लोग भी उस रिपोर्ट पर विचार करें।

सरकार ने रिपोर्ट के बारे में जो संकल्प पारित किया था, उस में कहा गया था कि रिपोर्ट ने निगम को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। पर अब लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने पीछे की कुछ और बातों का भी उल्लेख करते हुए हमारी ही बात का समर्थन किया है। निगम की कार्य प्रणाली में निःसन्देह बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है और संसद् को इस पर विचार करने के लिये पूरा अवसर मिलना चाहिये।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पहले ही पृष्ठ में कहा गया है कि प्रबन्धक निदेशक ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया, एक ही साथ दिये गये ऋणों की ब्याज दरों में अन्तर किया गया; कुछ ऐसे मामलों में भी ऋण दिये गये जब कि उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अंश पूंजी निर्गम या ऋण पत्र दिये जाने चाहिये थे, या उन उपक्रमों को ऋण दिया जाना उचित न था और कुछ मामलों में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सिफारिशों तक पर ध्यान नहीं दिया गया था। निगम ने अपना भवन बनाने की ६४ लाख रुपये की एक योजना भी बनाई है। प्रशासनिक व्यय का अनुपात बहुत बढ़ गया है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद अक्तूबर १९५४ में निगम ने एक बैठक में पिछली अनियमित कार्यवाहियों पर अपनी मुहर लगा दी। निगम ही नहीं सरकार के बारे में भी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि धारा ४२ के अनुसार सरकार के लिये संरक्षित विषयों को परिभाषित करने के लिये सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सरकार ने

कोई निदेशक भी जारी नहीं किये । अतः प्रबन्धक निदेशक एक सम्राट की भांति अपनी मनमानी से काम करते रहे हैं ।

इस बात की भी पुष्टि इस रिपोर्ट ने कर दी है कि बहुत से ऋण बड़े बड़े व्यापारियों को मिले हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विधेयक में ऐसी कुछ बात नहीं है कि बड़े उद्योगों को न दे कर छोटे उद्योगों को ही ऋण दिये जायें ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : वही तो मैं कहती हूं कि इस विधेयक का पारित होना भी निरर्थक ही है ।

इस निगम के बारे में पहले भी यह आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्ति अपने और अपने मित्रों के लाभ के लिये ऋण ले रहे हैं। एक ही व्यक्ति ने ११३ लाख रुपये का ऋण लिया है और यदि उस के मित्र भी जोड़ लिये जायें तो उन को अलग से १२९ लाख रुपये मिले हैं।

ऋण देने में एक सी नीति भी नहीं अपनाई गई । जिन मामलों में निदेशकों को रुचि थी, एक महीने में ऋण मिल गया, दूसरे मामलों में छः महीने से भी अधिक समय लगा । एक ही समय पर दिये गये ऋण तक में ब्याज दर एक सी नहीं रही ।

कुछ मामलों में प्रबन्धक अभिकर्ताओं द्वारा कम्पनियों को दिये गए अग्रिम धनों को वापस लेने में और बैंकों के ऋण चुकाने तथा अन्य अनोत्पादक बातों के लिये भी ऋण दिये गय । पर कुछ मामलों में कार्यवाहक पूंजी तक के लिये ऋण नहीं दिये गये । हमें अधिनियम में ऐसा उपबन्ध दिखाया गया, कि ऋण कार्यवाहक पूंजी के लिये नहीं दिये जा सकते परन्तु सरकार वास्तव में ऐसा नहीं चाहती । इस पर भी कुछ मामलों में कार्यवाहक पूंजी के लिये ऋण नहीं दिया गया है ।

श्री अशोक मेहता ने प्रतिभूति के न्यूनतम स्पर्धा की बात कही है उस में १७ से ८५ प्रतिशत तक का अन्तर रहा है । यह पचास प्रतिशत होना चाहिये ।

ऋण लेने वाली कम्पनियों के निदेशक-बोर्डों में निगम के प्रतिनिधि रखे जाने का भी उपबन्ध है । हम ने सुझाया था कि इस में एक सी नीति होनी चाहिये पर सरकार ने यह भी न माना । लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ऐसी ७० कम्पनियों में से २४ में ही निदेशक नियुक्त किये गये । हमें पता नहीं कि इन प्रतिनिधियों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है और वे कैसे कार्य करते हैं । हम ने रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि वे समय समय पर सरकार को रिपोर्ट भेजा करें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कुछ ऋणों के बारे में यह शर्त लगा दी जाती है कि ऋण लेने वाली कम्पनियां समय समय पर रिपोर्ट भेजा करें ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मेरे मित्र श्री ए० सी० गुह ने अभी बताया कि हमारी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है । परन्तु मैं कुछ सिफारिशें बताती हूं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है । हम ने सिफारिश की थी कि नाम निर्देशित निदेशकों को पूर्ण सदस्य माना जाय, जिस से वे समवायों के कार्यों में गंभीरतया भाग ले सकें तथा इन का नाम निर्देशन ऋण लेने वाली समवायों के बोर्डों में अवश्य होना चाहिये ।

इस के अतिरिक्त ऋण स्वीकार करने से पूर्व मामला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भेजना चाहिये, परन्तु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि प्रथम ऋण की स्वीकृति के पूर्व ही मामला मंत्रालय को भेजा गया तथा दुबारा ऋण स्वीकार करने के समय मंत्रालय को मामला नहीं भेजा गया । परन्तु इस से अधिक

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

अजीब बात और भी है कि कुछ मामलों में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सिफारिशों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

अब मैं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रबन्धक निदेशक के सम्बन्ध में कहे गये शब्दों की ओर आती हूं । यह उप बन्ध निदेशक अपने शब्दों को अन्तिम शब्द समझता था । केवल उस ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग सूद की दरें बढ़ा कर, तथा मनमानी कर के ही नहीं किया बल्कि उस ने सरकार को भी बहकाया । लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में महालेखा परीक्षक ने लिखा है कि :

"कार्यपालिका समिति ने अपनी २२ मई १९५४ की बैठक में प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रस्तुत ऋण को शर्तों आदि के प्रश्न पर विचार किया था तथा यह निश्चित किया कि भविष्य में ऋण देने से सभी दस्तावेज तथा शर्तें कार्यपालिका समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे । यह संकल्प बोर्ड के निदेशकों के २७ जुलाई १९५३ के उत्तर से एकदम विपरीत है जिस में यह दिया हुआ था कि कुछ अनावश्यक मामलों को प्रबन्ध निदेशक के अधिकार में छोड़ कर शेष सभी शर्तों को कार्यपालिका समिति तय करेगी । इस प्रकार २३ दिसम्बर, १९५३ के संकल्प की कंडिका ५ (ब) (२), निदेशक बोर्ड के गलत प्रतिवेदन पर आधारित है ।"

इस प्रकार वह गलत सूचना दे कर प्रबन्ध निदेशक या निदेशक बोर्ड सरकार को बहकाता है, उस की तानाशाही का पता सोदपुर ग्लास वर्क्स के मामले से लगता है । इस समवाय को २० लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था जो कि २१ किश्तों में दिया गया । आप सोचिये कि इतना बड़ा समवाय इतने बड़े धन से किस प्रकार पनप सकता है । बीच में ही नई शर्तें इस पर लादी गईं क्योंकि समवाय तथा प्रबन्ध निदेशक में सनी हुई थी । जिस समय हम ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उस समय इस समवाय में ६४ लाख रुपया लग चुका था तथा फिर भी इस का प्रबन्ध ठीक नहीं था जिस के कारण इस का प्रबन्ध सरकार को संभालना पड़ा । मैं जानना चाहती हूं कि इस फैक्टरी की अब क्या दशा है ।

सरकार ने सोदपुर ग्लास वर्क्स के सम्बन्ध में एक संकल्प प्रस्तुत किया है । उस में यह दिया हुआ है कि इस फैक्टरी के प्रारम्भिक आर्थिक स्थिति का ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहती हूं कि इस संकल्प के पारण से पूर्व क्या सरकार ने कोई जांच अथवा लेखा परीक्षा की थी । मैं चाहती हूं कि महालेखा परीक्षक के द्वारा इस की लेखा परीक्षा होनी चाहिये ।

संसद में यह प्रश्न हुआ था कि क्या निगम के निदेशक भी यह ऋण ले सकते हैं अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में हम ने यह सिफारिश की थी कि किसी भी प्रबन्धक अभिकरण का प्रबन्ध निदेशक साझीदार अथवा अंशधारी ऋण नहीं ले सकता परन्तु यदि निगम का निदेशक, अभ्यर्थी व्यवसाय में साधारण निदेशक अथवा अंशधारी है तो उस संस्था को निदेशक बोर्ड सर्व सम्मति से ही ऋण दे सकती है तथा बोर्ड की उस बैठक में वोट देने के समस्त दो तिहाई निदेशकों का उपस्थित होना आवश्यक है ।

मुझे अत्यन्त खद है कि इन में से कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है । लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में दिया हुआ है कि :

"जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका २० म सुझाव दिया था कि निगम के निदेशक को यह बताना आवश्यक है कि किन किन व्यवसायों में वह सामान्य अंशधारी हैं ।

तथा निगम को, भारतीय समवाय अधिनियम के अनुच्छेद ९१क (३) के अधीन एक रजिस्टर रखना चाहिये। बोर्ड ने इस सिफारिश को स्वीकार किया तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में आदेश भी दिये थे परन्तु रजिस्टर बनाया नहीं गया। निगम को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।"

इसके पश्चात् मैं एक और महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं। हम ने एक सिफारिश यह की थी कि जब निगम किसी समवाय को हस्तगत करे तो उसे केवल समवाय की हानि पर ही ध्यान नहीं देना चाहिये, अपितु अंशधारियों की हानि का भी ध्यान रखना चाहिये। उसे एक दम उस व्यवसाय को बेच नहीं देना चाहिये तथा उसे चलाने का प्रयत्न करना चाहिये या सरकार को सौंप देना चाहिये। कुछ लोगों ने हमें यहां तक बताया कि सोदपुर फैक्टरी को जान बूझ कर तबाह करने का प्रयत्न किया गया ताकि उसे दूसरे एक व्यवसाय को नाममात्र मूल्य पर बेच दिया जाये। परन्तु किसी ठोस प्रमाण के न होने से हम ने इस बात का विश्वास नहीं किया। हमारा यह सुझाव भी था कि बड़े व्यवसायों को सरकार को अपने प्रबन्ध में ले लेना चाहिए क्योंकि उत्पादन मंत्रालय कई इस प्रकार के समवायों आदि को चला रहा है। इसलिये ऐसा होना संभव है कि इस प्रकार की सूचना मिलने पर सरकार ही उस संस्था का प्रबन्ध स्वयं करने को तैयार हो जाये। परन्तु सरकार ने हमारी इस सिफारिश पर कोई विचार नहीं किया।

हमारी सिफारिशों के इतनी देर के पश्चात् केवल यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जिस के द्वारा हम एक वैतनिक सभापति को नियुक्त करना चाहते हैं तथा जनता की आर्थिक संस्थाओं की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

मैं एक और सुझाव भी देना चाहती हूं। प्रतिवेदन में हम ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य करनी चाहये, जिस से इन निगमों पर संसदीय नियंत्रण रहे जिस से यह सुचारु रूप से कार्य कर सकें। इसी कारण हमने यह सुझाव दिया था कि संसद् की एक लोक निगम समिति नियुक्त होनी चाहिये क्योंकि प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति को इतना समय नहीं है कि वह इस प्रकार के कार्यों की पूर्ण रूप से देख भाल कर सकें। अन्त में मैं यही कहना चाहती हूं कि सरकार को सोदपुर ग्लास वर्क्स की जांच महालेखा परीक्षक द्वारा करानी चाहिये।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं प्रबन्ध निदेशक के सम्बन्ध में एक दो बातें कहना चाहता हूं कि उस ने निगम का धन व्यर्थ में व्यय किया। उस ने अपने लिये २०,००० रुपये या २४,००० रुपये की कीमत की मोटर-कार खरीद रखी थी और वह ३५,००० रुपये का मासिक वेतन पाते थे। समिति द्वारा उन के विरुद्ध इतनी बातों के प्रकट किये जाने पर भी वह सेवायुक्त रहे तथा अन्त में उन्हें छः मास का वेतन दिया गया जैसा कि श्रीमती सुचेता कृपालानी ने बताया कि 'सोदपुर ग्लास वर्क्स' को लगभग १ करोड़ रुपया ऋण दिया गया था जिस पर लगभग ५०,००० रुपये सूद हुआ। यह एक संदेहयुक्त मामला है कि क्या उक्त व्यवसाय को दिया गया ऋण सरकार को वापस मिलेगा यह सब गड़बड़ इस प्रबन्ध निदेशक के कारण हुई है मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार इस रुपये को उगाहने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है।

यह सब गड़बड़ी प्रबन्ध निदेशक के कारण हुई इसलिये मेरा भी यही सुझाव है कि किसी भी निदेशक को ऋण नहीं दिया जाये। हम ने अब इस का नाम सभापति कर दिया है। परन्तु हमें केवल नाम का परिवर्तन

[श्री गिडवानी]

नहीं करना है वरन् ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिये जो सरकार के आदेशों का पालन करे ।

यह निगम सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा है इसलिये मेरा सुझाव है कि हमें इस में पूर्णतया परिवर्तन कर के इसे ऐसा रूप देना चाहिये जिस से कार्य सुचारु रूप से होने लगे। माननीय मंत्री को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये तथा इस में आवश्यक, तथा सदस्यों के सुझावों के अनुसार परिवर्तन कर के इसे दुबारा प्रस्तुत करना चाहिये। अधिकतर उद्योग अब सरकारी क्षेत्र में आते जा रहे हैं इसलिये इस पर संसद् का नियंत्रण भी आवश्यक है। इसलिये इस विधेयक में परिवर्तन अवश्य ही होने चाहियें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस बिल के बारे में, इस वक्त जो मजमून है, उस के बारे में इस हाउस के अन्दर पहले भी बहस हो चुकी है। काफी बहस हुई थी और उस वक्त भी यह ख्याल था कि एक नया बिल हाउस के अन्दर आयेगा जिस के अन्दर जो सिफारिशात इस कमेटी ने की थीं, श्रीमती सुचेता कृपालानी ने की थीं, उन में से तकरीबन सारी ही सिफारिशात के मुताल्लिक, कोई न कोई प्राविजन होगा। जनाब, इस की हिस्ट्री को देखें कि किस तरह यह कमेटी ऐप्वाइंट हुई, किस ने ऐप्वाइंट कराई और किस ने क्या फैसला किया, तो आप पर रोशन होगा कि इस कमेटी के ऐप्वाइंटमेंट में सब से बड़ा हाथ दरअस्ल खुद मि० गुहा का था। मि० गुहा फाइनेन्स कारपोरेशन के मामले के अन्दर गये, फैक्ट्स हाउस में पेश किये । जब उन लोगों के नाम हम को नहीं बतलाये गए जिन को कर्जा दिया गया था तो उस वक्त हम ने झगड़ा किया कि हम को उन के नाम बताये जायें। उस की रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंची, न वह नाम हमारे पास पहुंचे। बाद में जब हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब दौरे में गये थे, तो वापिस आ कर नाम बतलाने की बात चीत चली। इस के बाद उन की समझ में आया कि क्यों हम लोग इस के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म करते ह और मामला क्या है। उस के ऊपर यह कमेटी मुकर्रर की गई, और जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं उन के ऊपर हाउस में बहस हुई। यह जरूर बहसतलब मामला है कि कितनी वह फाइंडिंग्स मानी जायेंगी और कितनी न मानी जायेंगी, लेकिन इस में कोई शक नहीं कि खुद गवर्नमेंट और सारा हाउस इस बात से मतमईन था कि उन चन्द मामलों में जिन का जिक्र इस रिपोर्ट के अन्दर मौजूद है, सख्त बंगलिंग हुई । आज मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जरा भी शुबहा नहीं है कि मि० गुहा कभी सोदपुर ग्लास वर्क्स के मामले को डिफेन्ड करने के लिये तैयार नहीं होंगे ।

और चन्द बातें इस के अन्दर आईं, उन के अन्दर मैं यह भी जिक्र करना चाहता हूं कि जितने लोन्स दिये गये थे उनमें से चन्द की बाबत जिक्र है । बाकी जो लोन्स दिये गए थे उन के बारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ और वे ठीक समझे गये थे । जिन मामलों में गड़बड़ी हुई उन्हीं के बारे में क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आम तौर से सिवा उन मामलात के जिन का जिक्र इस कमेटी की रिपोर्ट में था, बाकी चीजों में किसी किस्म के नुकायस नहीं पाये गये। लेकिन मैं यह अर्ज किये बगैर नहीं रह सकता कि सब चीजों में नुकायस हों या न हों, पर इन चार पांच चीजों में इतने नुकायस थे कि उन को कोई गवर्नमेंट माफ नहीं कर सकती ।

आज सोदपुर ग्लास वर्क्स का जिक्र आया है । जब गवर्नमेंट ने और बातों के बारे में फैसले दिये तो सोदपुर ग्लास वर्क्स के लिये अपना फैसला महफूज रक्खा, उस का फैसला नहीं दिया । अब जो फैसला आया है उस के अन्दर मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना

पड़ता है कि गवर्नमेंट ने इस मामले में पूरा ऐप्रेजल नहीं किया कि इस के अन्दर क्या हुआ। एक तरह से उस को व्हाइट वाश कर दिया है कि यह गलत हुआ है, इतना रुपया चाहिये था और इतना नहीं होना चाहिये था। लेकिन जो बंगलिंग थी वह सारी की सारी सामने आई। श्रीमती सुचेता कृपालानी और उन मेम्बर साहबान का जिन्हों ने बड़ी मेहनत कर के इस रिपोर्ट को पेश किया मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हों ने सारे मामले को तश्तअजबाम कर दिया । जो मामलात हमारे सामने आये वह इतने हैरानकुन थे कि हम ने पहले इन्डस्ट्रियल फाइनैन्स बिल के मौके पर हाउस के अन्दर इसे कैसे पास कर दिया और ऐसी भूल कर दी कांस्टीट्यूशन में जिस का दुःख और नुकसान भुगतना पड़ा। मैं हैरान हूं कि इस रिपोर्ट को पढ़ कर कि इस तरह के मामले हुए जिन में कि बिजिनेस प्रिंसिपल्स को बिल्कुल नहीं माना गया। बिजिनेस प्रिंसिपल्स की मिट्टी पलीद कर दी गई है जिस का कोई ठिकाना नहीं । आज जब हम देखते हैं कि इतने रुपये उस के अन्दर गर्क हुए तो किस को जिम्मेदार करार दें ? मैनेजिंग डाइरेक्टर आज तक जिम्मेदारी पूरी नहीं महसूस करते थे, कौन इसकी देखभाल करता है ? किस के डाइरेक्शन्स के अन्दर यह सब कुछ होता रहा है ? मुझे कहने में जरा भी ताम्मुल नहीं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इस में उतनी ही है जितनी और किसी की, बल्कि ज्यादा है क्योंकि ऐसे मामलात में, ऐसे कारपोरेशन्स में जब तक डाइरेक्ट कंट्रोल पार्लियामेंट का न हो, जब तक वह ज्यादा तवज्जह इस पर न दे सकती तब तक पार्लियामेंट के पास कोई चैनेल नहीं है काम करने का। रोज जिक्र आता है कि जितने पब्लिक कारपोरेशन्स हैं वह पब्लिक कारपोरेशन्स नहीं हैं, पब्लिक करप्शन हैं । जब तक आप इस के वास्ते पार्लियामेंटरी कंट्रोल कायम नहीं करेंगे, पार्लियामेंट की कोई ऐसी कमेटी बना कर के जो इन मामलात के अन्दर जा कर देख सके, तब तक पार्लियामेंट अपना फर्ज अदा नहीं कर सकती। आज हम करोड़ों रुपये लोगों से लेते हैं, रोज टैक्स बढ़ाने की बहस हम यहां करते हैं, तो हम किस मुंह से जा कर उन से कहें कि और टैक्स दो ? जो रुपया वसूल किया जाता है वह इस तरह से खराब किया जाता है । इस तरह से हम को पता लगता है कि कारपोरेशन्स का क्या हाल है। अगर यह कमेटी न बैठती तो यह चीजें हमारे सामने न आती। लेकिन इस कमेटी के बैठने के बाद और उस की रिपोर्ट देखने के बाद मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी की ताईद करता हूं कि जब तक पब्लिक कारपोरेशन्स के कुल काम के अन्दर जाने के लिये कमेटी मुकर्रर न हो जो कि उन की खराबियों को मालूम करे उस वक्त तक पार्लियामेंट अपने उस फर्ज से उऋण नहीं हो सकती है जो पब्लिक की तरफ से उस के ज़िम्मे है । और गवर्नमेंट को भी तसल्ली नहीं हो सकती है । मैं ने देखा कि पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी है, आप का आडिट डिपार्टमेन्ट है, सब चीज मौजूद है, लेकिन मुझे बतलाइये कि इन के वास्ते आप की कौन सी कमेटी है जो इन कारपोरेशन्स के हिसाब के अन्दर जा सके और इन मामलात को मालूम कर सके ? इस वास्ते मैं बहुत जोर से अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम इस कारपोरेशन से हमें सबक लेना चाहिये और हमें फौरन से फौरन हाउस की कमेटी मुकर्रर करनी चाहिये जो पब्लिक कारपोरेशन्स के मामले में जा कर देखे ।

एक और कमेटी आजकल अपनी सिटिंग कर रही है, जिस का नाम है कमेटी आन आफिसेज आफ प्राफिट। उसे हमारे स्पीकर साहब ने मुकर्रर किया है । हर वक्त हमारे सामने सवाल आता है कि हम पार्लियामेंट के मेम्बरान को कितनी आमदनी की इजाजत दें और किसे आफिस आँफ प्राफिट करार दें और किसे न

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

दें । आज हम में से एक मेम्बर साहब नें एक तजवीज पेश की और वह यह कि जितने पब्लिक कारपोरेशन्स हैं जब तक उन के वास्ते पार्लियामेंट की कोई कमेटी न बन जाय तब तक हाउस के चन्द मेम्बरों को किसी कारपोरेशन में भेज दिया जाय इस लिये कि वह देखें कि किस तरह से वहां पर कार्यवाही हो रही है । हमें पार्लियामेंट के मेम्बरों को कमेटी म बैठने से मना नहीं करना चाहिये पब्लिक इंटरेस्ट में । लेकिन यहां आज यह तजवीज आती है । जब तक आप इस तरह का इन्तजाम न करें कि यह देखा जाय कि पब्लिक कारपोरेशन्स के अन्दर काम तसल्लीबख्श होता है या नहीं, जब तक पार्लियामेंट की कमेटी मुकर्रर न हो, तब तक हमें तसल्ली नहीं हो सकती । कई दफा हाउस में जिक्र हुआ, कई बरस से इस का जिक्र चला आता है, लेकिन देर की जाती है और कोई फैसला नहीं होता । मुझे याद है कि पिछली दफा जब हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर से जिक्र किया गया तो उन्हों नें कहा कि हम सोचेंगे, लेकिन पता नहीं वह सोच उन का कब ऐक्शन की सूरत में आयेगा और कब अमल में आयेगा । अब वक्त आ गया है जब हमें पार्लियामेंटरी कमेटी मुकर्रर करने में एक मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिये जो कि इन कारपोरेशन्स के बारे में जा कर देखें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है । मैं यह उम्मीद नहीं करता कि सब कारपोरेशन्स में सोदपुर ग्लास वर्क्स की ही मिसालें मिलेंगी, हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि हाउसिंग फैक्ट्री जो यहां मौजूद है उसका ही नमूना सब जगह मिलेगा । मैं यह उम्मीद नहीं करता, लेकिन ताहम मैं चाहता हूं कि इस के लिये इन्तजाम किया जाये । जब तक कमेटी कारपोरेशन्स पर अच्छी तरह कंट्रोल कर के अच्छी रिपोर्ट न दे तब तक हमें तसल्ली नहीं हो सकती है ।

मैं उन सभी मामलात की डिटेल्स में जो एक दफा हाउस के अन्दर तय हो चुके हैं, नहीं जाना चाहता, और जितने मामले हाउस के अन्दर तय हुए उन के ऊपर हाउस में डिस्कशन भी हो चुका है । तो मैं उन को फिर खोलना नहीं चाहता । सोदरपुर ग्लास वर्क्स के बारे में गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया, और कई दफा उस का जिक्र हो चुका है, मैं उस के भी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता इस पार्लियामेंट का कोई मेम्बर या बाहर का कोई भी आदमी अगर इस रिपोर्ट के वाक्यात को पढ़े तो वह आंसू बहाये बगैर नहीं रह सकता । पब्लिक मनी के साथ हम न खेला है और इस तरीके से उस शख्स से जो इस का मैनेजिंग डाइरेक्टर था, बिहेव किया है जो निहायत ही कैलस था । हमारे मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं, मैं सख्त अल्फाज़ नहीं कहना चाहता, अगर नरम से नरम कोई लफ्ज हो सकता है तो उन से मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश का ५० लाख रुपये का जो नुकसान हुआ उस की जिम्मेदारी किसी न किसी शख्स पर होनी ही चाहिये ।

आज मैं श्री गिडवानी साहब से सुनता हूं कि उस के बारे में जो कुछ और पता चल गया कि इस तरह से बिहेव किया गया है तो हम उम्मीद करते थे कि उन को नौकरी में नहीं रखा जायगा । अगर इन सब बातों के बावजूद भी उन को नौकरी में रखा गया है तो इस बात के लिये सरकार इस हाउस के सामने जवाबदेह है ।

श्री गिडवानी : छः महीने का सरटिफिकेट ले कर उस को छुट्टी दे दी गई ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तो यह हालत है .....

श्रीमती सुचेता कृपलानी : उन को कांट्रैक्ट पर रखा गया था ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दुरुस्त है, कांट्रैक्ट सर्विस थी। बिल्कुल सही है। अगर किसी शख्स को नौकर रखा जाता है तो उस को इस लिये नहीं रखा जाता है कि वह चोरी करे, चाहे वह कांट्रैक्ट पर ही क्यों न रखा जाय। अगर वह ठीक काम करने के बजाय खराब काम करना शुरु कर दे तो क्या जो पांच साल का कांट्रैक्ट आप ने किया है क्या वह कायम रहेगा और क्या आप यह सहन करेंगे कि वह काम खराब करता चला जाये ? क्या आप ऐसी सूरत में उस से बाहर निकालना पसन्द नहीं करेंगे ? कांट्रैक्ट सर्विस का पहला उसूल यह है कि जिस को भी नौकर रखा जाता है उस से यह ऐक्सपैक्ट किया जाता है कि वह पूर्ण निष्ठा से उचित रूप से और भरसक अपनी क्षमता के अनुसार कर्त्तव्यों को अंजाम दे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह कांट्रैक्ट फौरन रद्द किया जा सकता है। उस के ऊपर मुकद्दमा चलाया जा सकता है। फिलवाकया जिस नुक्ते निगाह से आप फल देखते गये वह नुक्ते निगाह गलत था। अगर उस को इतना होने पर भी नौकरी में रखा गया तो यह एक सख्त गलती थी। इस से ज्यादा मैं इस मामले पर कुछ कहना नहीं चाहता।

इस के बाद में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस में शक नहीं कि अब जो नया बिल हमारे सामने आया है इस में फाइनेंस कारपोरेशन को बहुत कुछ ज्यादा अख्तियारात देने की बात है। आज जो हमारी शिकायत थी वह यह थी कि नई इंडस्ट्रीज के मामले में गवर्नमेंट की तरफ से काफी मदद नहीं मिलती और उस हद तक नहीं मिलती जिस हद तक कि मिलनी चाहिये। अब गवर्नमेंट उस के अन्दर तरमीम कर रही है और स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन के वास्ते और इस कारपोरेशन के वास्ते, दोनों के वास्ते, कर्जे के बारे में जो तरमीम की गई है वह तरमीम एक मुनासिब तरमीम है। इस के अलावा जो यह लिखा गया है कि जो एनगेज्ड हैं किसी के अन्दर और जिन्हें लगाया जा रहा है इन दोनों के वास्ते अब दरवाजा खुल गया है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो इंडस्ट्रीज चलेंगी उन को पूरी पूरी मदद दी जायेगी।

एक दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जो तहकीकात की गई है उस में भी इस बात पर जोर दिया गया है और मुझे याद है कि गुहा साहब ने भी कहा था कि बैकवर्ड एरियाज के अन्दर जो इंडस्ट्रीज हैं उन को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं और अपनी गवर्नमेंट से निहायत अदब से पूछता हूं कि बैकवर्ड ऐरियाज में इन पिछले तीन सालों में कितना कर्जा दिया गया है और क्या कोशिशें की गई हैं कि जो कमेटी की रिकमेंडेशन थीं बैकवर्ड एरियाज के बारे में कि बैकवर्ड एरियाज में ज्यादा काम किया जाये उस को कहां तक अमल में लाया गया है। इस के बारे में अगर कोई काम नहीं किया गया तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट जवाब दे कि वह कौन सी वजह थी जिस के कारण कि बैकवर्ड एरियाज की तरफ खास तवज्जह नहीं दी गई।

इस के बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो मैंने रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट के अन्दर है और जो उस कमेटी ने दी उस को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। कर्जे के मामले में क्या बोर्ड फैसला करे उसकी टर्म्ज और उस की कंडिशंस क्या हो, कोई और शख्स फैसला करे, वह खत्म कर दिया गया है। आइंदा के वास्ते जो चैयरमैन होगा वह होलटाइम चैयरमैन होगा और वह चैयरमैन ऐसा होगा जिस को पुरा अख्तियारात होंगें। इतना ही नहीं बल्कि उसके अख्तियारात

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अब थोड़े से और बढ़ा दिये गये है । उस को यह अख्तियार होगा कि वह उन सब अख्तियारात को बरते जो कि कारपोरेशन को दिये गये हैं । अगर कहीं नुकसान होता हो और अगर कोई एमरजेंसी पड़े तो वह इन सब अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है और मीटिंग में वह सब बातें बोर्ड के सामने रख देगा और बोर्ड उन को रेटिफाई कर देगा । इस के अलावा अगर बोर्ड चाहे कि चेयरमैन को कोई खास पावर्ज दी जानी चाहिये तो वह भी चेयरमैन को दी जा सकती हैं और चेयरमैन उन का इस्तेमाल कर सकता है । फिलवाक्या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन का जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करता था उस की जगह अब चैयरमैन होगा । मैं गिडवानी साहब के साथ और सारे हाउस के साथ इस बात से इत्तिफाक करता हूं और यह बहुत जरूरी समझता हूं कि जिस को चेयरमैन बनाया जाय वह ऐसे शख्स को बनाया जाये जिस का सानी हमारे देश में कोई दूसरा न हो । क्योंकि अगर वह अच्छा और निहायत काबिल आदमी नहीं होगा तो फिर ऐसी ही शिकायतें आयेंगी जैसी कि पहले आई हैं । इन सब बातों को ठीक रखने का इनहसार उसी आदमी पर है जो इस के अन्दर काम करता है । अगर इस आदमी को रखते वक्त इन बातों का ध्यान न रखा गया तो फिर वैसी ही शिकायतें आयेंगी और कमेटी मुकरर होगी और फिर फैसले होते फिरेंगे । मुसीबत यह है कि ऐसे फाइनेंशल कारपोरेशन्स में कोई इतने सख्त रूल या इतने सख्त क्वायदया इतनी सख्त प्राविजेज एक्ट के अन्दर नहीं रखी जा सकतीं और हमें उस को काफी डिस्क्रीशन देना पड़ेगा । बोर्ड करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर सकता है । इतना ही नहीं वह दूसरे बैंकों से भी कर्ज दिला सकता है । इस तरह से उस के अख्तियार बहुत वसीह हैं । सारी प्राइवेट इडस्ट्रीज की, मीडियम और गटर्म क्रेडिट लोंज, की जिम्मेबारी उस की है । इस वास्ते मैं बड़ अदब से अर्ज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह गलतियां जो आज तक की गई हैं वह गल्तियां आइंदा नहीं दोहराई जायेंगी ।

मैं अपनी बहन सुचेता कृपालानी की तकरीर को सुनने का बड़ा उत्सुक था और मैं ने उन की तकरीर को बड़े ध्यानपूर्वक भी सुना । मैं जानना चाहता था कि कौन कौन सी रिकोमेंडशन्स इतनी जरूरी थीं जो इस के अन्दर इनकारपोरेट नहीं की गई हैं । जो उमदा रिपोर्ट उन्हों ने पेश की है उस के लिये मैं उन का बड़ा शुक्रगुजार हूं । एक मामला जो बड़ा बहस तलब भी है और हल तलब भी और जिस का जिक्र श्रीमती सुचेता कृपालानी ने किया और मेरे दूसरे दोस्तों ने भी किया और उस पर बहस भी की, यह है कि अगर कोई डायरेक्टर खुद अगर कर्जा ले तो ऐसी सूरत में इस की आम तौर पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स मंजूरी देता है । इसलिये डायरेक्टर बन जाने के बाद उस को कर्जे की उम्मीद नहीं रखेनी चाहिये और उस को कर्जा भी नहीं दिया जाना चाहिये । जनाबेवाला को मालूम है कि जहां तक इस की प्राविजन्स का ताल्लुक है इस किस्म की कोई रेस्ट्रिकशन इस के अन्दर नहीं है । और न बैंकिंग कम्पनी के एक्ट में है । यह मामला जिस वक्त इंक्वायरी कमेटी बनी उस के अन्दर भी बड़े जोर शोर से उठाया गया और उस ने इस के बारे में लिखा भी है लेकिन गवर्नमेंट ने कबूल नहीं किया है । गवर्नमेंट का व्यू यह है कि एक शख्स अगर डायरेक्टर भी है वह भी इस कर्जे को लेने का हकदार है और सिर्फ इस वजह से उस को इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता है कि वह एक डायरेक्टर है । मैं तो अपनी बहन श्रीमती सुचेता कृपालानी से इस मामले में एक हूं कि बेहतर होता कि वह शख्स जो डायरेक्टर

बनता है खुद इस बात को समझता और कहता कि मैं देश का काम करने आया हूं, कोई फायदा उठाने नहीं आया। आखिर यही तो एक जगह नहीं है या एक इंस्टिटयूशन नहीं है जिस से कि कर्जा लिया जा सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का यह व्यू है कि वह भी कर्जा लेने का हक्कदार है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस के अन्दर ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, कोई ऐसी बात की जा सकती है जिस से कि कोई नाजायज फायदा न उठा सके। इस तरह की कोई भी बात बिल के अन्दर नहीं है। मुमकिन है कि जैसे कि श्री गुहा ने फरमाया कोई डायरेक्टिव ईशू कर दिया गया हो कि जब फैसला होना हो तो वह वहां पर मौजूद न हो। पहले भी मैं ने रिपोर्ट में देखा है कि जब कर्जा दिया गया तो जब उस पर फैसला किया गया उस वक्त लोन लेने वालों ने वोट नहीं दिया। मैं समझता वोट न देना ही काफी नहीं है। इस से भी ज्यादा हम उम्मीद करते हैं कि हमारे डायरेक्टर साहबान जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो अपने आप को देश-भक्त कहते हैं अपने वास्ते कर्ज न ले कर एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे और यह बतायेंगे कि उन्हों ने बेहतर तरीके से अपना काम किया है। इस के साथ ही साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कर्ज इन को दिया जाता है वह रिजिस्टर में दर्ज क्यों नहीं किया जाता, उसे छिपा कर क्यों रखा जाता है। यह सब बातें जो कि ऐक्ट में आनी चाहियें थीं और जो कि आई नहीं हैं इन के वास्ते गुहा साहब जिम्मेवार हैं और अब उन को चाहिये कि वह इन बातों को रूल्स में लायें। मुझे खुशी है कि इस बिल को अमल में लाने कि और रूल्स बनाने को जो जिम्मेवारी है वह फाइनेंस मिनिस्टरी की है जिस के अन्दर कि गुहा साहब भी हैं और जिन पर कि हम को पूरा भरोसा है। इसके साथ आप यह न समझें कि मैं यह कह कर उन की खुशामद कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वह सच बात है। हम लोग समझते हैं कि फाइनेन्स मिनिस्ट्री देश के सारे रुपये की वाचडौग है। मैं देखता हूं कि किस तरह फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग और मिनिस्ट्रीज से लड़ कर मुल्क के रुपये का सदुपयोग करते हैं। हमारे गुहा साहब ने ही एक तरह से इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन को बत्ती लगाई थी, उस को तस्त-अज-बाम किया था, उसे खुला कर दिया था, नंगा कर दिया था।

यह दुरुस्त है कि हम ने इस बिल में कोई अमेंडमेंट्स नहीं भेजी हैं। हम ने इस को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का मुतालिबा भी नहीं किया है। सच तो यह है कि हममें से बहुत से लोग इस के अन्दरूनी मामलात से वाकिफ भी नहीं हैं। ज्यादातर वाकफियत उन्हीं लोगों को है, जो कि एन्क्वायरी कमेटी में थे। हम ने तो सिर्फ एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी थी और उस की मोटी मोटी बातें देखी थीं। उस के आगे हम ने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन मैं यह तस्लीम करता हूं कि अमेंडमेंट्स न भेज कर हम ने गलती की है। अगर हम चाहते कि जो बातें रह गई हैं, उन को अमेंडमेंट्स के जरिये बिल में दाखिल कर दिया जाये, तो हम ऐसा कर सकते थे और मुझे उम्मीद है कि वे अमेंडमेंट्स इस हाउस में पास कर दी जातीं और गुहा साहब भी उनको मन्जूर फरमा लेते। लेकिन मैं समझता हूं कि अब भी हमारे पास इस का इलाज है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर बड़ी जबर्दस्त है। गवर्नमेंट को इस बात का अख्तियार है कि वह जो डायरेक्शज चाहे दे और उन को मनवाये। आखिर इस बारे में शिकायत क्या थी? शिकायत यह थी कि गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन्ज नहीं दी और वह सोती रही। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट अब जाग उठे और वे जरूरी डायरेक्शन्ज दे जो कि उस को देनी चाहिये। इस के अलावा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जो सिफारिशात की गई थीं, वे ज्यादातर माकूल थीं। अगर इस के बावजूद कोई कमी रह गई है, तो रूल्ज के जरिये उस को पूरा किया जाय। जहां तक हमारे और गुहा साहब के नुक्ता-ए-निगाह का ताल्लुक है, उस में कोई फर्क नहीं है—हम एक ही दिल के हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि सब खराबियों को दूर कर दिया जाये और रूल्ज के जरिये जिन सिफारिशात को वह मानते हैं, उन को बिल में एम्बाडी कर लिया जाये। मसलन अगर पचास लाख रुपये से ज्यादा कोई कर्जा दिया जाय, तो पहले गवर्नमेन्ट की सैंक्शन ली जाये। यहां यह तो दर्ज नहीं है कि यह कारपोरेशन सिर्फ छोटी और मीडियम-स्केल इंडस्ट्रीज के लिये है। इस में सब को हक हासिल है। इसलिये हो सकता है कि किसी केस में पचास लाख से ज्यादा—एक करोड़ रुपये—कर्जे की जरूरत हो। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने यह नहीं कहा कि पचास लाख रुपये से ज्यादा कर्जा न दिया जाय। वह सिर्फ यह कहती हैं कि गवर्नमेंट की सैंक्शन ली जाये, मामला खुला और साफ हो और अगर जरूरत हो तो दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि रूल्ज में यह बात डाल देने से क्या खराबी होती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम से पूछे बिना वह कर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो फिर यह बात रूल्स में लिखने में क्या हर्ज है? जहां तक इन मामलात का ताल्लुक है, वे सब इस किस्म के हैं, जिन के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं हैं। फिर रूल या कानून के बनाने में क्यों किसी किस्म का हैसिटेशन है, क्यों पसोपेश है? क्यों दूसरी साइड को यह कहने का मौका दिया जाता है कि जो काम करना चाहिये, वह नहीं किया जा रहा है, हालांकि गवर्नमेंट मानती है कि वह काम दुरुस्त है,? जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इस में कोई ऐसी चीज नहीं है, जिस पर हम क्रिटिसिज्म कर सकें। इस की प्राविजन्ज—जहां तक कि वे जाती हैं—बहुत अच्छी हैं और इसलिये इस बिल को पास करने में हम किसी किस्म का कोई पसोपेश नहीं है, लेकिन साथ ही मैं यह अर्ज किये बिना नहीं रह सकता कि हम को तब तक शान्ति न होगी जब तक बजिरिया रूल्ज के या डाइरेक्शन्ज के गवर्नमेंट ऐसी बातें नाफिज न कर दे, ऐसा इन्तजाम न कर दे, जिस से जो खराबियां अब तक होती रही हैं, वे आईन्दा पैदा न हो सकें और जो रूल्ज बनाये जायें, उन की पूरी पाबन्दी हो।

आखिर में मैं आप की इजाजत से यह दोहराना चाहता हूं कि इन रूल्ज के बावजूद हम तब तक अपना फर्ज अदा नहीं करेंगे, जब तक कि हम तमाम पब्लिक कार्पोरेशन्ज के मामलात को देखने, उन की छानबीन करने और उन को रेगुलेट करने के लिये एक कमेटी न बनायें। पब्लिक कारपोरेशन्ज जो देखने का हमारा हक है और यह काम हम महज रूल्ज के जरिये नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के सब किस्म के रूल्ज के होते हुए भी कितनी खराबियां होती हैं।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस-पूर्व) : मेरे विचार से संशोधक विधेयक में एक मुख्य मांग को स्वीकार कर लिया गया है। और वह यह है कि अब सभापति का पद हुआ करेगा और इस के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक के पद को समाप्त कर दिया जायगा।

मैं सिद्धान्त रूप से इस बात से भी सहमत हूं कि समवायों के निदेशकों को ऋण न दिया जाया करे। समवाय विधि के वर्तमान रूप में भी ऐसा उपबन्ध मौजूद है। मैं विरोध करूंगा कि में समवाय विधि में अब संशोधन करते समय इस बात का उपबन्ध किया जाये जिस से निदेशक लोग अपनी हैसियत का दुरुपयोग न कर सकें। यह एक बहुत उन्नत

प्रकार का सिद्धान्त है तथा मुझे पूर्णतः विश्वास है कि माननीय मंत्री को इस के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं जैसा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से प्रगट होता--कि हम ने वित्त निगम के बनने के बाद इस के कार्य सम्पादन को देख रेख रखने में उपेक्षा की है । ऐसा ही दूसरे स्वायत्त निकायों के बारे में हुआ है । हम प्रायः सभी बातों को ऐसे निकायों पर ही छोड़ देते हैं । हमें निरन्तर सतर्क रहना चाहिये । केवल इसी प्रकार से लोकतन्त्र-वाद सम्यक रूप से कार्य कर सकेगा ।

मुझे यह जान कर दुःख हुआ कि वित्त निगम की स्थापना के बाद कोई नियम नहीं बनाये गये । औद्योगिक वित्त निगम को भी अपने बनाये नियमों के अनुसार काम करने दिया गया है जो एक गलत बात है ।

मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि किसी औद्योगिक व्यवसाय के सम्बन्ध में वित्तीय व्यवसाय करने में आप बैंकिंग नियम को कठोरता से लागू नहीं कर सकते । सोदपुर के शीशे के कारखाने के विषय में बड़ी गलती यह हुई कि धन को छोटी छोटी राशियों में दिया गया है । हमें वित्तीय सहायता के देने में बनिये की मनोवृत्ति को नहीं अपनाना चाहिये । केवल इसी प्रकार से हमारे उद्योग उन्नत हो सकेंगे । सभी नियमों के बनाने में औद्योगिक वित्त-व्यवस्था के नियमों को सामने रखना चाहिये ।

जहां तक इस संशोधक विधेयक का सम्बन्ध है, कुछेक खण्डों के बढ़ाने से ही स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा । नियमों को उचित रूप से बनाया जाना चाहिये ।

यद्यपि हमारी संसदीय पद्धति के अन्तर्गत प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा स्थायी वित्त समिति आदि समितियों की व्यवस्था की गई है तो भी मैं श्रीमति सुचेता कृपालानी के इस सुझाव से सहमत हूं कि इस सभा की एक सार्वजनिक निगम समिति बनाई जानी चाहिये । साथ ही इस समिति को लेखा परीक्षा आधार पर कार्य करना चाहिये राजकीय नियंत्रण से उद्योगों में स्वयं एक काम करने का उत्साह नहीं रह जाता । अतएव ऐसी समिति को केवल लेखापरीक्षा आधार पर ही कार्य करना चाहिये ठीक उसी प्रकार से जिस तरह कि एक निर्देशक बोर्ड किसी समवाय के कार्य को चलाता है । आये दिन का प्रबन्ध कार्यपालिक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि क्या लोक-लेखा समिति इस कृत्य को निभा सकती है या नहीं । यदि इस समिति की हम कई एक उपसमितियां बना दें तो ऐसा करना सम्भव हो सकेगा । फिर भी सारे प्रश्न की विस्तृत जांच किये बिना हमें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए इस कारण मैं इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध के रखे जाने के पक्ष में नहीं हूं ।

मैं समझता हूं कि विधेयक को इस के वर्तमान रूप में पारित करना चाहिये । यदि सभा चाहे तो नियमों के पटल पर रखे जाने के बाद उस पर चर्चा कर सकती है ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : जो विधेयक इस सदन के सामने है उस का जहां तक मेरा ख्याल है किसी मेम्बर ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया है और न मेरा इरादा इस विधेयक का कोई विरोध करने का है ।

लेकिन सब से पहली बात जिस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा वह यह है कि जब इस प्रकार का कारपोरेशन हिन्दुस्तान

[श्री एस० एन० दास]

मे पहले पहल स्थापित किया गया तो सरकार की यह जिम्मेवारी थी कि उसको स्थापित करने के बाद इस बात पर ध्यान देती कि वह कारपोरेशन अपना काम ठीक तरह से करता है या नहीं। इस से पहले हिन्दुस्तान उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए या उद्योगों को चलाने के लिए कोई ऐसी संस्था स्थापित नहीं की गई थी जो कि कारोबार को चलाने के लिये पूंजी के रूप में रुपया दे। इसलिये मेरा ख्याल है कि इसकी तरफ शुरू से ही सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इस मामले में सरकार ने पूरी उपेक्षा की है। जब हम श्रीमती सुचेता कृपालानी जी की रिपोर्ट को और आडिट रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उन से यह साफ मालूम होता है कि सरकार इस संस्था के प्रति निगरानी करने को आदेश जारी करने की और नियम आदि बनाने की अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया। पब्लिक एकाऊंटस कमेटी के मेम्बर की हैसियत से जब हमको इस संस्था के सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट के आधार पर छान बीन करने का मौका मिला तो हमको मालूम हुआ कि कानून के अन्दर सरकार को यह अधिकार मिला हुआ था कि वह इस संस्था को चलाने के लिये नियम बनाये। लेकिन हमें यह जान कर आश्चर्य हुआ कि सरकार ने अपने इस अधिकार को प्रयोग नहीं किया। हमको यह बतलाया गया कि चूंकि इस कारपोरेशन ने एक रेगुलेशन बना लिया है और वह सरकार की राय से बनाया है इसलिये सरकार ने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि वह कानून की धाराओं को कार्यान्वित कराने के लिये नियम बनावे। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी उपेक्षा है जो सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन करने में की है मैं समझता हूं कि जो कुछ गड़बड़ी और कठिनाई पदा हुई है यह उसी उपेक्षा के कारण हुई है सभापति महोदय, रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है और हमारा अनुभव हम को बतलाता है कि किसी संस्था के सम्बन्ध की सारी बातें, कि कितनी कमेटियां होंगी, कब कब होंगी और कैसे होंगी आदि रेग्यूलेशन के अन्तर्गत आती हैं।

लेकिन इस कानून के अन्दर इस को पूरा करने के लिये बहुत सी बातें हम कानून में नहीं रख सकते हैं। चूंकि उसकी मोटाई बढ़ जायेगी, उस सब के सम्बन्ध में नियम में सरकार को सारी चीजों को लाना चाहिये था। कर्जा इत्यादि देने में या छान बीन करन में जो भी गड़बड़ी हुई है, इसी कारण हुई है। इसलिये मैं समझता हूं कि अब सरकार और संसद् जब इस तरह का कोई कानून पास करे तो सरकार को उस के सम्बन्ध में नियम आदि बनाने की ओर सब से पहले ध्यान देना चाहिये, क्योंकि कानून में तो मोटी मोटी बातों को ही लिया जा सकता है और ज्यादातर बातें जिन से संस्था का संचालन ठीक से होता है, वह नियम के अन्दर आती हैं।

एक दूसरी बात जिस की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा और वह यह है कि जब इस तरह की एक नई संस्था बनी, तो नई संस्था के जो डाइरेक्टर्स नियुक्त हुए, मैनेजिंग डाइरेक्टर नियुक्त हुए उन के पास अनुभव की बहुत कमी थी और स्पष्ट है कि इस तरह की संस्था का संचालन हमारे मुल्क में नहीं हुआ और पहले पहल केन्द्र ने इस तरह की संस्था का निर्माण किया। उस में जो डाइरेक्टर्स या मैनेजिंग डाइरेक्टर नियुक्त किये गये वे अनुभव कहां से प्राप्त कर सकते थे। मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में सरकार ने दूसरी बड़ी गलती की। उस को समय समय पर अपने डाइरेक्टिव्स निकालने चाहियें, आदेश देना चाहिये था कि कौन सा उद्योग कौन से इलाके में किस तरह से चलाया जा सकता है, अथवा किस उद्योग को प्रोत्साहन देना

चाहिये और किस उद्योग को प्राथमिकता देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद नहीं के बराबर आदेश जारी किये, मैं समझता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार की दूसरी गलती है। इस वजह से मैं समझता हूं कि भविष्य में यह संस्था जो हमारे औद्योगिक संस्थाओं को चलाने वाली है और निगम और कारपोरेशन आदि बनाने वाली है, उस के सम्बन्ध में यदि आरम्भ में ही जनता का यह ख्याल हो जाय कि इस तरह की संस्था ठीक से काम नहीं करती है और इस तरह की संस्था के संचालन में बड़ी कमियां होती हैं और पक्षपात होता है. तो मैं समझता हूं कि हमारा भविष्य जो प्रजातन्त्र का भविष्य है, यह उज्जवल नहीं होगा। इसलिये सरकार की जवाबदेही और खास तौर से फाइनेंस मिनिस्टर की जवाबदेही थी कि वह इस बात को देखते कि जो संस्था हम ने निर्माण की है, उस को क्या क्या आदेश दिये जायें जिस को कि आधार मान कर वह संस्था ठीक ठीक अपने कामों को अंजाम देती। इन दो बातों को ध्यान दिला कर मैं एक बात और कहना चाहूंगा।

अभी जो संशोधन हमारे सामने आया है, उसमें दिया गया है कि जो इस संस्था के कर्मचारी लोग होंगे, अफसर लोग होंगे, उन के वेतन आदि के सम्बन्ध में, सेवा की जो शर्तें होंगी, उन के सम्बन्ध में कारपोरेशन ही रेगुलेशन बनायेगी मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। हमने देखा है कि इस संस्था के जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उन की नियुक्ति में, उन के प्रोमोशन में और उन के वेतन आदि की बढ़ती के सम्बन्ध में किसी भी सिद्धान्त अथवा नियम का पालन नहीं किया गया। मैनेंजिग डायरेक्टर ने मनमानी की, जिसे चाहा तरक्की दे दी और जिसे चाहा नियुक्त कर दिया और यह नहीं देखा कि जिस काम के लिए अमुक शख्स नियुक्त किया गया है वह उस काम को अंजाम देने के लायक है भी या नहीं उन्हों ने तरक्की देते वक्त यह नहीं देखा कि आया इस की तरक्की होनी भी चाहिये या नहीं। अथवा किस की तरक्की पहले होनी चाहिये और किस की पीछे होनी चाहिये, इस बात का कोई ख्याल नहीं किया, इस वजह से भी इस संस्था के संचालन में बड़ी खराबी आई। मैं समझता हूं कि इस संस्था के जो कार्यकर्ता होंगे उन के टर्म्स आफ सर्विस और कंडीशंस आफ सर्विस के सम्बन्ध में सरकार को अपने नियम के द्वारा जो बातें निर्धारित करनी चाहियें यह अगर कुल रेगुलेशन्स के अन्दर छोड़ दिया जायगा तो मेरा ख्याल है कि फिर उसी तरह की गड़बड़ी होगी जिस तरह की गड़बड़ी अभी हो चुकी है।

एक दूसरी बात जिस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा वह यह है कि चेयरमैन और खास कर के क्योंकि जनरल मेनेजर नियुक्त होने वाले हैं, उनके सम्बन्ध में जैसा कि सभापति जी, आप ने भी कहा और बाज माननीय सदस्यों ने भी कहा, मैं समझता हूं कि ऐसे किसी काम के संचालन के लिये नियम और कानून बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उस के संचालन के लिये जो आदमी नियुक्त किया जाता है या जो निर्देश करने के लिये ऊपर अफसर होता है, उस के व्यक्तित्व पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, खास कर ऐसे कामों में जहां कि किसी कारोबार को कर्जा देने की बात हो या किसी प्रकार की सहायता देने की बात हो। हमारे भारतवर्ष जैसे देश में जहां एक दूसरे का सम्बन्ध बहुत ज्यादा होता है और सम्बन्ध का असर होता है, परिचय का भी असर होता है, वहां ऐसी संस्थाओं में जो कर्मचारी नियुक्त किये जायें, जो चेयरमैन या जनरल मैनजर नियुक्त किये जायें, उनके व्यक्तित्व पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरा जहां तक ख्याल है इस तरह की संस्था के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को जितनी सावधानी बर्तनी चाहिये कि कौन सा व्यक्ति किस काम

[श्री एस० एन० दास]

के लिये उपयुक्त होगा, सरकार नहीं बर्तती है और उस का नतीजा यह होता है कि सरकार की बदनामी होती है और सरकार की बदनामी होने के साथ साथ यह भी बात सब पर फैल जाती है कि किसी भी तरह की संस्था जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, वह नहीं चल सकती है ।

मैं यहां एक बात का और भी जिक्र करना चाहता हूं और वह यह है कि इस देश में यह प्रश्न उठा हुआ है कि आगे जो हम बड़े बड़े कारोबार अपने हाथ में लेने वाले हैं, वे सब क्या सरकारी डिपार्टमेंटस के जरिये चलाये जायें या किसी स्वतन्त्र संस्था के जरिये चलाये जायें यह विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ और सरकार ने भी अभी इस बात पर अपनी नीति की घोषणा नहीं की, यद्यपि सुना जाता है कि कम्पनीज बिल जो हमारे सामने आने वाला है, उस में सरकार चाहती है कि इस तरह के जो बड़े बड़े कारोबार होंगे जनता के हित के लिए देश की तरक्की के लिये. चाहे वह उद्योग के हों, चाहे फाइनेंस के हों अथवा बैंकिंग के हों, जो भी काम सरकार अपने हाथ में लेना चाहेगी उस को वह प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज के जरिये मे कर सकती है । मेरा ख्याल है कि हम अपने देश में इस तरह के प्रयत्न करें कि इस तरह की बड़ी बड़ी जो जिम्मेदारियां हैं जो देश की तरक्की से पूरा सम्बन्ध रखने वाली हैं, उन को हम सरकारी विभाग के जरिये से न चलवायें । सरकार के विभाग के जरिये से काम करने में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, और किस तरह काम तरक्की नहीं कर पाता है, वह सब हमें मालूम है, अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस विषय में और गहरे में जाऊं और आप को उस के सम्बन्ध में बतलाऊं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह की संस्था की स्थापना क बाद अगर सरकार की उपेक्षा से या इस संस्था में जो माननीय डायरेक्टर्स, मैनेजर और चेयरमैन होते हैं, उन की गलती से इस संस्था को अगर असफलता हो जाती है तो जनता बहुत घबड़ा जाती है । जनता यह सोच नहीं सकती है कि इतने बड़े-बड़े काम जो सरकार के हाथ में आने वाले हैं, सरकार उन को किस तरह से सफलतापूर्वक अंजाम दे सकेगी । इसलिये जब हम इस तरह की संस्था की स्थापना करें तो उस संस्था में जो हम कर्मचारी रखते हैं, उस संस्था को जो संचालक देते हैं, निर्देशक नियुक्त करते हैं, उन के चुनाव में हम को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये ।

एक सुझाव अभी इस सदन के सामने आया है कि जब हम इस तरह की स्वतन्त्र संस्थाओं का निर्माण कारोबार चलाने के लिये करने जा रहे हैं, और सरकार के द्वारा उस की निगरानी भी नहीं होती और संस्था की जो जवाबदेही उन संस्थाओं के संचालन में होती है, उस जवाबदेही को मसद् के सदस्य ठीक तरह से नहीं निभा सकते हैं, इसलिये आवश्यकता बतलाई गई है कि एक ऐसी समिति का निर्माण हो जिस में संसद् के सदस्य रहें और वह समिति बराबर इस तरह की संस्थाओं के संचालन की देखभाल करे, जांच करे, उनकी गलतियों को बतलायें और अपनी सिफारिश और सुझाव दे ताकि इस तरह की संस्थायें ठीक से चलें । यह सुझाव विचारणीय अवश्य है, लेकिन जहां तक मैं ने विचार किया है, मैं समझता हूं कि सिर्फ कमेटी के संगठन से यह काम होने वाला नहीं है और खास तौर से इस सदन के सदस्यों की जो बनी हुई कमेटी है, माफ करेंगे माननीय सदस्य जब मैं यह कहूं कि इस सदन के सदस्य उस समिति में रह कर अपनी जिम्मेदारी का ठीक से पालन करेंगे, इस की क्या गारंटी है ? हम यहां पर सदन में बैठते हैं और देखते हैं कि आज जब इतनी

महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार हो रहा है, जो सरकारी मंत्रिगण हैं, उन में से कोई भी उपस्थित नहीं है और मेम्बरों की तादाद कितनी है यह आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जो समिति के मेम्बर्स चुने जायेंगे, वह सब बिल्कुल बेकार होंगे और कारगर साबित नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कि इस तरह की किसी संस्था के संचालन के लिये जितनी जानकारी और अनुभव की जरूरत होती है, जितने परिश्रम, अध्ययन और मेहनत की जरूरत है, उतना परिश्रम, मेहनत और अध्ययन हमारे संसद के सदस्य आमतौर पर कर सकेंगे, यह संदेहास्पद है, यह मैं जनरल तौर पर कहता हूं, किसी के बारे में व्यक्तिगत तौर से नहीं कह सकता हूं। लेकिन मेरा अन्दाज है कि जिस तरह के अध्ययन की जरूरत है वह अध्ययन नहीं किया जाता है। मैं यहां पर किसी मेम्बर के खिलाफ नहीं कहना चाहता एस्टिमेट्स कमेटी के खिलाफ मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा अनभव बताता है कि इन संस्थाओं के जो सदस्य चुने जाते हैं उनको जितना समय इन संस्थाओं के काम में लगाना चाहिये उतना समय वह नहीं लगाते हैं। यह जो संसद की दो प्रमुख कमेटियां हैं यदि इन कमेटियों के सदस्य अपना उचित समय उन में लगावें और जो इन के चेयरमैन हैं वह परिश्रमी और मेहनती हों और समय समय पर उन की बैठक करें तो जहां तक मेरा ख्याल है वह बहुत सी वित्त सम्बन्धी बातों की बहुत अच्छी तरह से निगरानी कर सकती हैं। और देख रेख कर सकती हैं। इस लिये इस पर यहां विचार किया जाय। जहां तक मेरा व्यक्तिगत ख्याल है, मैं समझता हूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी को जोरदार बनाना चाहिये, उनको क्रियाशील बनाना चाहिये, उन के सदस्यों को मेहनत और परिश्रम कर के सरकार की कार्यवाहियों का अध्ययन करने के लिये और विभागों की कार्यवाहियों का अध्ययन करने के लिये आगे आना चाहिये। तभी वह अपना पूरा काम कर सकते हैं। इसी लिये मैं अलग कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं हूं। हो सकता है कि जब काम बहुत बढ़ जाय तो ऐसे ऐसे निगम और संस्थायें बड़ी तादाद में कायम करनी पड़ें। उस समय हो सकता है कि इस प्रकार की पृथक संस्था की जरूरत हो लेकिन मैं चाहूंगा कि जो कमेटी है उसी कमेटी के जिम्मे यह कार्य रहे। इन कमेटियों के मेम्बर इस काम को पूरा करें तो पर्याप्त होगा।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझ कुछ अधिक नहीं कहना है। इस में जिन चीजों का समावेश किया गया है वह ऐसी हैं कि हो सकता है कि अनुभव के आधार पर उन में कुछ संशोधन की आवश्यकता हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वह यह है कि इस में बहुत से सुझाव हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहां और सुझाव इस में रक्खे गये हैं वहां एक सुझाव बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि उस को इस कानून के अन्दर ही रखना चाहिये था। मैं अपने वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन के जो डाइरेक्टर हैं वह कर्जा लें या लोन लेने वाली जो कम्पनी है उन का किसी तरह से सीधे या परोक्ष रूप में कमेटी से सम्बन्ध हो तो उन को कमेटी में नहीं रहना चाहिये। अगर वह वहां हो तो इस प्रकार की संस्था के कर्ज देने के सम्बन्ध में जब विचार होने वाला हो उस के बहुत पहले ही उस में भाग नहीं लेना चाहिये। अगर यह कानून रख दिया जाये तो अच्छा है। इस को रूल्स के अन्दर लाना ठीक नहीं है। इस में बन्धन हो जाना चाहिये कि जब इस सम्बन्ध में विचार होगा तो कोई

[श्री एस० एन० दास]

सम्बन्धित मैनेजिंग डाइरेक्टर उस में भाग नहीं ले सकता है।

मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस तरह के निगम की स्थापना संसद करती है तो उस के सफल संचालन के लिए और है वह निगम ठीक तरह से काम करे इसके लिए आवश्यकता यह है कि सरकार का जो सम्बन्धित विभाग है, फाइनेन्स मिनिस्ट्री है, वह इस तरह की संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रक्खे। यह बात सही है कि हस्तक्षेप वह कम से कम करे लेकिन जब देखे कि उसका संचालन ठीक से नहीं होता है तो उस पर जबर्दस्त नियंत्रण रक्खे अभी तक इस संस्था के संचालन में जो अनुभव हुआ वह कमेटी की रिपोर्ट से जाहिर हुआ। इस लिये स्पष्ट हो जाता है कि गवर्नमेन्ट का जो डिपार्टमेन्ट है, जिस के जिम्मे यह काम था उसने ठीक से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से इस कारपोरेशन की बदनामी हुई और इस बात का शक पैदा हो गया कि इस तरह की स्वतंत्र संस्था जो बनाई जाती है वह हमारे देश में ठीक नहीं चलती है और सरकारी अफसरान के अन्दर इस प्रकार की जो भावना है कि सरकारी डिपार्टमेन्ट ही इस तरह के बड़े बड़े काम कर सकता है तथा स्वतंत्र संस्था कार्य संचालन करने में इतनी कार्यकुशल नहीं होती जितनी कि सरकारी संस्था होती है, मैं समझता हूं कि इस तरह के मौके आने से उन के खयाल की पुष्टि होती है।

मैं चाहता हूं कि इस प्रजातंत्रात्मक देश में इस तरह की संस्थाओं का निर्माण हो जो सरकारी डिपार्टमेंटों से अलग रह कर के देश की तरक्की करने वाले जो काम हैं उन को ठीक से कर सकें। मैं आशा करता हूं कि ऐसा समय आयेगा और उनके खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत का मौका किसी को नहीं मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि श्रीमती सुचेता कृपालानी कमिटी की जो रिपोर्ट है उस की सिफारिशों को अधिक से अधिक नियमों और रैगुलेशन्स के अन्दर लाया जायेगा।

श्री मोहन लाल सक्सेना (जिला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी): औद्योगिक वित्तीय निगम के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें हैं जिन का उल्लेख सभा में नहीं किया गया है और मैं सभा को उन से अवगत कराना चाहता हूं। इस निगम का सम्बन्ध केवल सरकार द्वारा लगाये गय धन और स्वयं इस के द्वारा ऋण रूप में प्राप्त किये गये धन से नहीं है अपितु इस में गांधी स्मारक निधि के भी १६२ या १६५ लाख रुपये लग हुए हैं, यद्यपि वे ऋण रूप में हैं। इस धन को इस में इस उद्देश्य से नहीं लगाया गया था कि ३ प्रतिशत या ३½ प्रतिशत ब्याज प्राप्त किया जाये अपितु इस का उद्देश्य था कि इस का प्रयोग गरीबों के लिये हो। परन्तु जबमैं देखता हूं कि उस महान व्यक्ति की स्मृति में एकत्र किये हुए धन को एक ऐसे निगम में रखा गया है जिस के कार्य-सम्पादन की सभी सदस्यों ने निन्दा की है तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं महसूस करता हूं कि हम इस बात के लिये राष्ट्रपिता के नाम पर गरीबों से एकत्र किये गये धन को जिस निगम में यह धन लगाया जाये उस के कार्यों का उचित प्रबन्ध हो।

द्वितीय, मुझे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि वित्त मन्त्रालय ने इस निगम के कार्यों पर देख रेख रखने में सवर्था कोताही की है। आप को स्मरण होगा कि जब प्रभारी मंत्री ने प्रश्न किया था, मामला स्थगित करना पड़ा था क्योंकि वित्त मंत्री यहां उपस्थित न थे और आज भी वह उपस्थित नहीं है। मुझे यह विदित है कि इस विधेयक में एक पूर्णकाल वैतनिक सभापति नियुक्त करने का उपबन्ध है। परन्तु पहले एक पूर्ण-काल प्रबन्धक निदेशक भी तो था। अब उस की बजाय हम सभापति रखेंगे। सम्भव है कि यह उन लोगों के लिये अन्य पद की व्यवस्था हो जो अन्य निगमों अथवा स्थानों में अयोग्य सिद्ध होते हैं। यदि उद्देश्य यह है तो मैं इसे अच्छा नहीं समझता। अधिकतर तो यह उस व्यक्ति पर निर्भर है जो नियुक्त किया जाता है। श्रीमती सुचेता कृपालानी व समिति के अन्य सदस्यों के प्रति यथोचित समान की भावना के साथ, में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने मामले की सविस्तार जांच नहीं की और कम से कम उन्होंने इस निगम की कार्यप्रणाली की त्रुटियों आदि की उस सीमा तक जांच नहीं की है जिस सीमा तक कि उन्हें करनी चाहिये थी। उस समिति से पहिले चाहे जो हुआ हो, इस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के उपरान्त भी, वित्त मंत्रालय ने निगम के कार्य की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है इस बीच में प्रबन्ध निदेशक ने अपने द्वारा की गई अनियमितताओं को ठीक करने के लिये निदेशकों से एक संकल्प स्वीकार कराया। केवल इतना ही नहीं, वह बम्बई भी गया और वहां एक वकील से परामर्श लिया और इस जांच समिति के प्रतिवेदन से आठवें अध्याय का उत्तर तैयार करने के लिये उसे २००० रुपये दिये। लेखापरीक्षक ने इस पर आपत्ति भी है। इतने पर भी, प्रबन्धक निदेशक ने उसे स्वीकृत करा लिया है और निदेशक बोर्ड की कार्यपालिका समिति से उस राशि को नियमित करा लिया है। एक और वित्त मंत्री यह कहते हैं कि उद्योगों के लिये अधिक धन की आवश्यकता है, और दूसरी ओर यह औद्योगिक वित्तीय निगम जिसे सरकार ने उद्योगों की सहायता करने के लिये आर्थिक सहायता दी है, जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी हैं, परन्तु फिर भी इसे अपने कार्यालय के लिये ६४ लाख रुपये की लागत की इमारत बनाने की अनुमति दे दी गई है। वित्त मंत्री का मत है कि जो धन इस भवन के निर्माण के व्यय में होगा, उतना धन उद्योगों को प्राप्त न होगा फिर वे, ६ लाख रुपये की हानि पहिले ही उठा चुके हैं। मैं नहीं जानता कि इस के पश्चात् क्या होगा।

वित्त मंत्रालय ने एक निर्देश निकाला है कि उन निदेशकों के नामों का एक रजिस्टर बनाना चाहिये जो अन्य समवायों के अंशधारी हैं, परन्तु उन्हों ने इस पर कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है। अभी श्री सिंह ने कहा था कि लोक समवायों में यदि किसी का निदेशक किसी अन्य समवाय का निदेशक हो तो समवाय दूसरे समवाय को ऋण नहीं देगा। परन्तु इस सरकारी समवाय में इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, वित्त मंत्रालय के निदेश का उल्ललंघन कर दिया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं नहीं जानता कि इस लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पर, जिस में अनेकों अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है, क्या कार्यवाही की गई है। अब इस सब के उपरान्त, इस पदाधिकारी को नौकरी छोड़ते समय छः मास का वेतन दिया जाता है। वित्त मंत्रालय पर मेरा आरोप यह है कि इस पदाधिकारी को उतने समय तक जब तक कि उस के साथ

[श्री मोहन लाल सक्सेना]

ठेका था स लिये कार्य करने दिया ताकि उस के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जा सके। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन से यह विदित हो गया है उस ने अपने अधिकारों से बाहर कार्य किये, इस पर भी उसे कोई हानि नहीं पहुंची है। जांच समिति द्वारा इन समस्त अनियमितताओं का स्पष्टीकरण होने के पश्चात् भी इस प्रबन्धक निदेशक को कार्य करने दिया। उसे कार्य करने को अनुमति क्यों दी गई ? अतः मेरा आरोप यह है कि वित्त मंत्रालय ने जानबूझ कर, जाने या अनजाने में अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रहा है। मंत्रालय ने इस निगम के कार्यों और कार्यों में दुष्टाचारों, जो उस नीति या वचनों के अनुकूल न थे जो मूल विधेयक बनाते समय दिये गये थे, की उपेक्षा की है।

प्रबन्धक निदेशक की बजाय आप सभापति को नियुक्ति करते हैं। यदि आप उस जैसा ही दूसरा व्यक्ति नियुक्त करते हैं और उसे उस प्रकार कार्य करने देते हैं, तो मुझे विश्वास है कि कोई सुधार न होगा। अतः मेरा स्वयं का यह विचार है कि महत्व केवल इस संशोधन विधेयक का नहीं है। आवश्यकता इस बात की थी कि इस जांच समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् स्वयं सरकार को नियम बानाने चाहियें थे। परन्तु इस समय हम यह भी नहीं जानते कि सरकार मूल अधिनियमों में क्या नियम बनाना चाहती थी। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि इस निगम के सभापतित्व को ऐसा स्थान नहीं समझा जायेगा जहां किसी ऐसे पदाधिकारी को भेजा जा सके जिस ने अन्य स्थान पर ठीक कार्य न किया हो। अब तक जो हानि हो गई वह तो हो गई, परन्तु अब भी मेरा विचार है कि उस पदाधिकारी के आचरण की कम से कम वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हम अपने अनुभव से लाभ उठायेंगे और वे गलतियां पुनः न करेंगे जो हो चुकी हैं।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : हम ने किसी विशेष प्रयोजन से औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की है। जिस करदाता को इस निगम की स्थापना के लिये धन देने को कहा गया था तो इस दृष्टि से नहीं कहा गया था कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाभ कमाने या अपनी कठिनाइयों को पूर्ण करने में सहायता की जाये। अपितु इस दृष्टि से कहा गया था कि राष्ट्रीय हित के लिये देश का उद्योगीकरण किया जाये। हमारा उद्देश्य उद्योगों का विकास करना था ताकि देश समृद्ध हो सके। और ऐसा करने में हमें कुछ प्राथमिकतायें रखनी चाहियें। योजना आयोग ने प्राथमिकतायें बनाई हैं और आशा की जाती है कि राष्ट्रीय उद्योगों का विकास करने वाला निगम उन का पालन करेगा। द्वितीय, उद्योगों के विकास के संबंध में हमारा यह विचार न था कि उन का विकास इस प्रकार हो कि समस्त पूंजी कुछ थोड़े से ही लोगों के पास आकर एकत्रित हो जाये। अतः विचार यह था कि विकसित होने वाले उद्योग ऐसे हों जिन में अनेकों लोगों का हाथ हो। परिणामतः बीच की श्रेणी के उद्योगों को प्रोत्साहन देना अनिवार्य है। औद्योगिक वित्तीय निगम के उचित कार्य करने के लिए इस नीति का होना अनिवार्य है इसके अतिरिक्त ऐसे निगम के लिए कुछ आचरण की कोई ऐसी नियमावली होनी चाहिये जिन से उस का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। जिन से उन पर कोई सन्देह न किया जा सके और जिन से यह विश्वास हो जाये कि औद्योगिक वित्तीय निगम के प्राधिकारी उस का

प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं करते हैं ।

अतः हम ने इन दो विचारों से विधेयक की जांच करनी है । और वे ये हैं । क्या इस विधेयक में औद्योगिक वित्त निगम के सम्बन्ध में ठीक प्रकार की नीति को उपस्थित किया गया है तथा क्या इस में ऐसी आचरण-नियमावली का वर्णन है जिस से इसे कोई बुरा न कह सके । मेरा निवेदन है कि यह विधेयक इन दोनों उद्देश्यों में से एक भी प्राप्त नहीं करता है । इस में किसी भी उस नीति का उल्लेख नहीं है जिस के अनुसार औद्योगिक वित्तीय निगम कार्य करेगा । आचरण के नियमों के बारे में इस सभा में बड़ी बहस हुई है । इतने पर भी इस विधेयक में, अनियमितताओं के विरुद्ध संरक्षण का उपबन्ध करने के लिये, कोई प्रयत्न नहीं किया गया है; यह बहुत निराशाजनक बात है ।

वैतनिक सभापति के उपबन्ध करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह औद्योगिक वित्तीय निगम के बुरे कार्य की पूर्ण गारन्टी नहीं है । जांच समिति ने बहुत सी सिफारिशें की हैं । और उन में से बहुत थोड़ी विधेयक में सम्मिलित की गई हैं । उन में से कुछ के बारे में माननीय मंत्री कहते हैं कि सिद्धान्त रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया गया है । उदाहरणार्थ, यह सिफारिश की गई थी कि ५० लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी चाहिये । कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में एक निर्देश निकाला गया है । उस निगम में किसी निर्देश से क्या लाभ जिस ने बार बार सारे नियमों का उल्लंघन किया हो । श्रीमती सुचेता कृपलानी समिति द्वारा कड़ी आलोचना किये जाने पर भी हम देखते हैं कि वह सब एक दिखावा था । यही नहीं कि कोई कार्यवाही नहीं की गई अपितु पदाधिकारियों ने जो इस सब के लिये उत्तरदायी थे सम्मानपूर्वक अवकाश ग्रहण किया । अतः इस बात से हमें इस बारे में कोई आश्वासन या गारन्टी या सन्तोष नहीं होता है कि निर्देश विद्यमान है कि इस निगम के कार्यों में आचरण के ठीक तरीके अपनाये जायेंगे ।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विधेयक का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि निश्चय ही यह उस विधेयक से जो पहले था कुछ अच्छा है । पहिला यह प्रत्यक्ष रूप में बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में था अब कुछ सम्भावना है कि कोई ऐसा व्यक्ति सभापति होगा जो बड़े उद्योगों से सम्बद्ध न होगा । यद्यपि यह गारन्टी थी कि सभापति का बड़े व्यापार से कोई सम्बन्ध न होगा, अधिक विश्वासनीय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े व्यापारियों के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है । सम्भव है कि सभापति के रूप में बड़े उद्योगों का कोई प्रतिनिधि ही नियुक्त किया जाये । भारत का राज्य बैंक विधेयक पर विचार करते समय श्री सी० डी० देशमुख ने कहा था कि सरकार मानव को बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों में विभक्त नहीं करती । परन्तु वास्तविकता यही है कि उद्योगपति इन्हीं दो वर्गों में विभक्त हैं । अतः मैं सरकार से गम्भीरतापूर्ण निवेदन करता हूं कि वह सुचेता कृपलानी समिति की उन सिफारिशों को कार्यान्वित करे जो औद्योगिक वित्त निगम को उचित आधार पर लाना चाहती है । द्वितीय हम चाहते हैं कि सरकार औद्योगिक वित्तीय निगम की नीति, बीच के उद्योगों को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय हित के उद्योगों को प्राथमिकता देने की नीति निर्धारित करे । तृतीय, जांच समिति के प्रतिवेदन से जो भी सिद्धान्त सरकार ने स्वीकार किया है वह स्वयं विधेयक में सम्मिलित किया जाये ।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक वित्त निगम ने अपना कार्य ठीक तरह से किया है । निगम के

[श्री तुलसी दास]

१०३ सार्थों को ऋण दिया—उन में से केवल एक ही ऋण ऐसा रहा जिसे अप्राप्य ऋण कहा जा सकता है ।

मेरा यह भी ख्याल रहा है कि यद्यपि औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति ने वतनिक प्रधान रखने की सिफारिश की है यह चीज निगम के हित में नहीं होगी । इंग्लैंड में भी एक ऐसा ही निगम है जिस का वैतनिक प्रधान है परन्तु वह पूर्णकालिक पदाधिकारी नहीं होता । प्रधान के पूर्णकालिक पदाधिकारी होने पर मुझे इसलिये आपत्ति है कि उस स्थिति में निगम एक सरकारी निकाय सा बन जायेगा । इस प्रकार तो यह वित्त मंत्रालय का एक विभाग न जायेगा । जिस समय राज्य बैंक विधेयक पारित हुआ था उस समय भी मैंने यही कहा था कि प्रधान नियुक्त करने की यह प्रक्रिया इन जैसे निकायों के लिये ठीक नहीं रहेगी । मेरा यह भी ख्याल है कि प्रधान नियुक्त करने का अधिकार सरकार के हाथों में रहना वांछनीय नहीं है । आखिर उस की नियुक्ति में अंशधारियों का भी तो कुछ हाथ होना चाहिये ।

यह विधेयक मूल अधिनियम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर रहा है । नाम मात्र का परिवर्तन किया जा रहा है—कार्यपालिका समिति के स्थान पर केन्द्रीय समिति कर दिय गया है ।

ऋण लेने के सम्बन्ध में जो निर्बन्धन लगाया गया है वह भी मेरी राय में उचित नहीं है ।

निगम के लिये भवन बनाने की भी काफी आलोचना होती रही है । मैं इस बात मे सहमत हूं कि इस अवस्था पर इस के लि क अलग भवन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

विभिन्न सार्थों को आर्थिक सहायत दिये जाने के प्रश्न पर निदेशकों द्वारा मत दिये जाने के सम्बन्ध में भी कुछ आलोचना हुई है । सामान्य व्यापार प्रक्रिया यह है कि जो व्यक्ति ऐसी दो संस्थाओं का निदेशक हो जिन के बीच कोई लेन देन हो रहा हो, वह उस लेन देन सम्बन्धी कार्यवाही में भाग नहीं लेता । यह चीज तो ठीक है । परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति इस संस्था के निदेशक बोर्ड में न रहे ।

इस में ऐसे व्यक्ति चाहियें जो इस काम को समझते हों । यदि कोई व्यक्ति किसी उद्योग से सम्बन्ध रखता हो तो उसे उस उद्योग को ऋण देने सम्बन्धी मामलों पर मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिये । परन्तु ऐसे व्यक्ति को निगम में लेने पर रोक लगा देना ज्यादती है ।

विनियमों और कर्मचारियों के वेतनों आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं । यह एक अलग संस्था है और उसी रूप में चलाई जानी चाहिये । इस के विनियम सरकारी कर्मचारियों के लिये बने विनियमों जैसे नहीं हो सकते । इस संस्था की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि यह स्वायत्त संस्था के रूप में चलाई जाय ।

वैतनिक प्रधान के सम्बन्ध में सुचेता कृपालानी समिति ने भी सुझाव मात्र ही दिया है कि जब तक समुचित व्यक्ति प्रधान के रूप में काम करने के लिये न मिले तब तक पूरा समय काम करने वाले प्रबन्ध निदेशक के स्थान में प्रधान रखना उचित नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सरकार ने ऐसा सुझाव रखा है तो उसे ऐसा व्यक्ति मिल ही गया होगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार को ऐसा अच्छा व्यक्ति मिल गया है जो इस संस्था के हितों की रक्षा कर सकेगा ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : औद्योगिक वित्त निगम के पिछले सात वर्ष के इतिहास से पता चलता है कि निगम ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और पक्षपात से काम लिया है। इस संशोधन विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति, १९५३, की सिफारिशों के परिणामस्वरूप सरकार ने निगम की संगठनात्मक व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया था। परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि यदि सरकार ने वास्तव में ऐसा किया होता तो फिर वह समिति की मुख्य सिफारिशों की उपेक्षा नहीं करती। यह संशोधन विधेयक मूल अधिनियम में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं कर रहा है। सरकार केवल यह दिखाना चाहती है कि उस ने समिति की सिफारिशों पर कुछ कार्यवाही की है। परन्तु तथ्य यह है कि समिति की मुख्य सिफारिशों पर उस ने ध्यान ही नहीं दिया है। प्रस्तुत संशोधन विधेयक निरर्थक सा है।

यदि हम विधेयक के खंडों को देखें तो मालूम पड़ेगा कि सरकार ने केवल यह किया है कि निगम के लिये एक वैतनिक अध्यक्ष रखने की सिफारिश मान ली है। औद्योगिक वित्त निगम जांच समिति तो १९५३ में नियुक्त की गई थी परन्तु निगम पहले ही इस गरीब देश का काफी धन नष्ट कर चुका था। वह किस तरह से कार्य कर रहा था, यह बात तो केवल उस समय प्रकाश में आई जब कि निगम महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आया। मैं इस विधेयक की आलोचना करने में कठोर शब्दों का प्रयोग इसीलिये कर रहा हूं जिस से कि सरकार आवश्यक कार्यवाही करे और समिति की मुख्य सिफारिशों से सम्बन्धित संशोधनों को स्वीकार करे।

केवल आश्वासन देने भर से कोई लाभ नहीं होगा। सब बातें वधयक म ही स्पष्ट कर दी जानी चाहियें। विधेयक में यह उपबन्ध होना चाहिये कि मध्यम पैमाने के उद्योगों को ऋण दिये जाने के विषय में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। यदि ऐसा न किया गया तो स्वाभाविक रूप से लोगों को यह आशंका हो जायेगी कि सरकार केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़े पैमाने के उद्योगों को सहायता देना चाहती है। हमें--अर्थात् इस संसद् को--इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि इन जैसे निकायों का नियंत्रण संसद् की एक लोक निगम समिति या किसी ऐसे ही अन्य निकाय द्वारा किया जाये।

सरकार ने जांच समिति के प्रतिवेदन पर कोई दो वर्ष तक तो कोई कार्यवाही ही नहीं की। इस से पता चलता है कि वह इस विधान में संशोधन करने को अनिच्छुक थी। मुझे आशा है कि इस प्रकार का विलम्ब भविष्य में नहीं होगा।

प्रतिवेदन में एक मुख्य सिफारिश यह की गई है कि जिस सार्थ में किसी निदेशक का स्वत्व हो उसे ऋण न दिया जाये। परन्तु प्रस्तुत विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। यदि यह उपबन्ध नियमों में किया जाने वाला है तो ऐसे नियम आदि इस सभा के विचारार्थ यहां रखे जाने चाहियें।

मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के निगम ऐसे ढंग से कार्य करें जिस से देश में आर्थिक एवं औद्योगिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो क्योंकि समाजवादी ढांचे का यही आधार है।

अन्त में मैं सत्ताधारी दल से अनुरोध करूंगा कि देश के वित्तीय और आर्थिक कल्याण से सम्बन्ध रखने वाले इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर वह अपने सदस्यों को अबाध रूप से मत देने दे।

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि सभा ने सामान्यतया इस विधेयक की मख्य प्रस्थापना को पसन्द किया है। कई पुरानी

[श्री ए० सी० गुह]

बातें—जो पहले कई बार कही जा चुकी हैं—फिर दोहराई गयी हैं। कई साल पहले हुई भूल चूक की चर्चा की गयी है और उस की जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर डालने की चष्टा की गयी है चाहे वह उन दिनों म जब ये भूलें हुईं, पदासीन न रहा हो।

प्रतिवेदन और सरकार के संकल्प के प्रकाशन के बाद इस सभा में जांच समिति के प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प पर वाद विवाद हुआ। उस समय मैं ने जांच समिति के सभापति के भाषण का हवाला दिया जिस में उन्हों ने कहा था : "हमारा वास्ता इस समय औद्योगिक निगम से है जो कि हमारे लिये नई चीज है।" उन्होंने यह भी कहा था कि यह अभी नवजात है और इसलिये समिति ने नम्र भाषा का प्रयोग किया है। अब मातृसुलभ स्नेह के कारण प्रतिवेदन लिखते समय उन्हों ने नरमी दिखाई हो परन्तु अब पछताने और सरकार पर यह आरोप लगाने का कोई लाभ नहीं है कि उस ने उन बातों को कार्यान्वित नहीं किया जो उन्हों ने प्रतिवेदन में तो नहीं लिखीं, उन के मन में चाहे रही हों।

श्रीमती सूचेता कृपालानी : माननीय मंत्री तनिक और आगे पढ़ें तो उन्हें मालम हो जायगा कि चाहे मेरी भाषा नरम रही है, तथ्य उस में दिये गये हैं और अब महालेखा-परीक्षक न उन्हीं तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया है।

श्री ए० सी० गुह : मैं आप का ध्यान प्रतिवेदन के अध्याय ४ की ओर दिलाना चाहता हूं। इस में आठ आरोपों की चर्चा की गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जांच समिति ने कुछ मामूली बातों को छोड़ कर इस निगम को बाक़ी सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कुछ बातों में समिति ने कहा ह कि मैं अन्यथा हो सकती थीं या होनी चाहिये थीं। यदि आप प्रतिवेदन के अध्याय ४ को देखें तो आप को पता चल जायगा कि मैं ठीक कहता हूं या नहीं।

और फिर निगम के निदेशक से सम्बन्ध रखने वाले सार्थों को ऋण देने के बारे में कुछ मामले हैं। प्रस्तुत स्थिति यह है कि निदेश दिये जाने के बाद तीन ऐसे मामले हुए हैं। दो सहकारी समितियां हैं जिन में निगम के एक निदेशक, श्री वरदे, निदेशक हैं। जहां तक अंशधारी होने की बात है इन समितियों मे श्री वरदे का सम्बन्ध नाम मात्र को है। एक और सार्थ है जिस में निगम का एक निदेशक प्रधान (चेयरमेन) है—प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं। उसे दिसम्बर, १९५४ में ढाई लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था यह निदेशक इस सभा का भी सदस्य है। मंजूर की गई राशि थोड़ी सी थी मैं समझता हूं कि सभा की यह मंशा नहीं है कि निगम ऐसे सब सार्थों के लिये भी अपने दरवाजे बन्द कर दे।

पिछली बार मैं ने जो भाषण दिया था, मैं उस का भी हवाला देना चाहता हूं। वह भी उन सार्थों के बारे में है जिन का सम्बन्ध ऐसे निदेशकों से है जिन्हें अनुचित अधिमान दिया जाता है। प्रतिवेदन के अध्याय ४ में सामान्य आरोपों पर विचार किया गया है और इन बातों की चर्चा की गई है। उस में कहा गया है :

> "परिवार पोषण और पक्षपात को प्रमाणित करना सदा आसान नहीं होता।"

और यदि जांच समिति ऐसा कोई आरोप प्रमाणित नहीं कर सकी तो सरकार पर यह आक्षेप कैसे किया जा सकता है कि उस ने इस आरोप के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री स० एस० मोरे (शोलापूर) : क्या जांच समिति मकदमा चलाने के लिये थी ?

श्री ए० सी० गुह : नहीं, यह तो सरकार ने यह मालूम करने के लिये बनाई थी कि निगम से क्या क्या भूलें हुई हैं ।

पहले भी, एक मामले को छोड़ कर ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जिस में कि निगम से ऋण लेने वाले किसी समवाय से इस निगम के किसी निदेशक का काफी सम्बन्ध रहा हो । एक महानुभाव को छोड़ कर, निदेशकों का स्वत्व ऋण लेने वाले सार्थों में केवल ०.१०५ प्रतिशत होगा । ऐसे समवायों में से सम्बन्ध रखने वाले निदेशकों का उन में स्वत्व ०.१ प्रतिशत है तो मेरे विचार में यह कोई गम्भीर मामला नहीं है और निगम पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि यह ऐसे सार्थों पर बहुत मेहरबान रहा है ।

बैंकिंग समवाय अधिनियम में भी यह उपबन्ध है कि जिन ऋणों की प्रतिभूति न हो उन का रुपया नहीं दिया जाता ।

यह निगम किसी सहभाग समवाय को ऋण नहीं देता । यह तो सार्वजनिक लिमिटेड समवायों को ही ऋण देता है निजी लिमिटेड समवायों को भी नहीं । यह बिना प्रतिभूति के ऋण नहीं देता । इस प्रकार, बैंकिंग समवाय अधिनियम में जो आभार रखा गया है उस का पालन यह निगम पूरी तरह करता है ।

दो प्रकार की मांग की गई है । एक ओर तो कुछ सदस्यों ने कहा है कि बैंक-कार्य सम्बन्धी सिद्धान्तों का बड़ी सावधानी से पालन किया जाये । कुछ सदस्यों ने या कुछ हालतों में इन्हीं सदस्यों ने किसी दूसरे प्रकरण में कहा है कि धन अधिक उदारता से दिया जाय और जल्दी से दिया जाय । जल्दी धन देने के लिये यह आवश्यक है कि प्रावैधिक और वैध औपचारिकतायें नरम की जायें । जब सरकार ने जाँच समिति बनाई और उस की लगभग सारी सिफारिश किसी न किसी रूप में स्वीकार कर ली और उन्हें क्रियान्वित कर दिया तो मैं समझता हूं सरकार ने यह बात भी स्वीकार कर ली है कि औद्योगिक वित्त निगम के कार्य में कुछ गड़बड़ थी और यह कि उस में सुधार की गुंजाइश अवश्य है । अब स्थिति यह है कि सरकार ने इस समिति की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी हैं और अब सरकार दो महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन करने के लिये सभा के सामने आई है । कुछ सदस्यों ने कहा है और आप ने भी इस बात की ओर संकेत किया है कि इस जांच समिति से मेरा कुछ सम्बन्ध था । मैं उस जिम्मेदारी से मुकरता नहीं हूं । और मुझे उन बातों का पूरा ज्ञान है जो मैं ने वाद विवाद में या पहले कई अवसरों पर कहीं थीं मेरे विचार में आज हम जिन दो सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहे हैं वे मुख्य सिफारिशें हैं जिन्हों ने औद्योगिक वित्त निगम का स्वरूप बदल दिया है । बाकी सिफारिशें भूलों के सम्बन्ध में या ऐसे प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के बारे में थीं जिन्हें किसी भी समय ठीक किया जा सकता है । मूल गलती तो औद्योगिक वित्त निगम के ढांचे और उस के गठन में हुई और इस विधेयक द्वारा उस भूल को सुधारा जा रहा है । मैं समझता हूं कि इस विधेयक का वास्तविक अभिप्राय इस निगम के न केवल बाहरी ढांचे बल्कि कार्य के ढंग में भी मूल परिवर्तन करना है ।

कुछ सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं अब मैं उन की चर्चा करूंगा । श्री अशोक मेहता ने इस विधेयक का सामान्यतः समर्थन किया है और जो सुझाव दिये हैं उन के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । उन की मुख्य बात यह थी कि यह निगम सामान्य अंश पूंजी के लिये नहीं है । यह बात तो अधिनियम में भी है और संसद का निर्णय यही था । इस के लिये निगम को दोषी ठहराने का कोई लाभ नहीं, जब तक संसद् इस अधिनियम

[श्री ए० सी० गुह]

की सम्बन्धित धारा में परिवर्तन न करे सरकार या निगम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते । श्री अशोक मेहता ने विभिन्न देशों के अन्य औद्योगिक वित्त निगमों के उदाहरण दिये हैं । मैं मानता हूं कि विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के वित्त निगम हैं और उन का आकार और स्वरूप भिन्न भिन्न है। जैसा कि जांच समिति के सभापति ने पिछली बार कहा था, भारत में तो यह निगम अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है । यह नवजात संस्था है और अभी हम इस का पोषण कर रहे हैं। हम न बड़ी सावधानी और दृढ़ता से काम प्रारम्भ किया और स्वाभाविक रूप से ज्यादा जोखिम नहीं लेनी चाही । मेरा विचार है कि कोई दो वर्ष पहले तो इस निगम का स्वरूप बदलने और इस में साधारण अंशपूंजी का स्थान रखने की व्यवस्था करने का कारण हो सकता था । परन्तु अब लगभग वैसे ही दो और निगम हैं--वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाला विकास निगम और औद्योगिक ऋण और विनियोग निगम जो लगभग गैर-सरकारी संस्था है और जिस में सरकार का भी कुछ हिस्सा है--न में साधारण अंशपूंजी रहेगी। मेरा विचार है कि इस निगम में भी साधारण अंश पूंजी रहन का इतना कारण नहीं है जितना कि दो वर्ष पहले होता। परन्तु फिर भी यह निगम अंशों को प्रत्याभत (अन्डरराइट) कर सकता है और यदि ऐसे प्रत्याभूत (अन्डररिटिन) अंशों का कोई भाग बाहर न बेचा जा सके तो वे अंश निगम के पास रहेंगे ही ।

किन्तु अभी तक इस प्रकार का कार्य करना आवश्यक नहीं रहा है और निगम जैसा कि विधेयक के द्वारा करने के लिये बाध्य है, अपनी ऋण राशि को साधारण अंश पूंजी में बदलन योग्य नहीं हो सका है। मुझे आशा है कि श्री अशोक मेहता यह अनुभव करेंगे कि दो नये अर्थ प्रबन्धक निकायों की स्थापना हो जाने से इस निगम को भी साधारण अंश पूंजी की अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती । फिर भी चूंकि हम अपने अनुभव और स्थिति की अपेक्षायें और आवश्यकता के अनुसार अधिनियम में परिवर्तन करते रहे हैं । और यदि आगे आवश्यकता होगी तो अधिनियम में उस के अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार सरकार और इस सभा को रहेगा ।

श्री अशोक मेहता ने औद्योगिक वित्त निगम में प्रविधिक और पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्मचारी वर्ग की कमी का उल्लेख किया है । जब निगम किसी सरकारी विभाग अथवा सरकारी शिल्पी या विशेषज्ञ पर निर्भर था, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्राल से बहुधा परामर्श लिया जाता था। कभी खाद्य और कृषि मंत्रालय या कभी किसी सरकारी विशेषज्ञ अथवा शिल्पी से भी ऋण प्राप्त करने में सार्थ की उपयुक्तता पर परामर्श किया गया था । मैं जानता हूं कि औद्योगिक क्षमता और ऋण पाने वाले समवाय की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निगम को परामर्श देने वाला एक विशेष पदाधिकारी था । निगम में एक ऐसा अधिकारी था और अब मुझे पता नहीं कि वह पद अभी भी है अथवा नहीं । अब यह आवश्यक हो सकता है कि औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम और दो अन्य वित्त निगम, जिन का मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम और विकास-निगम मिल कर एक समन्वित प्रविधिक परामशदाता निकाय अथवा अन्य इसी प्रकार के निकाय की स्थापना करें । यदि इस प्रकार की आवश्यकता उत्पन्न हुई तो इस प्रकार के निकाय का निर्माण किया जायगा, किन्तु मैं यह समझता हूं कि भविष्य म इस की आवश्यकता पड़ सकती है।

श्री अशोक मेहता ने यह भी उल्लेख किया कि छटा वार्षिक प्रतिवेदन सर्वथा पूर्ण नहीं है और उन्होंने इस के लिये भी खद प्रकट किया कि निगम के प्रतिवेदन अनिश्चित स्वरूप के होते हैं और अधिकाधिक संक्षिप्त और अस्पष्ट होते जा रहे हैं। किन्तु मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सरकार अथवा निगम् की यह मंशा नहीं है। सरकार ने एक निदेश पहले ही भेजा है और यह प्रतिवेदन वास्तव में उस समय तैयार किया गया था जब उन के पास निदेश भेजा गया था। यह निदेश प्राप्त होने के पश्चात दो मासों में प्रकाशित हुआ था। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि निगम के अगले वार्षिक प्रतिवेदन में निगम के कार्य संचालन का एक प्रकार का सामान्य पुनर्विलोकन होगा। तत्पश्चात, उन्होंने राज्य वित्त निगमों और औद्योगिक वित्त निगम के समन्वीकरण के विषय में उल्लेख किया था। रक्षित बैंक समन्वयकारी संस्था है, वह इन सब राज्य वित्त निगमों और औद्योगिक वित्त निगम की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है। सितम्बर, १९५४ में रक्षित बैंक, ने इन सभी निकायों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था। सम्मेलन में कुछ विनिश्चय किये गये जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि रक्षित बैंक इस वर्ष भी एक इसी प्रकार का सम्मेलन बुलायेगा और मुझे यह भी आशा है कि यह प्रथा प्रतिवर्ष चलती रहेगी, और यह भी हो सकता है कि रक्षित बैंक इस प्रकार के सम्मेलन जल्दी जल्दी बुलाना आवश्यक समझे।

मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य ने यह बताया कि ऋण देने वाले समवायों को दिया गया कुल ऋण परिदत्त पूंजी के ५० प्रतिशत से कम होगा। किसी समवाय की परिदत्त पूंजी एक लाख रुपया हो सकती है किन्तु हो सकता है कि उस ने सारी राशि का अपव्यय कर दिया हो। इस के अतिरिक्त केवल परिदत्त पूंजी से वह समवाय ५० प्रतिशत ऋण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता, ऋण तो कम्पनियों की आस्तियों पर दिया जायेगा। इस ऋण को देने का आधार ५० प्रतिशत आस्तियां है, परिदत्त पूंजी का ५० प्रतिशत परिदत्त पूंजी के आधार पर चलना खतरनाक होगा कोई भी वित्तीय निकाय इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता।

उन्होंने एक और बात का उल्लेख किया है। मैं इस सभा को कई बार निगम के कार्य संचालन की आलोचना कर चुका हूं किन्तु मैं ने "विसंकेन्द्रण" जैसे शब्द का उपयोग कभी भी नहीं किया। मैं आप को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मेरे विचार या धारणायें जो पहले थीं, वे ही अब भी हैं यदि औद्योगिक वित्त निगम रहेगा तो वह प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही कार्य कर सकेगा। यदि हमारे देश के औद्योगिक ढांचे की रचना इस प्रकार की है कि छोटे छोटे एकक उचित रूप से कार्य नहीं कर सकते तो इस में औद्योगिक वित्त निगम का कोई दोष नहीं और वह इस में सुधार नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार वास्तव में नये समवाय पुराने समवायों के सम्मुख प्रतिद्विन्दिता में नहीं ठहर सकते फिर भी यदि वे नये और पुराने समवायों की संख्या की तुलना करें तो वह यह नहीं कह सकते कि निगम ने पुराने समवायों के साथ पक्षपात किया है। तथ्य यह रहा होगा कि पुराने समवायों की आस्तियां अधिक रही होंगी।

श्री अशोक मेहता : अच्छा तो यह होगा वार्षिक प्रतिवेदनों में समवायों के नाम के साथ उनके प्रबन्ध अभिकर्ताओं के नाम भी दे दिये जायें क्योंकि इसके बिना किसी भी समवाय की वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता लगाना बड़ा कठिन है।

श्री ए० सी० गुह: मैं अभी-अभी एक वार्षिक प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में आश्वासन दे चुका हूं किन्तु मैं समझता हूं कि १९५२ में भी ये व्योरे सभा में बताये गये थे।

[श्री ए० सी० गुह]

ये सारी चीजें इस सभा में बताई गई थीं। फिर भी मैं इस विषय में जांच करूंगा। हो सकता है कि कुछ प्रविधिक कठिनाइयां हों। मैं नहीं कह सकता कि यह बैंक की भांति कार्य कर रहा है। इन में से कुछ ब्योरे नहीं दिये जा सकते क्योंकि उस से सार्थों के साख पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप, किन्हीं सार्थों को ऋण नहीं दिया गया है; यदि सभा इसका कारण पूछे तो मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री मात्तन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने ५० लाख से अधिक राशि के ऋणों के विषय में उल्लेख किया है। जांच समिति की सिफारिश यह थी कि इतनी राशि के ऋण केवल सरकार की स्वीकृति पर ही दिये जायें। किन्तु जैसा कि मैं अपने परिचयात्मक भाषण में कह चुका हूं, सरकार निगम और उस के बोर्ड के उत्तरदायित्व को कम नहीं करना चाहती। ऋण देने का पूरा उत्तरदायित्व उन्हें लेना चाहिये। यदि ऋण का अपव्यय हो जाता है तो निगम इस का उत्तरदायित्व सरकार के कन्धों पर यह कर नहीं डाल सकता कि सरकार की सहमति से उस ने ऋण स्वीकृत किया था। अतः ५० लाख रुपये से अधिक राशि का ऋण स्वीकृत करने से पूर्व निगम को चाहिये कि वह इस की सूचना सरकार को दे और सरकार आवश्यक समझने पर हस्तक्षेप कर सकती है। यह व्यवस्था हम ने की है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ये सारे आवेदनपत्र सरकार के सम्मुख आये और सरकार ने प्रत्येक मामले की ध्यानपूर्वक जांच की। पिछले वर्ष सरकार के सम्मुख केवल दो या तीन ऐसे मामले आये और उन की भली प्रकार जांच की। इतना ही नहीं वरन् हम ने बिना कुछ टीका टिप्पणी किये पत्रों को वापस लौटा दिया। यदि ऐसे ऋणों की स्वीकृति के विरोध में हमें कुछ कहना है तो हम उसे निश्चय ही बतायेंगे और मुझे विश्वास है कि निगम सरकार के उस निदेश अथवा बात का पालन करेगा। किन्तु हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि ऋण की स्वीकृति और वसूली का उत्तरदायित्व निगम और बोर्ड का है। हम किसी भी मामले में यह नहीं चाहते कि निगम सरकार के कंधों पर इस का भार लादे। हम ने जांच समिति की सिफारिश को उस प्रत्यक्ष रूप में नहीं रखा है, फिर भी हम ने पर्याप्त शक्ति अपने पास रखी है, और जब भी आवश्यक समझेंगे हम हस्तक्षेप करेंगे और ऐसे ऋणों की स्वीकृति को रोक देंगे। मैं समझता हूं कि सभा इस से सहमत होगी कि जांच समिति द्वारा दिये गये सुझाव से यह स्थिति अधिक अच्छी होगी।

मैं श्री अशोक मेहता की इस बात का उल्लेख पहले ही एक दूसरे प्रसंग में कर चुका हूं जो उन्हों ने कुछ औद्योगिक सार्थों को ऋण प्राप्त करने की पात्रता से अपवर्जित करने के सम्बन्ध में कही थी। पिछले वर्ष कितने सार्थों को ऋण मिला था इस का उल्लेख मैं कर चुका हूं। किन्तु मैं सरकार के उस संकल्प का भी निर्देश करूंगा जिस में यह बताया गया है कि सरकार ने कौन-कौन से प्रतिबन्ध लगा दिये हैं और बैंकिंग समवाय अधिनियम में क्या उपबन्ध है। मुझे आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि हम ने इस विषय में पर्याप्त सावधानी से काम लिया है। यदि निगम को कार्य करना है तो वह बैंकिंग समवाय अधिनियम में रखे गये प्रतिबन्धों से बाहर नहीं जा सकता। निगम को बड़ी कठिन परिस्थिति में कार्य करना होगा। उसे उद्योगों की उन्नति करनी होगी। इस कारण किसी सीमा तक उसे कुछ जोखिम भी उठाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी बैंक में अंशधारी होते हैं जो धन लगाते हैं। राज्य बैंक के विषय में क्या व्यवस्था है जिस की कि सम्पत्ति राज्य की होती है ?

श्री ए० सी० गुह : यह राज्य बैंक नहीं है। सरकार के केवल ४० प्रतिशत अंश हैं। साठ प्रतिशत अंश निजी लोगों के हाथ में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर ये सारी अनियमिततायें क्यों हुईं ?

श्री ए० सी० गुह : किसी भी बैंक अथवा अन्य संस्था में अनियमिततायें हो सकती हैं। कुछ अनियमिततायें इस में भी थीं। इसलिये हम ने एक समिति की स्थापना की थी और अब उन सब दोषों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : कोई भी निदेश नहीं भेजे गये थे।

श्री ए० सी० गुह : पहले एक निदेश जारी किया गया था। इस में सरकार की भूल थी। सरकारी संकल्प के प्रकाशित हो जाने के बाद से मैं समझता हूं हम ने अनेक निदेश जारी किये हैं। पहले ही पांच विभिन्न मामलों में सरकार द्वारा निगम के लिये निदेश जारी किये जा चुके हैं। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि जब भी आवश्यक होगा सरकार निगम के लिये निदेश जारी करेगी जिस से निगम की पहले जैसी स्थिति, कि सरकार का निदेश न मिले, नहीं रहेगी।

अब मैं अन्य बातों को लेता हूं। श्री मोहन लाल सक्सेना ने गांधी स्मारक निधि द्वारा निगम में धन विनियोजित किये जाने की चर्चा की थी। इस सम्बन्ध में उन्हों ने राष्ट्रपिता की पुण्य स्मृति को स्मरण रखने के लिये कहा था। यह कार्य तो गांधी स्मारक निधि के प्राधिकारियों का है जिन्हों ने धन का विनियोग किया है। उन्हों ने औद्योगिक वित्त निगम में धन सुरक्षित समझ कर ही लगाया होगा। इस प्रकार औद्योगिक वित्त निगम गांधी स्मारक निधि के लिये एक प्रकार से साहूकार का काम करता है जिस पर उस के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं कि गांधी स्मारक निधि उस निधि का किस प्रकार उपयोग करेगी।

कुछ सदस्यों ने पूछा था कि पिछले प्रबंध निदेशक को क्यों चलते रहने दिया गया था। अधिनियम के अधीन प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति चार वर्षों के लिये हुई थी।

हम इस अवधि को बिना अधिनियम में परिवर्तन किये एक दिन भी कम नहीं कर सकते हैं। मैं सभा को एक बात का स्मरण और दिलाना चाहता हूं। क्या समस्त प्रतिवेदन में कहीं भी यह सुझाव दिया गया है कि प्रबन्ध संचालक ने कोई बेईमानी की है या कोई दुष्ट कार्य-वाही की है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या माननीय मंत्री के कथन का आशय यह है कि यदि कोई प्रबन्ध संचालक कोई कदाचारपूर्ण कार्यवाही करता है तो सरकार कुछ भी नहीं करेगी एक दम निष्क्रिय रहेगी क्योंकि इस सम्बन्ध संविदा मौजूद है।

श्री ए० सी० गुह : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये हैं। पहला यह है कि संविदा मौजूद है और उस संविदा का इस सभा द्वारा अनुमोदन किया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस से क्या होता है ? उस का आचरण एसा हो ....

श्री ए० सी० गुह : मैं संविदा का निर्देश कर रहा हूं। प्रबन्ध संचालक चार वर्ष तक पदारूढ़ रहेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उसे अन्य किसी समय किसी भी कारण से नहीं हटाया जा सकता है।

श्री ए० सी० गुह : नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह तो बहुत ही गलत निर्वचन है ।

श्री ए० सी० गुह : यह तो सरकार के उच्चतम विधि प्राधिकारी का निर्वचन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री का यह कहना है कि यदि उसे सजा हो जाये और जेल भेज दिया जाये, तब भी वह प्रबन्ध संचालक ही रहता है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं इस पर अभी प्रकाश डालूंगा । माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये हैं । एक संविदा की समाप्ति के सम्बन्ध में है और दूसरा प्रश्न उस व्यक्ति क आचरण के सम्बन्ध में है । इस अधिनियम के अनुसार जिस के अन्तर्गत उसे नियुक्त किया गया है, हम उस के संविदा को चार वर्ष से एक दिन भी पूर्व समाप्त नहीं कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह अपना कर्तव्य पालन न करे तो ?

किसी भी संविदा को करार के अनसार किसी भी पक्ष के दोष के कारण समाप्त किया जा सकता है । यदि एक पक्ष कर्तव्य से विमुख रहता है तो दूसरा पक्ष उक्त संविदा को भंग करा सकता है ।

श्री ए० सी० गुह : तब प्रश्न उस के आचरण का उत्पन्न होता है, संविदा का नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कदाचार के लिये उसे हटाया जा सकता है ।

श्री ए० सी० गुह : अधिनियम की धारा १३ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार किसी भी समय प्रबन्ध संचालक को उस के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कारण बताने का समुचित अवसर दे कर उक्त पद से हटा सकती है । यहां उस के आचरण का प्रश्न उत्पन्न होता है । क्या प्रतिवेदन में कहीं भी यह कहा गया है कि प्रबन्ध संचालक ने कदाचार-पूर्ण कार्यवाही की है ?

श्री धूलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : प्रतिवेदन का निर्देश क्यों करते हैं ? उस मंत्रालय के आचरण की आलोचना क्यों नहीं करते जिस ने इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया ?

श्री ए० सी० गुह : सरकार ने कार्पोरेशन की अतिपत्तियों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी । सरकार उक्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह अयोग्य हो, अपने कर्तव्य पालन में पूर्ण रूप से असफल हो, तो भी सरकार क्या कुछ नहीं कर सकती है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं यह परिणाम कैसे निकालूं कि वह अपने कर्तव्य पालन में नितान्त रूप से अक्षम रहा था ? न केवल कार्पोरेशन द्वारा कुछ अनियमितायें की गई थीं अपितु ऋण ग्रहीता समवायों द्वारा भी कुछ गलतियां की गई थीं और इसी कारण यह सब बातें हुईं । यह बात तो मेरी समझ में आती है कि कार्पोरेशन के प्रबन्ध संचालक ने कई मामलों में बद्धिमानी से कार्य नहीं किया था । जहां तक सोदीपुर ग्लास वर्क्स का सम्बन्ध है मैं यह मानता हूं कि सम्पूर्ण स्थिति का ठीक ठीक अनुमान लगाने में संभव है कुछ भूल हुई हो, परन्तु इस का अर्थ यह तो नहीं है कि यह कहा जाये कि इस के लिये उत्तरदायी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है । यह मैं मानता हूं कि जैसा कि सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि निगम से और समवाय से, दोनों से गलतियां हुई हैं । उस का परिणाम समवाय को, समवाय के प्रवर्तकों को तथा निगम को भोगना ही पड़ेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : प्रबंध संचालक के आचरण सम्बंधी कितनी ही टिप्पणियां इस प्रति-

वेदन में हैं और यह टिप्पणियां किसी व्यक्ति के निकाले जाने के लिये पर्याप्त हैं। आप उसे दो वर्ष तक रखते हैं और उस के द्वारा किये गये शक्तियों के अनुचित तथा विधि विरुद्ध प्रयोग को नियमानुकूल बनाने के लिये २००० रुपये खर्च करते हैं ।

श्री ए० सी० गुह : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रतिवेदन को ध्यान से पढ़ें और देखें कि यह प्रतिवेदन प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध कौन कौन से आरोप लगाता है ।

श्री टी० एन० सिंह : पिछले वाद विवाद के समय जब प्रत्येक सदस्य ने प्रबन्ध संचालक के आचरण की आलोचना की थी तो वित्त मंत्री ने कहा था कि उन का विचार इस निगम के संविधान में परिवर्तन करने का था। यह कहना और बात है कि उन्होंने विधि सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण परिवर्तन करने का विचार किया था । सरकार का संकल्प मौजूद है । उन्हों ने कहा था कि सरकार का यह विचार था कि प्रबन्ध संचालक को हटा कर किसी अन्य व्यक्ति को उस के स्थान पर नियुक्त किया जाये । इस को सभा में सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था। अब माननीय मंत्री किसी और बात पर ज़ोर दे रहे हैं जिस से हो सकता है कुछ और आरोप प्रकट हों । इसलिये मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न पर अधिक जोर न दें ।

श्री साधन गुप्त : क्या मंत्री महोदय उस राय का सहारा ले रहे हैं जो बम्बई के अधिवक्ता ने इस प्रतिवेदन के विरुद्ध व्यक्त की थी ?

श्री ए० सी० गुह : मैं मुख्यत: जांच समिति के प्रतिवेदन को अपने मत का आधार बना रहा हूं तथा तत्पश्चात कुछ अन्य बातों को को भी ध्यान में रखता हूं। परन्तु मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव को चनौती देता हूं कि वह प्रबधक संचालक के विरुद्ध कोई निश्चित अभिकथन प्रतिवेदन से निकाल कर दिखावें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं आप को ढूंढ़ कर दिखाऊंगा ।

श्री ए० सी० गुह : अच्छी बात है खोजिये और मुझे बताइये ।

डा० जयसूर्य : लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का पृष्ठ १ ही पर्याप्त है ।

श्री ए० सी० गुह : लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पहले लोक लेखा समिति के सामने जायेगा और उस के बाद चर्चा के लिये यहां प्रस्तुत किया जायेगा । इसलिये मैं उस के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता ।

डा० जयसूर्य : क्या प्रबन्ध संचालक उन शक्तियों से भी आगे जा सकता है जो उस को प्रत्यायोचित की गई हों ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का कहना है कि इस में कोई बात निश्चित नहीं है इसलिये वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं ।

श्री अशोक मेहता : मूल अधिनियम के खण्ड १३ में यह उपबन्ध ह कि केन्द्रीय सरकार किसी भी संचालक को पदच्युत कर सकती है । इस का अर्थ है कि वह प्रबन्ध संचालक को भी निकाल सकती है ।

श्री ए० सी० गुह: उस में यह भी है, "उस के विरुद्ध की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कारण बताने की समुचित अवसर दिये जाने के बाद" इस वाक्यांश का विविध तथा प्रविधिक तात्पर्य यह है कि यदि हम ऐसा अवसर दिये बिना एक चपरासी को भी निकाल दें तो उस का मामला लोक सेवा आयोग के सामने जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: मान लीजिये इसे निकाल दिया जाता तो भी सरकार को उतना ही देना पड़ता जितना कि सरकार ने इतने समय में इस व्यक्ति को दिया है। एसी सूरत में ऐसे

[उपाध्यक्ष महोदय]

व्यक्ति को जिस के विरुद्ध इतनी बातें कही जा रही हों, इतने दिन तक रहने देने की अपेक्षा उस का भुगतान कर के उस को निकाल देना इस से अच्छा नहीं था ।

श्री ए० सी० गुह : म समझता हूं कि जांच समिति के प्रतिवेदन के बाद उस के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं समझता हूं कि आप गलती पर हैं। २००० रुपये की वकील की फीस का मामला प्रतिवेदन के बाद का है ।

श्री ए० सी० गुह : मेरा अभिप्राय किसी के आचरण की रक्षा करना नहीं है। यदि जांच समिति के प्रतिवेदन ने प्रबन्ध सचालक के विरुद्ध कोई सिफारिश की होती तो सरकार प्रबन्ध सचालक के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकती थी। परन्तु जांच समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है । सभा के कुछ सदस्य जांच समिति में भी थे। इसलिये अब सरकार को दोष देना बेकार है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मुझे खेद है कि इस बात पर ध्यान देते हुए कि अभी निगम का प्रारम्भ काल है मैं ने बहुत ही संयत भाषा का प्रयोग किया । पिछले वाद विवाद के अवसर पर म ने यह कहा था कि केवल मैं ही वरन् समिति के सभी सदस्य व्यक्तिगत रूप से वित्त मंत्री के पास गये थे और हम ने उन को कितनी ही बातें बताई थीं। यदि रुपया पैदा करना ही एक आरोप हो सकता है तो वास्तव में हम ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया था । सोदीपुर ग्लास वर्क्स का मामला ही ऐसा है जो किसी भी प्रशासन अधिकारी के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाता है जिन के कारण उसे ऐसे पद के लिये अयोग्य समझा जा सकता है ।

श्री ए० सी० गुह : इसीलिय तो हम ने उस का संविदा समाप्त कर दिया है ।

श्री गिडवानी : क्या उसे दक्षता तथा सदाचार का प्रमाण पत्र दिया गया है ।

श्री ए० सी० गुह : मुझ इस के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । यदि बोर्ड यह अनुभव करता है कि उस का आचारण औचित्यपूर्ण रहा है तो बोर्ड उसे इस प्रकार का प्रमाणपत्र देसकता है। सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है ।

मैं समझता हूं कि श्री तुलसी दास ने निगम के अपने भवन के सम्बन्ध में कुछ कहा है । हो सकता है कि निगम ने भूमि का कोई टुकड़ा तो ले लिया हो, परन्तु, अभी इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री तुलसी दास ने पूरे समय काम करने वाले सभापति के सम्बन्ध में कुछ आपत्तिया उठाई हैं। अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि पूरे समय काम करन वाला ही सभापति रखा जाये । परन्तु मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सभवतः सरकार के लिये अभी पूरे समय काम करने वाला सभापति रखना आवश्यक है । बाद में आवश्यकता न रहने पर हो सकता है कि पूरे समय काम करने वाला सभापति न रहे। एक कठिनाई यह भी है कि दोनों प्रकार की आलोचनायें की गई हैं। उस का कहना है कि सरकारी नियंत्रण और भी कठोर बना दिये जायें और कुछ का कहना है कि नियत्रण की कठोरता कम कर दी जाये ।

मैं समझता हूं कि तुलसी दास का यह कहना सर्वथा उचित नहीं है कि कार्यकारिणी समिति को बदल कर केन्द्रीय समिति कर देना केवल नाम में परिवर्तन कर देना मात्र है । वर्तमान अधिनियम के अनुसार कार्यकारिणी समिति को कुछ संविहित प्राधिकार प्राप्त हैं जो केन्द्रीय समिति को प्राप्त नहीं होंगे । मैं समझता हूं कि इस बात को जानते हुए बोर्ड केन्द्रीय समिति

को उतना प्राधिकार नहीं सौंपेगी जितना कि कार्यकारिणी समिति को प्राप्त थे ।

श्री साधन गुप्त ने नीति के अभाव का उल्लेख किया है । सरकार की औद्योगिक नीति १९४८ में की गई घोषणा में प्रतिपादित है और औद्योगिक वित्त निगम उसी के अनुसार काम कर रहा था । अतः नीति के अभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

उन्हों ने यह आशंका भी प्रकट की है कि सभापति कोई बहुत बड़ा व्यवसायी हो सकता है और उन का कहना है कि सरकार के दृष्टिकोण के कारण ही उन के मन में यह आशंका उत्पन्न हुई है । सरकार का दृष्टिकोण तो मैं नहीं बदल सकता हूं पर मैं उन को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अभी तो हम किसी बड़े व्यवसायी को नियुक्त नहीं कर रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : और निगम अभी तक नियम बनाने में असफल रहा है उस के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि अब यह सभी त्रुटियां दूर कर दी जायेंगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब नियम सरकार बनायेगी ।

श्री ए० सी० गुह : मैं भविष्य के सम्बन्ध में ही कह सकता हूं । सदा पिछली बातों के सम्बन्ध में ही कहते रहने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार भविष्य के लिये नियम बना रही है ?

श्री ए० सी० गुह : हम यह काम करेंगे ।

मेरे विचार से श्री मेहता ने यह मांग की थी कि प्रबन्ध संचालक का नाम भी वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जाना चहिये । मेरे विचार से ऐसा करना संभव होगा और मैं यह प्रयत्न करूंगा कि अगले प्रतिवेदन में और अधिक सूचना दी जाये और कारपोरेशन के कार्यकरण का एक सामान्य पुनरीक्षण भी उस में हो ।

डा० जयसूर्य ने यह कहा कि जांच समिति प्रतिवेदन के समय तक केवल एक निदेश ही दिया गया था । मैं पहले ही निवेदन कर चका हूं कि सरकार ने कारपोरेशन को कोई सम्यक् निदेश नहीं दिये थे, परन्तु अब सरकार जब भी आवश्यकता होगी निदेश जारी करेगी । उन्हों ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को कारपोरेशन पर और अधिक निरीक्षण तथा निदेशक शक्तियां प्राप्त होनी चाहियें । श्री तुलसी दास ने इस के एक दम विपरीत कहा है । हम इन दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय करन का प्रयत्न करेंगे ।

मैं ने प्रायः सभी आलोचनाओं का उत्तर दे दिया है । माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन भी किया है, अतः मुझे आशा है कि विधेयक को पारित कर दिया जाये । मुझे यह भी आशा है कि सभी प्रकार की आशंकाओं का निराकरण हो जायेगा और मुझे विश्वास है कि निगम ठीक प्रकार से कार्य करेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधयक को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"भारतीय वित्त निगम अधिनियम, १९४८ तथा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात लोक सभा, गुरुवार २८ जुलाई १९५५ के ग्यारह बज तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—166 LSD—23-5-56 190